इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल 2015—चैत्र 20, शक 1937

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2015

क्र. ई.-5-689-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उमाकांत उमराव, आयएएस., आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 23 मार्च से 4 अप्रैल 2015 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 अप्रैल 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री उमाकांत उमराव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री जे. एन. मालपानी, भाप्रसे, आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री उमाकांत उमराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री उमाकांत उमराव द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे. एन. मालपानी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.



नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2015

क्र. ई.-1-75-2015-5-एक.—श्री उमाकांत उमराव, भाप्रसे. (1996), आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) श्री उमाकांत उमराव द्वारा संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा, भाप्रसे (2003), अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2015

क्र. ई.-5-684-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित राठौर, आयएएस., सचिव मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 23 से 25 मार्च 2015 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अमित राठौर की अवकाश अवधि में श्री अशोक कुमार शाह, प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक खेल एवं युवक कल्याण विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अमित राठौर द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार शाह खेल एवं युवक कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-813-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, आयएएस., संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान(वाल्मी) तथा संचालक, ग्रामीण रोजगार तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान (डी.एम.आई.) को दिनांक 25 से 27 मार्च 2015 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 एवं 29 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश प्रसाद मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान(वाल्मी) तथा संचालक, ग्रामीण रोजगार तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान (डी.एम.आई.) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश प्रसाद मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश प्रसाद मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-501-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 24 मार्च से 1 अप्रैल 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 3 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री बी. आर. नायडू की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती कंचन जैन, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. आर. नायडू द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कंचन जैन उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2015

क्र. ई.-5-930-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री फटिंग राहुल हरिदास, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर को दिनांक 16 से 20 मार्च 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 एवं 15 तथा 21 एवं 22 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री फटिंग राहुल हरिदास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री फटिंग राहुल हरिदास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फटिंग राहुल हरिदास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2015

क्र. ई.-1-104-2015-5-एक.—श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे (1994), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की सेवाएं लोक निर्माण विभाग को सौंपते हुए उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग भी घोषित किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री मनीष रस्तोगी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक अग्रवाल, भाप्रसे (1994), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं सचिव, मुख्यमंत्री (अतिरिक्त प्रभार) तथा आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त (अतिरिक्त प्रभार), केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे एवं उनकी मूल पदस्थापना आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त मानी जाएगी. श्री अग्रवाल, सचिव, मुख्यमंत्री (अतिरिक्त प्रभार) का कार्य पूर्ववत संपादित करते रहेंगे.

(3) उपरोक्त पद-1 के अनुक्रम में श्री मनीष रस्तोगी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2015

क्र. ई.-5-803-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. के. खरे, आयएएस., कमिश्नर, ग्वालियर संभाग को दिनांक 4 से 10 मार्च 2015 तक सात दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री के. के. खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-632-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुपम राजन, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग तथा प्रबंधक संचालक मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम/ राज्य वस्त्र निगम/ मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को दिनांक 25 से 30 मई 2015 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24 एवं 31 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग तथा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम/ राज्य वस्त्र निगम/ मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुपम राजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-685-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. आहूजा, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मप्र ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) को दिनांक 17 से

27 मार्च 2015 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 28 एवं 29 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मप्र ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-789-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शिवानंद दुबे, आयएएस., कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना को दिनांक 13 अप्रैल से 2 मई 2015 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 अप्रैल तथा 3 एवं 4 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री शिवानंद दुबे की अवकाश अवधि में श्री के. के. खरे, भाप्रसे. (1997) आयुक्त, ग्वालियर संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शिवानंद दुबे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री शिवानंद दुबे द्वारा कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. खरे, कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री शिवानंद दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवानंद दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-830-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री भोंडवे संकेत शांताराम, आयएएस., कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 4 से 10 अप्रैल 2015 तक सात दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2, 3 अप्रैल 2015 एवं 11, 12 अप्रैल 2015 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री भोंडवे संकेत शांताराम की अवकाश अवधि में श्री अभिजीत अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होशंगाबाद को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री भोंडवे संकेत शांताराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री भोंडवे संकेत शांताराम द्वारा कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अभिजीत अग्रवाल, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री भोंडवे संकेत शांताराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भोंडवे संकेत शांताराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-685-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. आहूजा, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मप्र ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) को दिनांक 17 से 27 मार्च 2015 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 28 एवं 29 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मप्र ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2015

क्र. ई-5-818-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एन. एस. भटनागर, आयएएस., अपर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर को दिनांक 4 से 10 अप्रैल 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2, 3 अप्रैल 2015 एवं 11, 12 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एन. एस. भटनागर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एन. एस. भटनागर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. एस. भटनागर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-1-82-2015-5-एक.—श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे. (1997), आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड का प्रभार भी सौंपा जाता है.

(2) श्री नीतेश कुमार व्यास, भाप्रसे. (1996), आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग भी घोषित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2015

क्र. ई-5-650-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन विभाग सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, पर्यटन विभाग को दिनांक 11 से 19 मई 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 एवं 10 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री हरिरंजन राव की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री मलय श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री हरिरंजन राव, आयएएस., को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन विभाग सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री हरिरंजन राव द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन विभाग सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, पर्यटन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मलय श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री हरिरंजन राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरिरंजन राव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-873-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिषेक सिंह, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, देवास को दिनांक 6 से 17 अप्रैल 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही दिनांक 5 अप्रैल 2015 एवं दिनांक 18, 19 अप्रैल 2015 को पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-671-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे., पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल को दिनांक 7 से 11 मार्च 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती दीपाली रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपाली रस्तोगी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-476-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस., कमिश्नर, जबलपुर संभाग को दिनांक 18 से 23 मई 2015 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 मई एवं 24 मई 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री दीपक खाण्डेकर की अवकाश अवधि में श्री शिवनारायण रूपला, भाप्रसे., कलेक्टर, जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, जबलपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक खाण्डेकर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री दीपक खाण्डेकर द्वारा कमिश्नर, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवनारायण रूपला, कमिश्नर, जबलपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री दीपक खाण्डेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक खाण्डेकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-524-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 5 से 11 मई 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 4 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री संजय सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री के. के. सिंह भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजय सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संजय सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. ई-5-565-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती गौरी सिंह, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, ऊर्जा विकास निगम तथा विकअ-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विकास, भोपाल को दिनांक 5 से 11 मई 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 4 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती गौरी सिंह, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, ऊर्जा विकास निगम तथा विकअ-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विकास, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती गौरी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती गौरी सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ॲन्टोनी डिसा**, मुख्य सचिव.

---

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2015

क्र. एफ-ए-5-09-2015-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री एस. के. सेठ, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

| अ. क्र. | अवकाश अवधि | कुल दिन | अवकाश का प्रकार | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | दि. 21-11-2014 से 6-2-2015 तक. | 78 | पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश. | अवकाश के पश्चात् दिनांक 7 एवं 8-2-2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**बी. आर. विश्वकर्मा**, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2015

क्र. ई-5-868-आयएएस-लीव-5-एक.—श्रीमती सूफिया फारूखी वली, आयएएस., तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 22 सितम्बर 2014 द्वारा 7 से 17 अक्टूबर 2014 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. ई-5-501-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री बी. आर. नायडू, आयएएस., प्रमुख सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 मार्च 2015 द्वारा दिनांक 24 मार्च से 1 अप्रैल 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 2 अप्रैल एवं 3 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**फजल मोहम्मद,** अवर सचिव ''कार्मिक''.

---

## वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2015

क्र. एफ 1(1) 10-2015-सी-ग्यारह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट निम्न अधिकारियों को सारणी के कालम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

सारणी

| क्र. | अधिकारी का नाम | अधिनियम की धाराएं | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | सुश्री शशि सिंह, असिस्टेंन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटीज, भोपाल. | धारा-34 | भोपाल-नर्मदापुरम संभाग |
| 2 | श्री एम. जे. कुरैशी, असिस्टेंन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटीज, सागर. | धारा-34 | सागर संभाग, सागर |
| 3 | श्री बी. एस. सोलंकी, असिस्टेंन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटीज, इन्दौर. | धारा-34 | इन्दौर संभाग, इन्दौर |
| 4 | श्री अजय खरे, असिस्टेंन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटीज, उज्जैन. | धारा-34 | उज्जैन संभाग, उज्जैन |
| 5 | श्रीमती मंगला पुरकाम, असिस्टेंन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटीज, ग्वालियर. | धारा-34 | ग्वारियर संभाग, ग्वारियर. |
| 6 | श्री जे. के. दुबे, असिस्टेंन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटीज, जबलपुर. | धारा-34 | जबलपुर-छिन्दवाड़ा संभाग, एवं रीवा-शहडोल संभाग. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. पी. अगरैया,** अवर सचिव.

---

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. एफ 11-90-2010-बी-ग्यारह.—उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्रमांक 14.4 के संदर्भ में जारी विभागीय आदेश क्रमांक एफ-20-1-2010-बी-ग्यारह, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2011 में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप निम्नलिखित क्षेत्र को नवीन औद्योगिक क्षेत्र एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है:—

| क्र. | औद्योगिक क्षेत्र का नाम | जिला | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | रेडीमेड गारमेंटस पार्क ''दुकुल'' गदाईपुरा, ग्वालियर. | ग्वालियर | 19.99 |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल भारतीय,** उपसचिव.

## नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

### सूचना

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. एफ-3-9-2014-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न परन्तुक के साथ राज्य सरकार द्वारा शहडोल निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, शहडोल, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, शहडोल, मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी :—

परन्तु ग्राम गोरतरा तहसील, सोहागपुर के खसरा क्रमांक 67/3, 538/2, 539, 542/1/4/2 कुल रकबा 3.625 हेक्टेयर का भू-उपयोग उपान्तरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23(क) 1(ख) के अन्तर्गत राज्य शासन के समक्ष विचाराधीन होकर प्रारम्भिक सूचना दिनांक 26 जुलाई 2013 को जारी की गई थी. प्रारम्भिक सूचना के जारी किये जाने के फलस्वरूप उक्त भूमि के भू-उपयोग संबंधी अधिनियम के प्रावधान प्रभावशील हो गये. दिनांक 28 जनवरी 2014 को शहडोल विकास योजना के प्रारूप प्रकाशन की कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 के अन्तर्गत की गई. उक्त कार्यवाही में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा वांछित भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया. चूंकि धारा 23(क) 1(ख) के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्व में प्रारम्भ कर दी गई थी एवं इस धारा के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के लिये लेव्ही शुल्क लिया जाता है. अत: ग्राम गोरतरा तहसील सोहागपुर के खसरा क्रमांक 67/3, 538/2, 539, 542/1/4/2 कुल रकबा 3.625 हेक्टेयर का भू-उपयोग आवासीय तभी मान्य होगा जब धारा 23(क) के अन्तर्गत देय लेव्ही शुल्क आवेदक द्वारा जमा कराया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**वर्षा नावलेकर**, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. एफ-3-9-2014-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-9-2014-बत्तीस, दिनांक 31 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. के. मुदगल**, अवर सचिव.

Bhopal, the 31st March 2015

### NOTICE

No. F-3-9-2014-XXXII.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Shahdol, 2031 (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

1. Commissioner, Shahdol Division, Shahdol, Madhya Pradesh.
2. Collector, Shahdol, District Shahdol Madhya Pradesh.
3. C.M.O., Municipal Council Shahdol, Madhya Pradesh.
4. Dy. Director, Town & Country Planning Distt. Office Shahdol, Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973:—

Provided land use change case of Village Gourtara, Tahsil Sohagpur, Khasra No. 67/3, 538/2, 539, 542/1/4/2 Total area 3.625 Hac. under Section 23(A)1(B) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is under consideration of State Government for which initial notice has been issued on 26th July 2013. Provision's of the act has come into force for the said land due to publication of initial notice for land use change. Draft Development Plan for Shahdol was

published on 28th January 2014 under Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973. Applicant has proposed for desired land use for land in question in the above proceedings. Since proceeding's under Section 23(A)1(B) were initiated prior to publication and there is a provision of charging levy under this Section hence residential land use for Village Gourtara, Tahsil Sohagpur, Khasra No. 67/3, 538/2, 539, 542/1/4/2 Total area 3.625 Hac. will be valid only when due levy under Section 23(A) is deposited by applicant.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2015

फा. क्र. 17(ई) 4-2001-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना पर, अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है:—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री अजय श्रीवास्तव, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, विदिशा. | प्रभारी रजिस्ट्रार |
| 2. | श्री राजेन्द्र चौरसिया, अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर. | अतिरिक्त कल्याण आयुक्त |
| 3. | श्री दीपक बंसल, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी. | उप कल्याण आयुक्त |

फा. क्र. 17(ई) 67-2008-इक्कीस-ब(एक)-891.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है:—

| क्र. (1) | नाम तथा पद (2) | नवीन पदस्थापना (3) |
|---|---|---|
| 1. | श्री निसार अहमद, दशम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर | श्री एम. के. त्रिपाठी, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, होशंगाबाद के स्थान पर. |
| 2. | श्री राजकुमार वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वाह जिला मण्डलेश्वर. | श्री आर. एल. करोरिया, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इन्दौर के स्थान पर. |
| 3. | श्री सुधीर मिश्रा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटारसी. | श्री आर. एस. चुंडावत, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, भोपाल के स्थान पर. |
| 4. | श्री महेश कुमार चौहान, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के अति. न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पेटलावद, जिला झाबुआ. | श्री ए. के. धाकड़, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, मंदसौर के स्थान पर. |
| 5. | श्री आनंद कुमार सेहलाम, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर. | श्रीमती शालिनी शर्मा, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, छिन्दवाड़ा के स्थान पर. |
| 6. | श्री संतोष कुमार गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, परासिया, जिला छिन्दवाड़ा. | श्री ए. के. पाठक, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, ग्वालियर के स्थान पर. |

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-890.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है:—

| क्र. (1) | नाम (2) | पदनाम/ पदस्थापना (3) |
|---|---|---|
| 1. | श्री प्रदीप कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल में श्री विनोद भारद्वाज के स्थान पर. |
| 2. | श्री श्यामकांत कुलकर्णी, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर में नवीन रिक्त पद पर. |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 3. | श्री सुशील कुमार शर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, विदिशा. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना में श्री महेश भदकारिया के स्थान पर. |
| 4. | श्री संजीव दत्ता, विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, छतरपुर. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर में श्री अनिल वर्मा के स्थान पर. |
| 5. | श्री भाऊराव पाटिल, विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जबलपुर. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायसेन में रिक्त पद पर. |
| 6. | श्री प्रभात कुमार मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बैतूल. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा में श्री श्यामकांत कुलकर्णी के स्थान पर. |
| 7. | डॉ. सुभाष कुमार जैन, अति. जिला न्यायाधीश, हटा, जिला दमोह. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दमोह में रिक्त पद पर. |
| 8. | श्री अमनिश कुमार वर्मा, प्रथम अति. जिला न्यायाधीश, मुरैना. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शिवपुरी में रिक्त पद पर. |
| 9. | श्री रूचिर शर्मा प्रथम अति. जिला न्यायाधीश, दतिया. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया में रिक्त पद पर. |
| 10. | श्री अनिल कुमार भाटिया, अति. जिला न्यायाधीश, बागली, जिला देवास. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर में रिक्त पद पर. |
| 11. | डॉ. विजय कुमार अग्रवाल, प्रथम अति. जिला न्यायाधीश, बैढ़न (मुख्यालय सिंगरौली). | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल में श्री इकबाल अहमद के स्थान पर. |
| 12. | श्री विनोद कुमार, द्वितीय अति. जिला न्यायाधीश, रीवा. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़, श्री अनुपम श्रीवास्तव के स्थान पर. |
| 13. | श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सप्तम अति. जिला न्यायाधीश, रीवा. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, डिण्डौरी में रिक्त पद पर. |
| 14. | श्री अजय प्रकाश मिश्र, अष्टम अति. जिला न्यायाधीश, जबलपुर. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अनूपपुर में रिक्त पद पर. |
| 15. | श्रीमती रेणुका कंचन, पंचम अति. जिला न्यायाधीश, ग्वालियर. | अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर में रिक्त पद पर. |

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2015

फा. क्र. 16-4-98-इक्कीस-ब(दो).—मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 4 व 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, मुख्य अभियंता को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में तकनीकी सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की कालावधि के लिए या उस समय तक के लिए जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए नियुक्त करता है.

F. No. 16-4-98-XXI-B(2).—In exercise of the powers conferred by Section 4 and 5 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983) the State Government hereby appoints Shri Om Prakash Shrivastava, Retired Chief Engineer as a technical Member of the M.P. Arbitration Tribunal from the date he assumes charge for the period of five years or till he attains the age of sixty five years which ever is earlier.

फा. क्र. 16-4-98-इक्कीस-ब(दो).—मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 4 व 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री प्रदीप कुमार वर्मा, जिला न्यायाधीश, अनूपपुर को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में न्यायिक सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की कालावधि के लिए या उस समय तक के लिए जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए नियुक्त करता है.

F. No. 16-4-98-XXI-B(2).—In exercise of the powers conferred by Section 4 and 5 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983) the State Government hereby appoints Shri Pradeep Kumar Verma, Distt. Judge Anooppur as a Judicial Member of the M.P. Arbitration Tribunal from the date he assumes charge for the period of five years or till he attains the age of sixty five years which ever is earlier.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विरेन्दर सिंह**, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2015

फा. क्र. 17(ई)-35-05-इक्कीस-ब (दो).—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) की धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नियम 1996 के नियम 14 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथा संशोधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) की धारा 11-क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्न अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तालुक/तहसील विधिक सेवा समिति के लिए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधिपति के परामर्श से उक्त अनुसूची के कॉलम (4) पें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष के लिए सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

## अनुसूची

| क्र. (1) | जिला (2) | तहसील (3) | पदेन/निर्दिष्ट सदस्य का नाम (4) | तहसील संख्या (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | छतरपुर | 1. राजनगर | 1. वरिष्ठ न्यायाधीश जो पदेन अध्यक्ष होगा<br>2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ.<br>3. उपखण्डीय अधिकारी (राजस्व)<br>4. उपखण्डीय अधिकारी (पुलिस)<br>**नामनिर्दिष्ट सदस्य**<br>1. श्री द्वारिका प्रसाद चंदेल, वरिष्ठ अधिवक्ता | 2 |
| | | 2. बडामलहरा | 1. वरिष्ठ न्यायाधीश जो पदेन अध्यक्ष होगा<br>2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ<br>3. उपखण्डीय अधिकारी (राजस्व)<br>4. उपखण्डीय अधिकारी (पुलिस)<br>**नामनिर्दिष्ट सदस्य**<br>1. श्री पवन मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता | |
| 2 | सीधी | 1. रामपुर नैकिन | 1. वरिष्ठ न्यायाधीश जो पदेन अध्यक्ष होगा<br>2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ.<br>3. उपखण्डीय अधिकारी (राजस्व)<br>4. उपखण्डीय अधिकारी (पुलिस)<br>**नामनिर्दिष्ट सदस्य**<br>1. श्री प्रभाकरण सिंह, अधिवक्ता | 1 |
| 3 | शाजापुर | 1. नलखेड़ा | 1. वरिष्ठ न्यायाधीश जो पदेन अध्यक्ष होगा<br>2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ.<br>3. उपखण्डीय अधिकारी (राजस्व)<br>4. उपखण्डीय अधिकारी (पुलिस) | 1 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | | | **नामनिर्दिष्ट सदस्य** | |
| | | | 1. श्री मांगीलाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता | |
| 4 | सतना | 1. चित्रकूट | 1. वरिष्ठ न्यायाधीश, जो पदेन अध्यक्ष होगा<br>2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ.<br>3. उपखण्डीय अधिकारी (राजस्व)<br>4. उपखण्डीय अधिकारी (पुलिस) | 1 |
| | | | **नामनिर्दिष्ट सदस्य** | |
| | | | 1. श्री बी. पी. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता | |
| 5 | डिण्डौरी | 1. शहपुरा | 1. वरिष्ठ न्यायाधीश, जो पदेन अध्यक्ष होगा<br>2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ.<br>3. उपखण्डीय अधिकारी (राजस्व)<br>4. उपखण्डीय अधिकारी (पुलिस) | 1 |
| | | | **नामनिर्दिष्ट सदस्य** | |
| | | | 1. श्री राकेश अग्रवाल, अधिवक्ता | |
| 6 | राजगढ़ | 1. सारंगपुर | 1. वरिष्ठ न्यायाधीश, जो पदेन अध्यक्ष होगा<br>2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ.<br>3. उपखण्डीय अधिकारी (राजस्व)<br>4. उपखण्डीय अधिकारी (पुलिस) | 1 |
| | | | **नामनिर्दिष्ट सदस्य** | |
| | | | 1. श्री चांदमल जैन, समाज सेवी | |

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2015

फा. क्र. 1(बी) 34-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री विष्णु कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री छिंदामीलाल श्रीवास्तव, अधिवक्ता, जिला नरसिंहपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नरसिंहपुर सत्र खण्ड के नरसिंहपुर राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमिताभ मिश्र**, अपर सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 मार्च 2015

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-15-पत्र क्रमांक 50-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकबा (हे. मे.) लगभग | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सतना | मझगवां | रजौला | 0.057 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रीवा म. प्र. | रजौला, मोकमगढ़ मार्ग में पैसुनी नदी पर निर्माणाधीन पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-15-पत्र क्रमांक 51-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकबा (हे. मे.) लगभग | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सतना | मझगवां | मोहकमढ़ | 0.506 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रीवा म. प्र. | रजौला, मोकमगढ़ मार्ग में पैसुनी नदी पर निर्माणाधीन पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**संतोष मिश्र**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 13 मार्च 2015

## प्रारंभिक अधिसूचना

प्र. क्र. 01-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में फतेहपुर चिकली तालाब योजना तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर की योजनान्तर्गत ग्राम करणपुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित हैं.

अत: भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

## अनुसूची (1)

**ग्राम-करणपुरा, तहसील सीतामऊ**

| स.क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | ग्राम करणपुरा | 0.21 हे. | 0.00 हे. | 0.21 |

**फतेहपुर चिकली तालाब ग्राम करणपुरा**

## अनुसूची (2)

**फतेहपुर चिकली तालाब निर्माण में आने वाली निजी भूमि का पूरक विवरण**

| स.क्र. | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा क्रमांक | कुल भूमि का रकबा | प्रभावित भूमि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **ग्राम-करणपुरा :** | | | | | | |
| 1 | कमलेश पिता अमृतराम कुल्मी निवासी चिकला. | 24. पे. | 0.35 | 0.08 | – | 0.08 |
| 2 | कमलेश पिता अमृतराम कुल्मी निवासी चिकला. | 25/1 | 0.09 | 0.01 | – | 0.01 |
| 3 | श्यामलाल पिता अमृतलाल कुल्मी | 25/2 | 1.15 | 0.02 | – | 0.02 |
| 4 | मानसिंह पिता मनोहरसिंह | 94/1 | 0.45 | 0.02 | – | 0.02 |
| 5 | दिपकुंवर बैवा मनोहरसिंह | 94/2 | 0.46 | 0.02 | – | 0.02 |
| 6 | ईश्वर सिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत | 95 | 0.45 | 0.02 | – | 0.02 |
| 7 | शिवसिंह पिता प्रतापसिंह राजपुत नि. करणपुरा. | 46 मीन 1 | 0.91 | कच्चा कुआ 1 | – | कच्चा कुआ 1 |
| 8 | कमलसिंह पिता भेरूसिंह राजपुत निवासी करणपुरा. | 47 | 0.00 | पाईप लाईन 230 मीटर एवं कच्चा कुआ 1 | – | पाईप लाईन 230 मीटर एवं कच्चा कुआ 1 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | बेबीकुंवर पति ईश्वरसिंह | 91 | 0.00 | पाईप लाईन 250 मीटर | – | पाईप लाईन 250 मीटर |
| 10 | रतनकुंवर पति मनोहरसिंह | 93 | 0.00 | कच्चा कुआ 1 | – | कच्चा कुआ 1 |
| 11 | भेरूलाल पिता देवा कुमावत | 115 मीन | 0.36 | 0.04 | – | 0.04 |
| | | कुल योग . . | 4.22 | 0.21 | – | 0.21 |

प्र. क्र. 01-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में फतेहपुर चिकली तालाब योजना तहसील सीतमऊ जिला मन्दसौर की योजनान्तर्गत ग्राम चिकली के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित हैं.

अत: भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

## अनुसूची (1)

**ग्राम-चिकली, तहसील सीतामऊ**

| स.क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | ग्राम चिकली | 5.88 हे. | 0.00 हे. | 5.88 |

**फतेहपुर चिकली तालाब ग्राम चिकली :**

## अनुसूची (2)

**फतेहपुर चिकली तालाब निर्माण में आने वाली निजी भूमि का पूरक विवरण**

| स.क्र. | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नम्बर | कुल भूमि का रकबा | प्रभावित भूमि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **ग्राम-चिकली :** | | | | | | |
| 1 | रामकुंवर पति बिहारी सिंह राजपूत | 179 पे. | 0.42 | 0.42 | – | 0.42 |
| 2 | मानसिंह पिता सरदारसिंह राजपूत | 197 | 0.16 | 0.16 | – | 0.16 |
| 3 | नाहरसिंह पिता उदयसिंह राजपूत | 201 | 0.88 | 0.81 | – | 0.81 |
| 4 | रघुवीरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत | 206/1 | 0.12 | 0.06 | – | 0.06 |
| 5 | मनोहरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत | 206/2 | 0.40 | 0.20 | – | 0.20 |
| 6 | भंवरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत | 206/3 | 0.43 | 0.20 | – | 0.20 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | शांतिबाई पति रामनारायण बलाई | 288/3 | 0.32 | 0.32 | – | 0.32 |
| 8 | गट्टु पिता माधु भील | 246 | 0.44 | 0.39 | – | 0.39 |
| 9 | रूघनाथसिंह पिता देवीसिंह राजपूत | 257 | 0.46 | 0.46 | – | 0.46 |
| 10 | मंदिर श्री रामचन्द्रजी | 274 | 0.24 | 0.24 | – | 0.24 |
| | प्रबंधक कलेक्टर, मध्यप्रदेश शासन. | 311 | 0.16 | 0.16 | – | 0.16 |
| 11 | भगतराम पिता धुरा बलाई | 288/1 | 0.11 | 0.11 | – | 0.11 |
| 12 | बद्रीलाल पिता धुरा बलाई | 288/2 | 0.21 | 0.21 | – | 0.21 |
| 13 | ललीताबाई पिता बाबुलाल भील | 289/1 | 0.07 | 0.07 | – | 0.07 |
| 14 | शम्भुलाल पिता भुवान भील | 289/2 | 0.07 | 0.07 | – | 0.07 |
| 15 | भारतलाल पिता भुवान भील | 289/3 | 0.06 | 0.06 | – | 0.06 |
| 16 | भंवरलाल पिता भेरूलाल भील | 290/1 | 0.09 | 0.09 | – | 0.09 |
| 17 | रामलाल पिता भेरूलाल | 290/2 | 0.09 | 0.09 | – | 0.09 |
| 18 | लालसिंह पिता देवीसिंह राजपूत | 324/1 | 0.12 | 0.12 | – | 0.12 |
| 19 | बिहारीसिंह पिता सरदारसिंह राजपूत | 594/327 | 0.09 | 0.09 | – | 0.09 |
| 20 | सामन्तसिंह पिता देवीसिंह राजपूत | 324/2 | 0.13 | 0.13 | – | 0.13 |
| 21 | मांगुसिंह पिता सज्जन सिंह, ईश्वरसिंह बा. भगवानसिंह, सामंतसिंह, कमलेश ना.बा. पिता मदनसिंह सरपरस्त, माता प्रेमकुंवर, बैवा मदनसिंह पेपकुंवर बैवा हिन्दुसिंह राजपूत | 351 | 0.20 | 0.10 | – | 0.10 |
| 22 | बसंतीबाई बैवा नन्दा, मदन भंवरबाई पिता नन्दा | 235/2मीन 2 | 0.19 | 0.19 | – | 0.19 |
| 23 | प्रतापसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत | 337 | 0.60 | 0.30 | – | 0.30 |
| 24 | रामेश्वर पिता कुशाल भील | 340 | 0.15 | 0.15 | – | 0.15 |
| 25 | गोपालकुंवर पति मानसिंह राजपूत | 343 | 0.05 | 0.05 | – | 0.05 |
| 26 | सरूप पिता नन्दा बलाई | 344 | 0.05 | 0.05 | – | 0.05 |
| 27 | प्रभुबाई पिता भेरू भील | 382 | 0.17 | 0.17 | – | 0.17 |
| 28 | भंवरसिंह पिता बगदुरसिंह | 321 मी. 1 | 0.10 | 0.10 | – | 0.10 |
| 29 | लक्ष्मणसिंह पिता सरदारसिंह | 180 | 0.91 | 0.30 | – | 0.30 |
| 30 | रामसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत | 299 पे. | 1.24 | – | – | पाईप लाईन 400 मीटर |
| 31 | सेवा खातेदार | 227 | 3.54 | 0.01 | – | 0.01 |
| | | कुल योग . . | 12.27 | 5.88 | – | 5.88 |

क्र. 597-13-14-प्र. क्र. 03-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में देथलीबुजुर्ग से पनवाड़ी पहुंच मार्ग योजना में ग्राम देथलीबुजुर्ग, पिपल्याराजा, पनवाडी, साठखेड़ा की भूमि सड़क निर्माण के लिए आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है.

अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

## अनुसूची (1)

**ग्राम-देथलीबुजुर्ग, पिपल्याराजा, पनवाड़ी, साठखेडा**

| स.क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | देथलीबुजुर्ग | 1.280 | 1.980 | 3.260 |
| 2 | पिपल्याराजा | 0.240 | 0.130 | 0.370 |
| 3 | पनवाड़ी | 0.750 | 0.430 | 1.180 |
| 4 | सांठखेडा | 0.030 | 0.390 | 0.420 |
| | कुल योग . . | 2.300 | 2.930 | 5.230 |

## अनुसूची (2)

**देथलीबुजुर्ग से पनवाड़ी पहुंच मार्ग**

| स.क्र. | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नम्बर | कुल भूमि का रकबा | प्रभावित भूमि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **ग्राम-देथलीबुजुर्ग** | | | | | | |
| 1 | रोडा पिता भेरूलाल जटिया नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 772 | 3.150 | 0.110 | 0.000 | 0.110 |
| 2 | फकीरचंद पिता नानुराम रूकमण बाई बेवा नानुराम चव ईशवर बबलु ना. बा. पिता सत्यनारायण अ. पा. कर्ता मातारानी बाई बेवा सत्यनारायण जटिया नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 755 | 0.840 | 0.040 | 0.000 | 0.040 |
| 3 | रामलाल पिता सेवा व विनोद दशरथ, पुरालाल, ललिता बाई, पुरीबाई पिता चुपालाल व सीता बाई बेवा चुपालाल जटिया सा. | 754 | 1.330 | 0.060 | 0.000 | 0.060 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | राधेश्याम प्रभुलाल पिता नंदराम जटिया नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 753 | 0.970 | 0.050 | 0.000 | 0.050 |
| 5 | हिरालाल पिता भवरलाल गायरी नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 752 | 0.280 | 0.050 | 0.000 | 0.050 |
| 6 | प्रभुलाल पिता भवरलाल गायरी नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 750 | 0.560 | 0.040 | 0.000 | 0.040 |
| 7 | भवरलाल बाबुलाल पिता नारायण व कस्तुर बाई बेवा मांगीलाल चमार नि. ग्राम. भूमि स्वामी. | 744 | 0.090 | 0.000 | 0.090 | 0.090 |
| 8 | गोविंदराम बालाराम पिता कालुराम व | 739 | 0.490 | 0.000 | 0.060 | 0.060 |
| | शीला बाई बेवा कालुराम व शांतिबाई | 815 | 1.050 | 0.120 | 0.000 | 0.120 |
| | सुमित्राबाई पिता हीरा व रुकमण बाई | 818 | 1.060 | 0.080 | 0.000 | 0.080 |
| | बेवा हीरा जाट नि. ग्राम भूमि स्वामी. | | | | | |
| | | योग . . 3 | – | 0.200 | 0.060 | 0.260 |
| 9 | भेरूलाल पिता रामलाल कुलमी नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 738 | 0.560 | 0.000 | 0.130 | 0.130 |
| 10 | बाबुलाल पिता काशीराम कुलमी नि. गारीयाखेडा भूमि स्वामी. | 730 | 1.160 | 0.000 | 0.070 | 0.070 |
| 11 | बंसतीलाल कुलमी पिता किशनलाल | 729 | 1.180 | 0.000 | 0.070 | 0.070 |
| | कुलमी नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 1053 | 0.900 | 0.000 | 0.050 | 0.050 |
| | | योग . . 2 | – | 0.000 | 0.120 | 0.120 |
| 12 | रमेशचुद्र पिता उकारलाल गायरी नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 728 | 1.180 | 0.000 | 0.070 | 0.070 |
| 13 | भारतराम पिता प्रेमचद्र कुलमी नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 723 | 2.210 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| 14 | मांगीलाल नारायण केशुरात पिता सोजी व धापुबाई बेवा सोजी बंजारा सा. देह भूमि स्वामी. | 722 | 2.360 | 0.000 | 0.130 | 0.130 |
| 15 | बंशीलाल पिता परथी बंजारा नि. | 1133 | 1.470 | 0.000 | 0.0070 | 0.070 |
| | ग्राम भूमि स्वामी. | 1151 | 0.820 | 0.000 | 0.060 | 0.060 |
| | | योग . . 2 | – | 0.000 | 0.130 | 0.130 |
| 16 | बद्रीलाल बसंतीलाल बापुलाल पिता | 1145 | 1.720 | 0.000 | 0.290 | 0.290 |
| | किशन लाल व राम गोपाल पिता | 1149 | 1.400 | 0.000 | 0.050 | 0.050 |
| | कालुराम कलावती बाई बेवा कालुराम | 1147 | 0.400 | 0.000 | 0.080 | 0.080 |
| | कुलमी नि. ग्राम भुमि स्वामी. | | | | | |
| | | योग . . 3 | – | 0.000 | 0.420 | 0.420 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा गरोठ. | 1137 | 0.940 | 0.000 | 0.110 | 0.110 |
| 18 | रमेशचन्द्र पिता पुरालाल कुलमी नि. ग्राम डलगु मगरा भूमि स्वामी. | 819 | 3.170 | 0.040 | 0.000 | 0.040 |
| 19 | गीता बाई पिता शिवनारायण माली नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 820 | 0.970 | 0.090 | 0.000 | 0.090 |
| 20 | कालुराम पिता भेरूलाल कुलमी नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 821 | 0.310 | 0.150 | 0.000 | 0.150 |
| 21 | अम्बा कुमारी पति इंन्द्रमल कुलमी नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 895 | 2.710 | 0.150 | 0.000 | 0.150 |
| 22 | परथी पिता हेमा बंजारा नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 1047 | 0.620 | 0.000 | 0.020 | 0.020 |
| 23 | बालु बाबु पिता भगा व तुलसी बाई बेंवा भग्गा बंजारा, नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 1051 | 0.570 | 0.040 | 0.000 | 0.040 |
| 24 | बसंतीलाल बापुलाल पिता किशनलाल व रामगोपाल पिता कालु राम व कलाबाई बेवा कालुराम कुल्मी, नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 1054 | 2.290 | 0.110 | 0.000 | 0.110 |
| 25 | मांगीलाल पिता परथी बंजारा नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 1134 | 1.470 | 0.000 | 0.350 | 0.350 |
| 26 | केशुराम हजारी नारायण किशन पिता लक्खा व बरदीबाई बेवा लक्खा बंजारा नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 1135 | 1.120 | 0.000 | 0.080 | 0.080 |
| 27 | मानसिंह बंशीलाल रमेश पिता उँकार व घापुबाई बेवा उँकार गायरी, नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 816 | 0.920 | 0.030 | 0.000 | 0.030 |
| 28 | कन्हैयालाल पिता मांगीलाल गुर्जर सा. देह भूमि स्वामी. | 745 | 0.670 | 0.060 | 0.000 | 0.060 |
| 29 | हीरालाल पिता भँवर बाई गुर्जर सा. देह भूमि स्वामी. | 745 | 0.680 | 0.060 | 0.000 | 0.060 |
| | योग . . | | | 1.280 | 1.980 | 3.260 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ग्राम-पिपल्याराजा** | | | | | | |
| 1 | फतेराम पिता बालु जाति मीणा नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 232 | 0.650 | 0.020 | 0.000 | 0.020 |
| | | 259 | 0.690 | 0.050 | 0.000 | 0.050 |
| | | 260 | 0.220 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| | | योग . . 3 | | 0.070 | 0.010 | 0.080 |
| 2 | राधेश्याम राम चंन्द्र गोपाल पिता कारू व नारायणी बाई बेवा कारू प्रभु भागीरथ हरदार बाई पिता भुवाना नानी बाई बेवा भुवाना जाति मीणा, नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 230 | 0.170 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| | | 269 | 0.520 | 0.040 | 0.000 | 0.040 |
| | | योग . . 2 | | 0.040 | 0.010 | 0.050 |
| 3 | हरिसिंह पन्नालाल पिता कारूलाल जाति रावत, नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 229 | 0.410 | 0.010 | 0.000 | 0.010 |
| 4 | रामनारायण पिता भवरलाल मीणा नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 215 | 0.650 | 0.010 | 0.000 | 0.010 |
| 5 | कालु पिता हीरालाल मीणा, नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 214 | 0.640 | 0.010 | 0.000 | 0.010 |
| 6 | बगदीराम हरीसिंह पन्ना लाल नाथुलाल पिता कालु मीणा, नि. ग्राम | 207 | 0.740 | 0.000 | 0.020 | 0.020 |
| 7 | उकारलाल पिता नारायण चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 274/1 | 0.140 | 0.000 | 0.020 | 0.020 |
| 8 | किशनलाल पिता नारायण चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 274/2 | 0.150 | 0.000 | 0.020 | 0.020 |
| 9 | कालुराम पिता नवल जाति मीणा नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 273 | 0.020 | 0.000 | 0.020 | 0.020 |
| 10 | मोहन लाल पिता रानारायण मीणा नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 270 | 0.380 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| 11 | जगन्नाथ पिता अमरा चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 264/1 | 0.550 | 0.020 | 0.000 | 0.020 |
| 12 | रामलाल पिता अमरा चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 264/2 | 0.540 | 0.020 | 0.000 | 0.020 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | बापुलाल पिता रामनारायण मीणा नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 262 | 0.200 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| 14 | शंकर पिता अमरा चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 264/3 | 0.550 | 0.020 | 0.000 | 0.020 |
| 15 | नानुराम पुरालाल पिता कवर लाल पारवती बाई बेवा कवरलाल शंकर लाल पिता मोखा मीणा, नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 265 | 2.000 | 0.040 | 0.010 | 0.050 |
| | | योग . . | | 0.240 | 0.130 | 0.370 |
| **ग्राम—पनवाड़ी** | | | | | | |
| 1 | कवरलाल पिता भवर लाल मीणा | 1014 | 0.200 | 0.000 | 0.020 | 0.020 |
| 2 | शिवनारायण पिता वरदीलाल मीणा | 757/1129 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| 3 | मोहनलाल मदन पिता माधु मीणा | 1015 | 0.090 | 0.000 | 0.020 | 0.020 |
| 4 | रतनलाल पिता मगन मीणा | 1016/1 | 0.030 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| | | 1023/2 | 0.400 | 0.000 | 0.020 | 0.020 |
| | | योग . . 2 | | 0.000 | 0.030 | 0.030 |
| 5 | सत्यनारायण पिता मगन मीणा | 1016/2 | 0.030 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| | | 757 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| | | 1023/1 | 0.200 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| | | योग . . 3 | | 0.000 | 0.030 | 0.030 |
| 6 | शिवनारायण लक्ष्मीनारायण पिता सीताराम मीणा. | 765 | 0.040 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| 7 | राधेश्याम पिता नानालाल मीणा | 764 | 0.020 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| 8 | घनश्याम पिता बद्रीलाल लोहार | 763 | 0.030 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| 9 | श्याम सुंदर पिता बंशीलाल शर्मा | 1017 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| 10 | मथुरा लाल पिता देवीलाल लोहार | 1020 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| 11 | उदयराम मथुरालाल शंकर लाल राधेश्याम पिता देव जी लोहार. | 756 | 0.040 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| 12 | रामेश्वर जुवार सिंह पिता पुरालाल मीणा | 1021 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| 13 | भगीरथ पिता भंवरलाल मीणा | 1022 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| 14 | बालु दिनेश पिता भगवान तेली | 755/1131 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| 15 | कालुराम पिता देवीलाल नई | 755 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | केशुराम पिता रामलाल मीणा | 754 पै. | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| 17 | प्रभुलाल पिता मगन मीणा | 753 | 0.020 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| 18 | रतनलाल राघुलाल शोभाराम रामेश्वर पिता तैली. | 734/2 | 0.200 | 0.000 | 0.020 | 0.020 |
| 19 | शिवनारायण पिता किशनलाल मीणा | 734/4 | 0.450 | 0.020 | 0.000 | 0.020 |
| 20 | अनुप कुमार पिता विरेन्द्र कुमार चौधरी | 1028 | 0.470 | 0.000 | 0.050 | 0.050 |
| | | 1031 | 0.250 | 0.000 | 0.020 | 0.020 |
| | | योग . . 2 | | 0.000 | 0.070 | 0.070 |
| 21 | देवीलाम पिता बापुलाल मीणा | 1027 | 0.200 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| 22 | प्रभुलाल पिता हिरालाल मीणा | 1029 | 0.360 | 0.030 | 0.000 | 0.030 |
| 23 | शंभुलाल लाल पिता देवीलाल मीणा | 1030 | 0.340 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| 24 | अमित कुमार पिता विरेन्द्र कुमार चौधरी | 964 | 2.530 | 0.070 | 0.000 | 0.070 |
| | | 710 | 0.700 | 0.050 | 0.000 | 0.050 |
| | | योग . . 2 | | 0.120 | 0.000 | 0.120 |
| 25 | मांगीलाल पिात मगन लाल मीणा | 1036 | 1.780 | 0.040 | 0.000 | 0.040 |
| 26 | तेजकुंवर बाई बेवा विरेन्द्र कुमार | 719 | 1.660 | 0.020 | 0.030 | 0.050 |
| | | 1035 | 0.310 | 0.000 | 0.030 | 0.030 |
| | | योग . . 2 | | 0.020 | 0.060 | 0.080 |
| 27 | प्रमिला बाई पति रमेशचन्द्र चौधरी | 720 | 1.610 | 0.100 | 0.020 | 0.120 |
| 28 | जगदीश पिता कालुराम मीणा | 710 | 0.770 | 0.050 | 0.000 | 0.050 |
| 29 | कालुराम पिता बाबुलाल मीणा | 709 | 0.730 | 0.040 | 0.000 | 0.040 |
| 30 | भागीरथ पिता भवँरलाल मीणा | 1038 | 0.640 | 0.030 | 0.000 | 0.030 |
| 31 | प्रभुलाल पिता रामनारायण मीणा | 1039 | 0.370 | 0.020 | 0.000 | 0.020 |
| 32 | रोशन सुभान अजिज खाजु शरीफ पिता रमजानी पिंजारा सा. साठखेडा. | 1102 | 0.900 | 0.070 | 0.000 | 0.070 |
| 33 | खाजु पिता अलाबक्ष पिंजारा सा. साठखेडा | 1101 | 0.870 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| 34 | खाजु पिता सुभान पिंजारा सा. साठखेडा | 1099 | 0.920 | 0.050 | 0.000 | 0.050 |
| | | 1092 | 0.130 | 0.070 | 0.000 | 0.070 |
| | | 1097 | 0.560 | 0.020 | 0.000 | 0.020 |
| | | योग . . 3 | | 0.140 | 0.000 | 0.140 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | मोहनलाल बद्रीलाल रामचन्द्र | 1096 | 0.600 | 0.040 | 0.000 | 0.040 |
| | राणेश्याम पिता फकीर चंद कुम्हार सा. साठखेडा. | 1093 | 0.270 | 0.030 | 0.000 | 0.030 |
| | योग . . 2 | | | 0.070 | 0.000 | 0.070 |
| | महायोग . . | | 9.740 | 0.750 | 0.430 | 1.180 |

**ग्राम साठखेडा :**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चांद मोहम्द पिता अजिमुल्ला रसुल गुलाम मोहम्मद निजामुदिन हबीब हमीर मुस्ताक एहमद पिता रहिममुला सुगरा बाई बेवा रहिममुला इदीबाई पिता रहिममुला सेहजाद पिता रहिममुला अ. पा. कर्ता मेरोज बेवा रहिममुला नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 75 | 0.405 | 0.000 | 0.070 | 0.070 |
| 2 | हाजनबी बेवा मांगु कालु मोहम्मद पिता उसमान ना. बा. अ.पा. कर्ता माता हाफिजन बेवा उरमान गुलाम मोहम्मद वाजगनी मो. अलादीन हासम इल्यास एहमद पिता पारबक्ष मो. बापु पिता रोशन शायरा जुबेदा पिता रोशन गुलजार मेमरूदीन इक्रामउदीन कामरोउदीन मुस्ताक एहमद पिता वली मो. | 159 | 0.506 | 0.000 | 0.180 | 0.180 |
| 3 | कालु रफिक मो. पिता शफी मोहम्मद अलानुर शकुर पिता करिम जाति पिंजारा नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 78 | 0.138 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| 4 | राजेश्वर पिता नारायण गायरी नि. ग्राम भूमि स्वामी | 144/1 | 0.800 | 0.000 | 0.030 | 0.030 |
| 5 | प्रेम बाई धोबी नि. ग्राम भूमि स्वामी | 144/2 | 0.769 | 0.000 | 0.030 | 0.030 |
| 6 | देवीलाल पिता उकारलाल धापुबाई बेवा उकारलाल गायरी नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 144/3 | 0.250 | 0.030 | 0.000 | 0.030 |
| 7 | एहमदनुर पिता मो. राजु हाफिज पिता नबीनुर करीम बाई बेवा मो. व एहसान मजिद पिता खाजु व खातुन बाई बेवा खाजु पिंजारा नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 97 | 0.849 | 0.000 | 0.060 | 0.060 |
| | | 98 पै. | 0.136 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| | योग . . 2 | | | 0.000 | 0.070 | 0.070 |
| | महायोग . . | | 2.868 | 0.030 | 0.390 | 0.420 |

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 603-13-14-प्र. क्र. 04-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में पोलाडूंगर पहुंच मार्ग योजना में ग्राम खारखेडा की भूमि सड़क निर्माण के लिए आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है.

अत: भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

## अनुसूची (1)

**ग्राम-खारखेडा**

| स.क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | खारखेड़ा | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| | योग . . | 0.200 | 0.400 | 0.600 |

## अनुसूची (2)

**पोलाडूंगर पहुंच मार्ग**

| स.क्र. | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नम्बर | कुल भूमि का रकबा | प्रभावित भूमि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **ग्राम-खारखेडा** | | | | | | |
| 1 | बद्रीलाल पिता गमेर व राम कन्याबाई पति बद्रीलाल. | 2/1 | 0.500 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| 2 | अवंताबाई पति शंकरसिंग सौ.रा. निवासी कोटडाखुर्द. | 2/13 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 3 | कालुराम पिता दौलतराम बलई ग्राम भूमि स्वामी, नि. खारखेडा. | 2/1 | 0.500 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| | | योग . . 3 | 1.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 609-13-14-प्र. क्र. 01-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में टकरावद से देवरी हरिपुरा तक पहुंच मार्ग योजना में ग्राम टकरावद की भूमि सड़क निर्माण के लिए आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है.

अत: भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

## अनुसूची (1)

**ग्राम-टकरावद**

| स.क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | टकरावद | 0.210 | 0.350 | 0.560 |
| | योग . . | 0.210 | 0.350 | 0.560 |

## अनुसूची (2)

**टकरावद से देवरी हरिपुरा पहुंच मार्ग**

| स.क्र. | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नम्बर | कुल भूमि का रकबा | प्रभावित भूमि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **ग्राम-टकरावद** | | | | | | |
| 1 | हीरालाल पिता नवल मीणा | 230 | 0.820 | 0.140 | 0.000 | 0.140 |
| 2 | वरदीलाल पिता मांगीलाल चमार | 212पै. | 0.260 | 0.000 | 0.060 | 0.060 |
| 3 | बंशीलाल पिता डालुराम चमार | 212 पै. | 0.330 | 0.000 | 0.060 | 0.060 |
| 4 | मोहनलाल पिता बद्दा बलाई | 232/2 | 0.350 | 0.000 | 0.080 | 0.080 |
| 5 | रतनलाल पिता बद्दा बलाई | 232/1 | 0.460 | 0.000 | 0.080 | 0.080 |
| 6 | सम्मपतकुंवर पति गोपालसिंह | 235 | 0.400 | 0.070 | 0.000 | 0.070 |
| 7 | सम्मपतकुंवर पति गोपालसिंह | 236 | 0.400 | 0.000 | 0.070 | 0.070 |
| | | योग . . 3 | 3.020 | 0.210 | 0.350 | 0.560 |

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**संजीव सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 23 मार्च 2015

क्र. 664.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ-1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ-2 में दर्शित नाम से तहसील लटेरी, जिला विदिशा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

### अनुसूची

| स्तम्भ-1 भू-भाग का विवरण | | | | स्तम्भ-2 राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | मूल ग्राम का नाम | पटवारी हल्का नंबर | पृथक् किया गया क्षेत्रफल | राजस्व ग्राम का नाम | हल्का नम्बर |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | दपकन | 49 | 143.460 | नैनागढ़ (चमारपुरा) | 49 |
| 2 | तिलौनी | 54 | 477.524 | कर्राबर्री | 54 |
| | | | 174.721 | रानीधार | 54 |

**एम. बी. ओझा,** कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 30 मार्च 2015

क्र. 77-भू-अर्जन-2015.—महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमि., खरगोन द्वारा पत्र क्र. एनटीपीसी-4245, दिनांक 10 दिसम्बर 2014 एवं पत्र क्र. खरगोन-एनटीपीसी-2015-4628, दिनांक 20 मार्च 2015 द्वारा जिला खरगोन की तहसील सनावद के ग्राम सेल्दा, डालची में स्थापित की जा रही 660×2 मेगावाट की वृहद ताप विद्युत् परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ निर्माण हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) के अध्याय-2(अ) धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15(1)/2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नीरज दुबे, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक

परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं :—

| अ.क्र. | जिला | तहसील | प.ह.नं. | ग्राम का नाम | प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | खरगोन | सनावद | 9 | भगोरा | 3.083 | खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ निर्माण हेतु. |
| 2 | —''— | —''— | 9 | भातुड | 6.101 | |
| 3 | —''— | —''— | 9 | डाल्याखेड़ी | 6.968 | |
| 4 | | | 10 | भोगावानिपानी | 1.379 | |
| 5 | —''— | —''— | 11 | खानपुरा | 5.163 | |
| 6 | —''— | —''— | 11 | भुगदड़ | 4.974 | |
| 7 | —''— | —''— | 11 | टाकली | 5.269 | |
| 8 | —''— | —''— | 12 | आरसी | 25.808 | |
| 9 | —''— | —''— | 17 | बालाबाद | 6.658 | |
| 10 | —''— | —''— | 21 | बैड़िया | 15.300 | |
| 11 | —''— | —''— | 23 | तमोलिया | 0.452 | |
| 12 | —''— | —''— | 23 | बागदा खुर्द | 5.125 | |
| 13 | —''— | —''— | 24 | बागदा बुजुर्ग | 5.764 | |
| 14 | —''— | —''— | 26 | गोराड़िया | 0.888 | |
| 15 | —''— | —''— | 30 | बिराली | 10.616 | |
| 16 | —''— | —''— | 30 | चमारदड़ | 4.756 | |
| 17 | —''— | —''— | 31 | टोकलाय | 0.210 | |
| 18 | —''— | —''— | 31 | मोखनगांव | 7.407 | |
| 19 | —''— | —''— | 40 | ढकलगांव | 16.348 | |
| 20 | —''— | —''— | 48 | बोदगांव | 8.565 | |
| 21 | —''— | —''— | 49 | भोपालपुरा | 2.855 | |
| 22 | —''— | —''— | 49 | बमनगांव | 7.989 | |
| 23 | —''— | —''— | 50 | ढसगांव | 1.615 | |
| | | | | योग : | 153.293 | |

**नोट** :—1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, परियोजना एनटीपीसी लिमि. खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**नीरज दुबे**, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

### मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2015

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-2014-15-132.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहन लाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पेराई मौसम वर्ष 2014-15 हेतु आकृति शुगर मिल प्रा. लि. तूमड़ा, जिला नरसिंहपुर (म. प्र.) मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :—

| क्र. | जिला/तहसील | क्रय केन्द्र | ग्रामों की संख्या | क्षेत्र (हेक्टेयर) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | नरसिंहपुर/गाडरवारा | मिल द्वार | 40 | 2174.48 |
| 2 | होशंगाबाद/बनखेड़ी | मिल द्वार | 23 | 741.40 |
| 3 | रायसेन/उदयपुरा | मिल द्वार | 42 | 557.84 |
| 4 | रायसेन/सिलवानी | मिल द्वार | 31 | 375.20 |
| | | योग : | 136 | 3848.92 |

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है, यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पेराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

**गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2014-15**
**आकृति शुगर मिल ( इकाई माँ भगवती शुगर मिल लि. ) ग्राम-तूमड़ा**
**ग्रामवार गन्ने के रकबे की जानकारी**

**जिला नरसिंहपुर**

| क्रमांक | ग्राम का नाम | तहसील | प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | कुल योग | फैक्ट्री से दूरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | तूमड़ा | गाडरवारा | 64.6 | 14 | 4.2 | 82.8 | 0 |
| 2 | संसारखेड़ा | गाडरवारा | 2.4 | 0.2 | 0 | 2.6 | 1.93 |
| 3 | महेश्वर | गाडरवारा | 15 | 3.6 | 0 | 18.6 | 2.57 |
| 4 | गेहरागाव | गाडरवारा | 104 | 39.2 | 4.2 | 147.4 | 4.83 |
| 5 | मुआर | गाडरवारा | 21 | 2.8 | 0 | 23.8 | 7.72 |
| 6 | सिरसरी | गाडरवारा | 18.6 | 6.4 | 0 | 25 | 8.05 |
| 7 | संदूक | गाडरवारा | 2.4 | 1.6 | 0 | 4 | 8.37 |
| 8 | निमावर | गाडरवारा | 41.6 | 15.8 | 2.8 | 60.2 | 6.11 |
| 9 | झिकोली | गाडरवारा | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0.7 |
| 10 | बरहठा | गाडरवारा | 35.4 | 15 | 1.2 | 51.6 | 6.11 |
| 11 | बम्होरी | गाडरवारा | 26.9 | 30.2 | 11.6 | 68.7 | 4.5 |
| 12 | साईखेड़ा | गाडरवारा | 24 | 6 | 1.2 | 31.2 | 4.18 |
| 13 | खिरेटी | गाडरवारा | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 | 2.01 |
| 14 | बंधा | गाडरवारा | 13 | 3.4 | 0 | 16.4 | 8.38 |
| 15 | पिटरास | गाडरवारा | 17.2 | 2 | 0 | 19.2 | 2.92 |
| 16 | छोटी सोनकच्छ | गाडरवारा | 17 | 2.8 | 0 | 19.8 | 4.79 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | महुआखेड़ा | गाडरवारा | 1.4 | 1.1 | 0 | 2.5 | 5.02 |
| 18 | रम्पुरा | गाडरवारा | 63.5 | 48 | 3.2 | 114.7 | 7.08 |
| 19 | अंघोरी | गाडरवारा | 7.4 | 7.8 | 1.6 | 16.8 | 9.33 |
| 20 | झिरीया | गाडरवारा | 35.8 | 25.6 | 2.4 | 63.8 | 9.66 |
| 21 | करहैया | गाडरवारा | 20.6 | 20.6 | 2 | 43.2 | 11.27 |
| 22 | पिपरपानी | गाडरवारा | 28.2 | 13.2 | 2.8 | 44.2 | 8.69 |
| 23 | पिपरीयाखुर्द | गाडरवारा | 56.6 | 2.8 | 32 | 91.4 | 11.27 |
| 24 | रहली | गाडरवारा | 1.8 | 0.4 | 0 | 2.2 | 6.44 |
| 25 | बांसखेंडा | गाडरवारा | 72.6 | 31 | 15 | 118.6 | 13.84 |
| 26 | पिपरीयाकला | गाडरवारा | 21.2 | 22.8 | 4.8 | 48.8 | 12.55 |
| 27 | उडनी | गाडरवारा | 56.7 | 26.1 | 18.6 | 101.4 | 10.62 |
| 28 | मडगोला | गाडरवारा | 33.6 | 12.8 | 3.6 | 50 | 15.13 |
| 29 | सासबहू | गाडरवारा | 32.5 | 57.2 | 30 | 119.7 | 12.55 |
| 30 | टेकापार | गाडरवारा | 39.8 | 20.6 | 6.4 | 66.8 | 9.33 |
| 31 | उसरायं | गाडरवारा | 6.8 | 7 | 1.6 | 15.4 | 12.55 |
| 32 | सुक्का | गाडरवारा | 18.6 | 33 | 18.4 | 70 | 9.01 |
| 33 | बनवारी | गाडरवारा | 82.6 | 88.2 | 48.6 | 219.4 | 9.98 |
| 34 | सेंठान | गाडरवारा | 39.4 | 38 | 12 | 89.4 | 6.76 |
| 35 | देतपोन | गाडरवारा | 44.64 | 47.9 | 11.8 | 104.34 | 7.01 |
| 36 | खेरी | गाडरवारा | 23.94 | 17 | 1.8 | 42.74 | 6.76 |
| 37 | धनौरा | गाडरवारा | 52.6 | 37.4 | 7 | 97 | 9.01 |
| 38 | अजंदा | गाडरवारा | 21.4 | 17.4 | 2 | 40.8 | 8.05 |
| 39 | पाली | गाडरवारा | 3.4 | 10.8 | 4 | 18.2 | 10.3 |
| 40 | टुइयांपाना | गाडरवारा | 1.2 | 2 | 1 | 4.2 | 10.94 |
| | | योग : | 1185.78 | 729.7 | 254.8 | 2174.48 | |

## जिला रायसेन

| क्रमांक | ग्राम का नाम | तहसील | प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | कुल योग | फैक्ट्री से दूरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | उदयपुरा | उदयपुरा | 14.4 | 0 | 2 | 16.4 | 7 |
| 2 | रहेली | उदयपुरा | 12.24 | 0.8 | 0 | 13.04 | 6 |
| 3 | चंदली | उदयपुरा | 4.2 | 0.4 | 0 | 4.6 | 9 |
| 4 | गायबियान | उदयपुरा | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.2 | 7 |
| 5 | आंवरिया | उदयपुरा | 4 | 0 | 0.8 | 4.8 | 11 |
| 6 | सुरेला | उदयपुरा | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | 17 |
| 7 | बोरास | उदयपुरा | 21.8 | 1.8 | 0 | 23.6 | 2 |
| 8 | बम्होरीबासोदा | उदयपुरा | 6.6 | 2 | 0 | 8.6 | 6 |
| 9 | सुल्तानगंज | उदयपुरा | 7 | 6.2 | 0 | 13.2 | 3 |
| 10 | घानाबहेरिया | उदयपुरा | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 11 | सिंहपुर | उदयपुरा | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 18 |
| 12 | केतोधाम | उदयपुरा | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 15 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | बलिराम बम्होरी | उदयपुरा | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 18 |
| 14 | अंघोरा | उदयपुरा | 14.6 | 2.4 | 0 | 17 | 9 |
| 15 | बीसावारी | उदयपुरा | 24 | 11 | 0.4 | 35.4 | 10 |
| 16 | चंदपुरा | उदयपुरा | 7.4 | 1.6 | 0 | 9 | 8 |
| 17 | चिरचिटा | उदयपुरा | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 15 |
| 18 | किरगी | उदयपुरा | 6.8 | 1.6 | 0 | 8.4 | 5 |
| 19 | सतहरी | उदयपुरा | 12.2 | 4.8 | 0 | 17 | 9 |
| 20 | बिलगवां | उदयपुरा | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 8 |
| 21 | सिलारीकला | उदयपुरा | 52 | 29.2 | 2 | 83.2 | 8 |
| 22 | बड़ी केलकच्छ | उदयपुरा | 11.6 | 3.2 | 0 | 14.8 | 7 |
| 23 | बारहकला | उदयपुरा | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 10 |
| 24 | बरबतपुर | उदयपुरा | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 25 | ककरूआ | उदयपुरा | 6 | 1.2 | 0 | 7.2 | 8 |
| 26 | अंडिया | उदयपुरा | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 8 |
| 27 | चौरास | उदयपुरा | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 | 4 |
| 28 | चिकली | उदयपुरा | 35.6 | 35.8 | 0 | 71.4 | 8 |
| 29 | बीझा | उदयपुरा | 4.4 | 1.2 | 0 | 5.6 | 11 |
| 30 | भुपतपुर | उदयपुरा | 13.6 | 2.4 | 0 | 16 | 10 |
| 31 | चिकडा | उदयपुरा | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 14 |
| 32 | घाना | उदयपुरा | 6.8 | 4.6 | 0 | 11.4 | 9 |
| 33 | जाम | उदयपुरा | 8 | 2.4 | 0 | 10.4 | 10 |
| 34 | कानीवाडा | उदयपुरा | 10.8 | 2 | 0 | 12.8 | 9 |
| 35 | केकडा | उदयपुरा | 10 | 3.2 | 0 | 13.2 | 8 |
| 36 | मोथा | उदयपुरा | 13.2 | 4.4 | 0 | 17.6 | 8 |
| 37 | पांजरा | उदयपुरा | 4.4 | 1.6 | 0 | 6 | 10 |
| 38 | पावनीया | उदयपुरा | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 9 |
| 39 | पपलई | उदयपुरा | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 15 |
| 40 | रिछावर | उदयपुरा | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 13 |
| 41 | सांईखेड़ा | उदयपुरा | 4.4 | 2.4 | 0 | 6.8 | 10 |
| 42 | थालादिगावन | उदयपुरा | 22 | 30.8 | 0 | 52.8 | 15 |
| | | कुल योग : | 384.84 | 167.4 | 5.6 | 557.84 | |

## जिला रायसेन

| क्रमांक | ग्राम का नाम | तहसील | प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | कुल योग | फैक्ट्री से दूरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | बक्सी | सिलवानी | 14.4 | 4.4 | 0.4 | 19.2 | 25 |
| 2 | बक्सी पिपरिया | सिलवानी | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 5.6 | 26 |
| 3 | बेरुआ | सिलवानी | 1 | 1.2 | 0 | 2.2 | 19 |
| 4 | भटपुरा | सिलवानी | 4 | 2 | 1.2 | 7.2 | 27 |
| 5 | बिताली | सिलवानी | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 21 |
| 6 | बूढ़ा | सिलवानी | 16.6 | 12.6 | 13.6 | 42.8 | 34 |
| 7 | चंदन पिपलिया | सिलवानी | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 19 |
| 8 | चंतपुरा कला | सिलवानी | 11.6 | 5.4 | 3 | 20 | 30 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | चौका | सिलवानी | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 23 |
| 10 | चिल्ली | सिलवानी | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 20 |
| 11 | चिचौली | सिलवानी | 2.8 | 0.4 | 1.2 | 4.4 | 33 |
| 12 | चिरचिटा | सिलवानी | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 13 | देवरी जागीर | सिलवानी | 2.4 | 1.6 | 2 | 6 | 29 |
| 14 | धनगवां | सिलवानी | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| 15 | डूंगरिया | सिलवानी | 13.2 | 4 | 1.6 | 18.8 | 34 |
| 16 | गोरखा | सिलवानी | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 19 |
| 17 | हमीरपुर | सिलवानी | 20.8 | 17.6 | 7.4 | 45.8 | 26 |
| 18 | खमरिया | सिलवानी | 10 | 2 | 5.2 | 17.2 | 28 |
| 19 | मढिया देवरी | सिलवानी | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 30 |
| 20 | मोरन पिपरिया | सिलवानी | 4 | 1.6 | 0 | 5.6 | 31 |
| 21 | मुआर | सिलवानी | 10.4 | 7.6 | 4.4 | 22.4 | 29 |
| 22 | साईखेड़ा | सिलवानी | 6 | 0.8 | 0 | 6.8 | 33 |
| 23 | सर्रा | सिलवानी | 15 | 12 | 6.4 | 33.4 | 28 |
| 24 | सिलवानी | सिलवानी | 6 | 0.8 | 0.4 | 7.2 | 32 |
| 25 | सिमरिया | सिलवानी | 4.8 | 0.8 | 0 | 5.6 | 35 |
| 26 | उसापुर | सिलवानी | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 36 |
| 27 | निगारी | सिलवानी | 0.8 | 2.4 | 0 | 3.2 | 32 |
| 28 | पढीपौडी | सिलवानी | 26 | 13.8 | 16.4 | 56.2 | 25 |
| 29 | रमपुरा | सिलवानी | 5.6 | 0.4 | 0 | 6 | 38 |
| 30 | रसोडा | सिलवानी | 4.4 | 0.4 | 0 | 4.8 | 29 |
| 31 | सहजपुर | सिलवानी | 7.2 | 6.8 | 4.4 | 18.4 | 30 |
| | | कुल योग : | 203.8 | 100.2 | 71.2 | 375.2 | |

**जिला होशंगाबाद**

| क्रमांक | ग्राम का नाम | तहसील | प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | कुल योग | फैक्ट्री से दूरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | आमगांव | बनखेडी | 18.8 | 10 | 0 | 28.8 | 10.3 |
| 2 | अम्होरी | बनखेडी | 11.2 | 3.6 | 5.2 | 20 | 10.94 |
| 3 | अन्हाई | बनखेडी | 72.4 | 37.6 | 0 | 110 | 7.72 |
| 4 | वारछी | बनखेडी | 13.6 | 3.6 | 0 | 17.2 | 6.11 |
| 5 | वेदर | बनखेडी | 6 | 2.8 | 0 | 8.8 | 7.4 |
| 6 | ईमलिया | बनखेडी | 57.4 | 71.4 | 8 | 136.8 | 6.44 |
| 7 | गाडरवाराखुर्द | बनखेडी | 45.2 | 14 | 1.2 | 60.4 | 9.33 |
| 8 | जमुनिया | बनखेडी | 14 | 4.8 | 0 | 18.8 | 9.33 |
| 9 | जुनावारी | बनखेडी | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 13.84 |
| 10 | करपा | बनखेडी | 14.4 | 50.8 | 18 | 83.2 | 12.88 |
| 11 | मलकजरा | बनखेडी | 6 | 2.8 | 0 | 8.8 | 6.76 |
| 12 | निम्होरा | बनखेडी | 32 | 16.8 | 20.4 | 69.2 | 9.66 |
| 13 | पुरैना रनधीर | बनखेडी | 21.2 | 29.6 | 0 | 50.8 | 14.81 |
| 14 | राजापिपरीया | बनखेडी | 12.4 | 8 | 0 | 20.4 | 8.69 |
| 15 | समनापुर | बनखेडी | 4 | 5.2 | 1.6 | 10.8 | 13.52 |
| 16 | सेमखेडा | बनखेडी | 10 | 6 | 0 | 16 | 8.05 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | खेरी रनधीर | बनखेडी | 3 | 2 | 1.2 | 6.2 | 8.69 |
| 18 | सुरेला रनधीर | बनखेडी | 2 | 2 | 1.5 | 5.5 | 9.01 |
| 19 | पासी | बनखेडी | 3.5 | 2 | 1 | 6.5 | 7.4 |
| 20 | सलैया किशोर | बनखेडी | 5.2 | 1.2 | 0 | 6.4 | 7.13 |
| 21 | टाटरा | बनखेडी | 2.8 | 2 | 0 | 4.8 | 5.15 |
| 22 | सिनसरी | बनखेडी | 2.8 | | 4.8 | 8.4 | 11.27 |
| 23 | उमरधा | बनखेडी | 14 | 26.8 | 0 | 40.8 | 10.94 |
| | | कुल योग : | 371.9 | 306.6 | 62.9 | 741.4 | |

**मोहन लाल**, गन्ना आयुक्त.

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2015

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-2014-15-136.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहन लाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पेराई मौसम वर्ष 2014-15 हेतु श्रीजी शुगर एण्ड पावर प्रा. लि. सोहागपुर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :—

| क्र. | जिला/तहसील | क्रय केन्द्र | ग्रामों की संख्या | क्षेत्र (हेक्टेयर) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | बैतूल/बैतूल | मिल द्वार | 102 | 6106.48 |
| 2 | बैतूल/घौड़ाडोंगरी | मिल द्वार | 5 | 136.64 |
| 3 | बैतूल/चिचौली | मिल द्वार | 6 | 260.32 |
| | | योग : | 113 | 5603.44 |

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है, यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पेराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

**श्रीजी शुगर एण्ड पावर प्रा. लि. सोहागपुर, जिला बैतूल,**
**बैतूल की तहसीलों का ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट, सत्र 2014-15**
**तहसील बैतूल के ग्रामों की सूची ( 0-15 कि. मी. की दूरी के गांव )**

**( गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में )**

| क्रमांक | गांव का नाम | पौधा | पेड़ी का योग | पेड़ी+पौधा योग | कृषक संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | सोहागपुर | 57.49 | 150.61 | 208.10 | 165 |
| 2 | अनकावाड़ी | 6.88 | 55.78 | 21.66 | 6 |
| 3 | सापना | 7.69 | 6.88 | 14.57 | 7 |
| 4 | मिलानपुर | 42.91 | 26.32 | 69.23 | 27 |
| 5 | आरूल | 37.04 | 53.85 | 90.89 | 33 |
| 6 | बाजपुर | 43.93 | 62.96 | 106.88 | 61 |
| 7 | बुंडाला | 25.91 | 46.36 | 72.27 | 40 |
| 8 | रतनपुर | 21.26 | 41.09 | 62.35 | 38 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | जैतापुर | 6.07 | 11.13 | 17.21 | 10 |
| 10 | जावरा | 37.45 | 38.87 | 76.32 | 63 |
| 11 | ऐनखेड़ा | 23.89 | 17.00 | 40.89 | 37 |
| 12 | साईखंडारा | 8.30 | 4.86 | 13.16 | 10 |
| 13 | परतापुर | 10.73 | 15.99 | 26.72 | 11 |
| 14 | बागदा | 12.55 | 14.98 | 27.63 | 10 |
| 15 | काजी नामठी | 17.00 | 31.38 | 48.38 | 20 |
| 16 | भिलावाड़ी | 17.61 | 25.91 | 43.00 | 28 |
| 17 | बरसाली | 23.68 | 47.37 | 71.05 | 31 |
| 18 | लाखापुर | 11.34 | 19.23 | 30.57 | 23 |
| 19 | मोवाड़ | 27.73 | 22.67 | 50.40 | 24 |
| 20 | हसलपुर | 5.67 | 9.31 | 14.98 | 6 |
| 21 | बल्लाचाल | 16.60 | 17.00 | 33.60 | 13 |
| 22 | मलकापुर | 98.18 | 209.51 | 307.69 | 101 |
| 23 | भैंसदेही | 37.45 | 73.28 | 110.73 | 56 |
| 24 | खेड़ली | 42.91 | 80.97 | 123.89 | 35 |
| 25 | खंडारा | 91.30 | 131.98 | 223.28 | 77 |
| 26 | कुम्हारटेक | 30.77 | 23.48 | 54.25 | 29 |
| 27 | ग्यारसपुर | 8.50 | 14.17 | 22.67 | 15 |
| 28 | सोम्बारीपेट | 6.88 | 4.05 | 10.93 | 3 |
| 29 | हमलापुर | 30.77 | 32.39 | 63.16 | 25 |
| 30 | खंजनपुर | 2.02 | 3.64 | 5.67 | 4 |
| 31 | उमरी | 28.74 | 50.61 | 79.35 | 33 |
| 32 | केलापुर | 14.98 | 23.48 | 38.46 | 18 |
| 33 | बैतूल | 15.99 | 34.01 | 50.00 | 12 |
| 34 | टिकारी | 29.96 | 27.53 | 57.49 | 23 |
| 35 | सोनाघाटी | 1.21 | 2.83 | 4.05 | 4 |
| 36 | बघवाड़ | 12.15 | 29.96 | 42.11 | 24 |
| 37 | बैतूल बाजार | 510.53 | 573.68 | 1084.21 | 438 |
| 38 | भरकावाड़ी | 34.01 | 33.20 | 67.21 | 29 |
| 39 | सूरगांव | 3.44 | 5.26 | 8.70 | 6 |
| 40 | अमदर | 20.45 | 10.73 | 31.17 | 17 |
| 41 | कोलगांव | 3.04 | 0.40 | 3.44 | 3 |
| 42 | सेहरा | 11.94 | 26.92 | 38.87 | 27 |
| 43 | जोडक्या | 7.69 | 8.50 | 16.19 | 13 |
| 44 | सेलगांव | 10.73 | 7.29 | 18.02 | 18 |
| 45 | हथनोरा | 3.64 | 5.06 | 8.70 | 4 |
| 46 | परसोड़ी | 2.63 | 4.45 | 7.09 | 7 |
| 47 | जगधर | 3.64 | 1.42 | 5.06 | 5 |
| 48 | बारव्ही | 18.42 | 16.19 | 34.62 | 32 |
| 49 | जामठी | 24.09 | 20.85 | 44.94 | 20 |
| 50 | उड़दन | 13.77 | 14.57 | 28.34 | 14 |
| 51 | कोसमी | 19.43 | 52.43 | 71.86 | 40 |
| 52 | टेमनी | 20.24 | 42.71 | 62.96 | 36 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | पांगरा | 11.34 | 22.87 | 34.21 | 30 |
| 54 | भयावाड़ी | 24.49 | 28.95 | 53.44 | 34 |
| 55 | बडोरा | 71.05 | 143.12 | 214.17 | 106 |
| 56 | भोगीतेड़ा | 36.03 | 69.64 | 105.67 | 42 |
| 57 | दनोरा | 56.28 | 96.96 | 153.24 | 79 |
| 58 | भड़ूस | 68.22 | 95.75 | 163.97 | 86 |
| 59 | रोंढ़ा | 29.96 | 31.17 | 61.13 | 50 |
| 60 | करजगांव | 5.06 | 3.44 | 8.50 | 5 |
| 61 | खड़ला | 9.31 | 6.48 | 15.79 | 14 |
| 62 | खेड़ीसावलीगढ़ | 24.09 | 24.90 | 48.99 | 28 |
| 63 | डहरगांव | 33.81 | 27.73 | 61.54 | 44 |
| 64 | नयेगांव | 9.72 | 8.91 | 18.62 | 10 |
| 65 | महदगांव | 28.54 | 30.57 | 59.11 | 48 |
| 66 | ढोंढवाड़ा | 8.10 | 12.35 | 20.45 | 25 |
| 67 | दभेरी | 6.07 | 8.10 | 14.17 | 12 |
| 68 | सेलगांव | 7.69 | 7.69 | 15.38 | 11 |
| 69 | साई खेड़ा | 29.35 | 15.18 | 44.53 | 41 |
| 70 | जामगांव | 14.57 | 7.89 | 22.47 | 21 |
| 71 | ससुन्द्रा | 12.96 | 12.15 | 25.10 | 29 |
| 72 | देवठान | 24.29 | 28.74 | 53.04 | 49 |
| 73 | उमनबीरा | 2.63 | 4.66 | 7.29 | 9 |
| 74 | नांदपुर | 24.29 | 18.83 | 43.12 | 31 |
| 75 | अंधारिया | 17.61 | 14.98 | 32.59 | 43 |
| 76 | धारनी | 3.44 | 8.91 | 12.35 | 17 |
| 77 | जम्बाड़ी | 8.91 | 7.29 | 16.19 | 15 |
| 78 | वलनी | 7.29 | 6.07 | 13.36 | 16 |
| 79 | परमंडल | 2.02 | 1.21 | 3.24 | 4 |
| 80 | पंखा नयेगांव | 11.74 | 4.05 | 15.79 | 14 |
| 81 | नाहिया | 6.48 | 9.11 | 15.59 | 15 |
| 82 | रातामाटी बुजूर्ग | 15.59 | 17.61 | 33.20 | 22 |
| 83 | कढ़ाई | 4.45 | 8.30 | 12.75 | 8 |
| 84 | झगड़िया | 13.16 | 18.02 | 31.17 | 20 |
| 85 | टिगरया | 13.36 | 8.70 | 22.06 | 18 |
| 86 | लापाझिरी | 26.11 | 31.38 | 57.49 | 34 |
| 87 | देवगांव | 21.05 | 13.77 | 34.82 | 20 |
| 88 | छुरी | 15.38 | 15.79 | 31.17 | 28 |
| 89 | माथनी | 22.27 | 22.06 | 44.33 | 40 |
| 90 | रातामाटी खुर्द | 12.75 | 15.79 | 28.54 | 21 |
| 91 | देवठान | 7.89 | 9.72 | 17.61 | 12 |
| 92 | डोक्या पाढर | 32.79 | 33.20 | 65.99 | 49 |
| 93 | गेंहू रास | 11.94 | 12.55 | 24.49 | 23 |
| 94 | चांद बेहड़ा | 23.08 | 14.17 | 37.25 | 22 |
| 95 | बडगी बुजूर्ग | 21.26 | 18.42 | 39.68 | 19 |
| 96 | मंडई बुजूर्ग | 20.04 | 29.35 | 49.39 | 33 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | सात ईमली | 9.72 | 10.53 | 20.24 | 21 |
| 98 | कोदा रोटी | 37.45 | 40.49 | 77.94 | 49 |
| 99 | डुण्डा बोरगांव | 11.34 | 20.24 | 31.58 | 15 |
| 100 | हिवरखेड़ी | 43.52 | 40.69 | 84.21 | 46 |
| 101 | मण्डई खुर्द | 45.34 | 70.45 | 115.79 | 65 |
| 102 | झाड़ेगांव | 10.93 | 17.41 | 28.34 | 23 |
| | | योग . . 2636.03 | 3470.45 | 6106.48 | 3353 |
| | | **तहसील घोड़ाडोंगरी** | | | |
| 1 | चिखली माल | 27.13 | 21.86 | 48.99 | 30 |
| 2 | नीम पानी | 7.89 | 5.67 | 13.56 | 6 |
| 3 | पाढर | 6.07 | 7.69 | 13.77 | 12 |
| 4 | डोलीढाना | 7.69 | 18.62 | 26.32 | 14 |
| 5 | लावन्या | 16.19 | 17.81 | 34.01 | 21 |
| | | योग . . 64.98 | 71.66 | 136.64 | 85 |
| | | **तहसील चिचोली** | | | |
| 1 | चुड़ीया | 24.90 | 9.72 | 34.62 | 21 |
| 2 | निवारी | 34.41 | 32.19 | 66.60 | 35 |
| 3 | चिचोली | 45.75 | 23.48 | 69.23 | 41 |
| 4 | नसीराबाद | 14.17 | 17.21 | 31.38 | 16 |
| 5 | मिर्जापुर | 8.50 | 7.29 | 15.79 | 7 |
| 6 | जोगली | 19.64 | 23.08 | 42.71 | 21 |
| | | योग . . 147.37 | 112.96 | 260.32 | 141 |
| | | महोयोग . . 2848.38 | 3655.06 | 6503.44 | 3577.34 |

**मोहन लाल**, गन्ना आयुक्त.

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2015

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-2014-15-138.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहन लाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पेराई मौसम वर्ष 2014-15 हेतु वंशिका शुगर एण्ड पॉवर इण्डस्ट्रीज लि., बिलगुवा तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :—

| क्र. (1) | जिला/तहसील (2) | क्रय केन्द्र (3) | ग्रामों की संख्या (4) | क्षेत्र (हेक्टेयर) (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नरसिंहपुर/तेंदूखेड़ा | मिल द्वार | 95 | 2345.10 |
| 2 | नरसिंहपुर/करेली | मिल द्वार | 38 | 821.50 |
| 3 | सागर/देवरी | मिल द्वार | 26 | 354.30 |
| 4 | रायसेन/उदयपुरा | मिल द्वार | 25 | 231.60 |
| | | योग : | 184 | 3752.50 |

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है, यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पेराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

## वंशिका शुगर एण्ड पॉवर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बिलगुवां नरसिंहपुर
## गन्ना क्षेत्र आरक्षण पिराई सत्र 2014-15
## गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

**तहसील : तेन्दूखेड़ा**

| क्र. | ग्राम का नाम | क्षेत्र की कारखाना से दूरी | परिवहन का साधन | प. ह. नं. | गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र सत्र 2014-15 | | | योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में | जिला/तहसील | क्रय केन्द्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | नौरपा | जडी | मडी | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | | (7) | (8) | (9) |
| 1 | बिलगुवां | 3 | ट्रक/ट्रेक्टर | 6 | 8.80 | 7.60 | 1.60 | 18.00 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | सभी ग्रामों को |
| 2 | कुकवारा | 4 | ट्रक/ट्रेक्टर | 6 | 5.60 | 0.00 | 0.80 | 6.40 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | मिल गेट पर |
| 3 | मूढापार | 5 | ट्रक/ट्रेक्टर | 6 | 6.00 | 1.60 | 0.00 | 7.60 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | आबद्ध करने का |
| 4 | गुटौरी | 2 | ट्रक/ट्रेक्टर | 34 | 20.00 | 19.00 | 12.00 | 51.00 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | प्रस्ताव है. |
| 5 | बिजौरा | 3 | ट्रक/ट्रेक्टर | 34 | 11.80 | 5.20 | 0.00 | 17.00 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 6 | जमुनिया | 5 | ट्रक/ट्रेक्टर | 5 | 10.00 | 7.20 | 3.20 | 20.40 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 7 | पीपरवानी | 4 | ट्रक/ट्रेक्टर | 5 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 8 | जुझारी | 5 | ट्रक/ट्रेक्टर | 5 | 2.80 | 2.00 | 0.40 | 5.20 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 9 | मानकपुर | 3 | ट्रक/ट्रेक्टर | 35 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 10 | बांसखेडा | 2 | ट्रक/ट्रेक्टर | 35 | 11.40 | 8.20 | 0.20 | 19.80 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 11 | खैरी (महगुवां) | 5 | ट्रक/ट्रेक्टर | 35 | 12.40 | 5.20 | 0.00 | 17.60 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 12 | खैरीकलॉ | 5 | ट्रक/ट्रेक्टर | 29 | 21.00 | 17.00 | 8.80 | 46.80 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 13 | बरकुण्डा | 4 | ट्रक/ट्रेक्टर | 29 | 15.00 | 8.40 | 6.00 | 29.40 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 14 | मेंहदा | 6 | ट्रक/ट्रेक्टर | 29 | 9.80 | 12.00 | 0.00 | 21.80 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 15 | देवरी | 8 | ट्रक/ट्रेक्टर | 38 | 17.00 | 15.00 | 3.60 | 35.60 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 16 | पडरिया | 6 | ट्रक/ट्रेक्टर | 32 | 14.50 | 14.00 | 6.80 | 35.30 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 17 | रौंसरा | 7 | ट्रक/ट्रेक्टर | 39 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 18 | सिमरिया | 5 | ट्रक/ट्रेक्टर | 32 | 8.00 | 2.80 | 2.80 | 13.60 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 19 | इगुंवा | 5 | ट्रक/ट्रेक्टर | 7 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 20 | देवरी | 16 | ट्रक/ट्रेक्टर | 13 | 4.60 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 21 | बिचुआ | 15 | ट्रक/ट्रेक्टर | 13 | 1.60 | 0.80 | 0.00 | 2.40 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 22 | लोलरी | 12 | ट्रक/ट्रेक्टर | 39 | 11.20 | 8.80 | 3.60 | 23.60 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 23 | बम्हौरी | 9 | ट्रक/ट्रेक्टर | 39 | 4.00 | 0.40 | 0.00 | 4.40 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 24 | बिलहरा | 5 | ट्रक/ट्रेक्टर | 37 | 12.00 | 8.20 | 5.20 | 25.40 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 25 | गुंदरई | 20 | ट्रक/ट्रेक्टर | 36 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 26 | चौकी | 27 | ट्रक/ट्रेक्टर | 36 | 7.00 | 4.80 | 0.00 | 11.80 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 27 | नांदिया | 5 | ट्रक/ट्रेक्टर | 33 | 8.40 | 6.20 | 1.20 | 15.80 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 28 | खुमेरखेडा | 6 | ट्रक/ट्रेक्टर | 33 | 15.20 | 14.80 | 4.00 | 34.00 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 29 | धूपखेडा | 5 | ट्रक/ट्रेक्टर | 4 | 6.00 | 2.00 | 0.40 | 8.40 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 30 | परासिया | 7 | ट्रक/ट्रेक्टर | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 31 | रम्पुरा | 5 | ट्रक/ट्रेक्टर | 4 | 15.20 | 9.60 | 7.20 | 32.00 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 32 | हथनी | 7 | ट्रक/ट्रेक्टर | 4 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | कन्हैरी | 10 | ट्रक/ट्रेक्टर | 7 | 2.00 | 2.80 | 0.00 | 4.80 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | सभी ग्रामों को |
| 34 | खमरिया | 6 | ट्रक/ट्रेक्टर | 7 | 19.20 | 8.40 | 2.80 | 30.40 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | मिल गेट पर |
| 35 | डोभी | 8 | ट्रक/ट्रेक्टर | 28 | 52.00 | 40.30 | 9.20 | 101.50 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | आबद्ध करने का |
| 36 | चिलका | 9 | ट्रक/ट्रेक्टर | 30 | 18.40 | 12.80 | 2.40 | 33.60 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | प्रस्ताव है. |
| 37 | तेन्दूखेड़ा | 10 | ट्रक/ट्रेक्टर | 9 | 0.80 | 2.40 | 0.00 | 3.20 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 38 | सागौनी | 10 | ट्रक/ट्रेक्टर | 3 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 39 | घूघरी | 7 | ट्रक/ट्रेक्टर | 4 | 6.00 | 4.00 | 2.80 | 12.80 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 40 | महगुवां | 12 | ट्रक/ट्रेक्टर | 42 | 15.00 | 14.00 | 7.60 | 36.60 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 41 | कठौतिया | 13 | ट्रक/ट्रेक्टर | 8 | 0.00 | 1.20 | 0.20 | 1.40 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 42 | महुआखेड़ा | 16 | ट्रक/ट्रेक्टर | 43 | 0.80 | 6.00 | 6.40 | 13.20 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 43 | दमोहिया | 14 | ट्रक/ट्रेक्टर | 42 | 13.60 | 13.80 | 2.40 | 29.80 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 44 | बंधा | 12 | ट्रक/ट्रेक्टर | 31 | 13.00 | 20.80 | 8.20 | 42.00 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 45 | छत्तरपुर | 15 | ट्रक/ट्रेक्टर | 27 | 20.30 | 17.40 | 7.40 | 45.10 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 46 | इमलिया | 12 | ट्रक/ट्रेक्टर | 26 | 21.10 | 22.30 | 0.00 | 43.40 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 47 | नौरंगपुर | 11 | ट्रक/ट्रेक्टर | 30 | 19.00 | 9.20 | 1.60 | 29.80 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 48 | करहैया | 14 | ट्रक/ट्रेक्टर | 25 | 22.00 | 13.80 | 4.40 | 40.20 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 49 | बारहा | 16 | ट्रक/ट्रेक्टर | 25 | 19.30 | 10.00 | 0.00 | 29.30 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 50 | झिरी | 17 | ट्रक/ट्रेक्टर | 25 | 3.40 | 1.80 | 0.00 | 5.20 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 51 | सिमरिया कलॉ | 17 | ट्रक/ट्रेक्टर | 24 | 16.60 | 13.70 | 1.60 | 31.90 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 52 | सिमरिया खुर्द | 17 | ट्रक/ट्रेक्टर | 24 | 17.00 | 13.70 | 1.60 | 32.30 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 53 | बिल्थारी | 18 | ट्रक/ट्रेक्टर | 23 | 15.00 | 25.40 | 0.00 | 40.40 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 54 | कढैली | 14 | ट्रक/ट्रेक्टर | 24 | 20.00 | 15.40 | 0.20 | 35.60 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 55 | भामा | 21 | ट्रक/ट्रेक्टर | 20 | 23.20 | 10.00 | 2.40 | 35.60 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 56 | बीकोर | 25 | ट्रक/ट्रेक्टर | 21 | 16.40 | 7.60 | 2.00 | 26.00 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 57 | खोजर टपरिया | 17 | ट्रक/ट्रेक्टर | 9 | 15.40 | 12.20 | 7.60 | 35.20 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 58 | खैरूआ टपरिया | 15 | ट्रक/ट्रेक्टर | 9 | 5.80 | 2.00 | 0.00 | 7.80 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 59 | हीरापुर | 29 | ट्रक/ट्रेक्टर | 22 | 20.00 | 17.30 | 12.00 | 49.30 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 60 | ग्वारी | 18 | ट्रक/ट्रेक्टर | 18 | 15.00 | 14.00 | 1.60 | 30.60 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 61 | सूखा (ढिगसरा) | 11 | ट्रक/ट्रेक्टर | 40 | 6.00 | 7.60 | 2.80 | 16.40 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 62 | केसली | 25 | ट्रक/ट्रेक्टर | 43 | 12.40 | 5.60 | 0.00 | 18.00 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 63 | खैरी खुर्द | 16 | ट्रक/ट्रेक्टर | 43 | 12.40 | 5.20 | 0.00 | 17.60 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 64 | नेनवारा | 16 | ट्रक/ट्रेक्टर | 43 | 7.20 | 5.60 | 0.00 | 12.80 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 65 | पदम | 16 | ट्रक/ट्रेक्टर | 43 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 2.00 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 66 | रूकवारा | 27 | ट्रक/ट्रेक्टर | 43 | 12.30 | 15.60 | 10.40 | 38.30 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 67 | चॉवरपाठा | 20 | ट्रक/ट्रेक्टर | 44 | 11.00 | 12.00 | 1.60 | 24.60 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 68 | विष्णुपुर | 23 | ट्रक/ट्रेक्टर | 44 | 10.80 | 14.00 | 2.40 | 27.20 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 69 | भरखेड़ा | 17 | ट्रक/ट्रेक्टर | 40 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 35.00 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 70 | ढिगसरा | 16 | ट्रक/ट्रेक्टर | 40 | 18.10 | 11.00 | 11.20 | 40.30 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 71 | जगन्नाथपुर | 21 | ट्रक/ट्रेक्टर | 36 | 5.00 | 0.60 | 0.00 | 5.60 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 72 | महगुवां | 12 | ट्रक/ट्रेक्टर | 36 | 8.40 | 8.40 | 0.40 | 17.20 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 73 | भौरा | 16 | ट्रक/ट्रेक्टर | 13 | 13.60 | 8.40 | 2.80 | 24.80 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 74 | खैरूआ | 15 | ट्रक/ट्रेक्टर | 11 | 9.60 | 6.20 | 0.40 | 16.20 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 75 | मदनपुर | 14 | ट्रक/ट्रेक्टर | 11 | 1.20 | 0.00 | 0.80 | 2.00 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 76 | करोदी | 22 | ट्रक/ट्रेक्टर | 21 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | चरगुवां | 16 | ट्रक/ट्रेक्टर | 36 | 7.00 | 2.40 | 0.40 | 9.80 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | सभी ग्रामों को |
| 78 | ढिलवार | 13 | ट्रक/ट्रेक्टर | 2 | 0.80 | 2.00 | 0.00 | 2.80 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | मिल गेट पर |
| 79 | पीपरवानी | 15 | ट्रक/ट्रेक्टर | 2 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | आबद्ध करने का |
| 80 | सुन्हैटी | 17 | ट्रक/ट्रेक्टर | 13 | 10.00 | 7.20 | 8.00 | 25.20 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | प्रस्ताव है. |
| 81 | सर्रा | 8 | ट्रक/ट्रेक्टर | 12 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 82 | ईश्वरपुर | 13 | ट्रक/ट्रेक्टर | 16 | 34.40 | 34.80 | 3.20 | 72.40 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 83 | काचरकोना | 16 | ट्रक/ट्रेक्टर | 15 | 35.00 | 50.00 | 13.40 | 98.40 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 84 | इमझिरा | 15 | ट्रक/ट्रेक्टर | 8 | 10.80 | 10.80 | 4.80 | 26.40 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 85 | उमाहा | 12 | ट्रक/ट्रेक्टर | 8 | 1.20 | 0.20 | 0.60 | 2.00 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 86 | खैरूआ | 15 | ट्रक/ट्रेक्टर | 11 | 9.60 | 6.20 | 0.40 | 16.20 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 87 | टेकापार | 19 | ट्रक/ट्रेक्टर | 14 | 21.00 | 20.00 | 9.20 | 50.20 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 88 | मनकापुर | 20 | ट्रक/ट्रेक्टर | 19 | 26.80 | 20.00 | 5.60 | 52.40 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 89 | इमझिरी | 37 | ट्रक/ट्रेक्टर | 40 | 50.00 | 40.00 | 4.00 | 94.00 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 90 | काशीखैरी | 24 | ट्रक/ट्रेक्टर | 41 | 25.00 | 31.00 | 13.60 | 69.60 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 91 | अंडिया | 42 | ट्रक/ट्रेक्टर | 43 | 13.00 | 15.20 | 0.40 | 28.60 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 92 | इमलिया | 12 | ट्रक/ट्रेक्टर | 26 | 12.80 | 21.80 | 1.20 | 35.80 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 93 | बडियाघाट | 39 | ट्रक/ट्रेक्टर | 44 | 10.00 | 28.00 | 3.60 | 41.60 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 94 | बरेली | 18 | ट्रक/ट्रेक्टर | 11 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 19.20 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| 95 | गंगई | 20 | ट्रक/ट्रेक्टर | 69 | 17.60 | 13.00 | 4.00 | 34.60 | नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा | |
| | | | | कुल योग . . | 1136.80 | 940.10 | 268.20 | 2345.10 | | |

**तहसील : करेली**

| क्र. | ग्राम का नाम | क्षेत्र की कारखाना से दूरी | परिवहन का साधन | प. ह. नं. | गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र सत्र 2014-15 | | | योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में | जिला/तहसील | क्रय केन्द्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | नौरपा | जडी | मडी | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | | (7) | (8) | (9) |
| 1 | मिढली | 22 | ट्रक/ट्रेक्टर | 15 | 18.00 | 21.00 | 2.40 | 41.40 | नरसिंहपुर/करेली | सभी ग्रामों को |
| 2 | हिरनपुर | 27 | ट्रक/ट्रेक्टर | 14 | 16.00 | 21.20 | 2.00 | 39.20 | नरसिंहपुर/करेली | मिल गेट पर |
| 3 | गुरसी | 31 | ट्रक/ट्रेक्टर | 13 | 20.10 | 14.00 | 12.00 | 46.10 | नरसिंहपुर/करेली | आबद्ध करने का |
| 4 | गोकला | 24 | ट्रक/ट्रेक्टर | 13 | 10.00 | 5.60 | 0.00 | 15.60 | नरसिंहपुर/करेली। | प्रस्ताव है. |
| 5 | कुडी | 26 | ट्रक/ट्रेक्टर | 18 | 6.40 | 6.00 | 2.00 | 14.40 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 6 | सगौन घाट | 24 | ट्रक/ट्रेक्टर | 18 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 7 | धरमपुरी | 23 | ट्रक/ट्रेक्टर | 15 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | 1.20 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 8 | बिकोर | 25 | ट्रक/ट्रेक्टर | 18 | 5.20 | 4.00 | 0.80 | 10.00 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 9 | खला | 15 | ट्रक/ट्रेक्टर | 4 | 17.80 | 8.80 | 0.00 | 26.60 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 10 | सारस डोल | 14 | ट्रक/ट्रेक्टर | 6 | 3.00 | 0.40 | 0.00 | 3.40 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 11 | बम्हनी | 16 | ट्रक/ट्रेक्टर | 59 | 22.00 | 6.80 | 0.00 | 28.80 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 12 | बंधी | 32 | ट्रक/ट्रेक्टर | 2 | 22.00 | 6.80 | 0.00 | 28.80 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 13 | अमथनू | 16 | ट्रक/ट्रेक्टर | 1 | 8.80 | 7.80 | 0.00 | 16.60 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 14 | रमखिरिया | 27 | ट्रक/ट्रेक्टर | 11 | 16.80 | 14.00 | 2.00 | 32.80 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 15 | जूना | 19 | ट्रक/ट्रेक्टर | 1 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 16 | ढाना | 20 | ट्रक/ट्रेक्टर | 1 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | 1.20 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 17 | सरसला | 28 | ट्रक/ट्रेक्टर | 11 | 22.00 | 9.00 | 4.40 | 35.40 | नरसिंहपुर/करेली | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | सुआतला | 15 | ट्रक/ट्रेक्टर | 3 | 21.40 | 16.00 | 0.00 | 37.40 | नरसिंहपुर/करेली | सभी ग्रामों को |
| 19 | पलोहा | 13 | ट्रक/ट्रेक्टर | 4 | 20.00 | 10.40 | 4.00 | 34.40 | नरसिंहपुर/करेली | मिल गेट पर |
| 20 | कटंगी | 13 | ट्रक/ट्रेक्टर | 4 | 1.20 | 0.80 | 0.00 | 2.00 | नरसिंहपुर/करेली | आबद्ध करने का |
| 21 | पिडरई कलॉ | 15 | ट्रक/ट्रेक्टर | 4 | 7.40 | 4.20 | 3.30 | 14.90 | नरसिंहपुर/करेली | प्रस्ताव है. |
| 22 | पिडरई खुर्द | 15 | ट्रक/ट्रेक्टर | 4 | 7.40 | 4.20 | 3.30 | 14.90 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 23 | खमरिया | 19 | ट्रक/ट्रेक्टर | 5 | 21.00 | 18.40 | 1.60 | 41.00 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 24 | जमुनिया कलॉ | 21 | ट्रक/ट्रेक्टर | 5 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 25 | जमुनिया खुर्द | 21 | ट्रक/ट्रेक्टर | 5 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 26 | रीछई | 17 | ट्रक/ट्रेक्टर | 6 | 17.00 | 17.20 | 2.40 | 36.60 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 27 | बीतली | 15 | ट्रक/ट्रेक्टर | 8 | 10.00 | 22.00 | 7.20 | 39.20 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 28 | सगरी | 16 | ट्रक/ट्रेक्टर | 8 | 16.00 | 10.80 | 1.60 | 28.40 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 29 | गुडवारा | 16 | ट्रक/ट्रेक्टर | 9 | 3.60 | 0.40 | 0.00 | 4.00 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 30 | कुम्हरौड़ा | 18 | ट्रक/ट्रेक्टर | 7 | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 37.00 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 31 | बिचुआ | 18 | ट्रक/ट्रेक्टर | 9 | 11.00 | 19.00 | 0.00 | 30.00 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 32 | बगदरी | 18 | ट्रक/ट्रेक्टर | 9 | 4.40 | 7.60 | 0.00 | 12.00 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 33 | रम्पुरा | 25 | ट्रक/ट्रेक्टर | 10 | 19.20 | 8.00 | 2.40 | 29.60 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 34 | समनापुर | 24 | ट्रक/ट्रेक्टर | 22 | 12.80 | 7.60 | 0.00 | 20.40 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 35 | बम्होरी | 16 | ट्रक/ट्रेक्टर | 7 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 36 | माथेगॉव | 24 | ट्रक/ट्रेक्टर | 17 | 10.00 | 6.40 | 0.80 | 17.20 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 37 | मानेगाँव | 23 | ट्रक/ट्रेक्टर | 17 | 10.80 | 6.80 | 2.00 | 19.60 | नरसिंहपुर/करेली | |
| 38 | केरपानी | 32 | ट्रक/ट्रेक्टर | 12 | 17.00 | 15.00 | 2.80 | 34.80 | नरसिंहपुर/करेली | |
| | | | | कुल योग . . | 518.90 | 399.20 | 110.60 | 821.50 | | |

**तहसील : देवरी/सागर**

| क्र. | ग्राम का नाम | क्षेत्र की कारखाना से दूरी | परिवहन का साधन | प. ह. नं. | गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र सत्र 2014-15 | | | योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में | जिला/तहसील | क्रय केन्द्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | नौरपा | जडी | मडी | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | | (7) | (8) | (9) |
| 1 | किशनपुर | 26 | ट्रक/ट्रेक्टर | 68 | 10.80 | 1.20 | 6.80 | 18.80 | सागर/देवरी | सभी ग्रामों को |
| 2 | सिमरिया | 33 | ट्रक/ट्रेक्टर | 61 | 8.00 | 5.00 | 10.40 | 23.40 | सागर/देवरी | मिल गेट पर |
| 3 | मढ़पिपरिया | 26 | ट्रक/ट्रेक्टर | 66 | 7.00 | 8.00 | 7.20 | 22.20 | सागर/देवरी | आबद्ध करने का |
| 4 | जमुनिया | 27 | ट्रक/ट्रेक्टर | 68 | 5.60 | 1.60 | 0.00 | 7.20 | सागर/देवरी | प्रस्ताव है. |
| 5 | खमरिया | 26 | ट्रक/ट्रेक्टर | 68 | 9.00 | 4.40 | 7.60 | 21.00 | सागर/देवरी | |
| 6 | महाराजपुर | 28 | ट्रक/ट्रेक्टर | 60 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 23.00 | सागर/देवरी | |
| 7 | सिंगपुर | 22 | ट्रक/ट्रेक्टर | 67 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | सागर/देवरी | |
| 8 | तीपरवानी | 23 | ट्रक/ट्रेक्टर | 67 | 7.20 | 6.20 | 3.20 | 16.60 | सागर/देवरी | |
| 9 | डोभी | 35 | ट्रक/ट्रेक्टर | 62 | 6.10 | 8.00 | 6.00 | 20.10 | सागर/देवरी | |
| 10 | रसेना | 40 | ट्रक/ट्रेक्टर | 64 | 11.20 | 4.00 | 2.00 | 17.20 | सागर/देवरी | |
| 11 | पटना | 33 | ट्रक/ट्रेक्टर | 50 | 8.00 | 9.00 | 0.80 | 17.80 | सागर/देवरी | |
| 12 | सरईवन | 49 | ट्रक/ट्रेक्टर | 65 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | सागर/देवरी | |
| 13 | खैरी | 41 | ट्रक/ट्रेक्टर | 61 | 5.00 | 15.20 | 1.60 | 21.80 | सागर/देवरी | |
| 14 | केवलारी | 39 | ट्रक/ट्रेक्टर | 66 | 2.80 | 1.20 | 2.00 | 6.00 | सागर/देवरी | |
| 15 | खैरूआ | 42 | ट्रक/ट्रेक्टर | 63 | 8.80 | 4.80 | 4.00 | 17.60 | सागर/देवरी | |
| 16 | बिजौरा | 38 | ट्रक/ट्रेक्टर | 29 | 5.20 | 7.00 | 3.60 | 15.80 | सागर/देवरी | |
| 17 | छिंदली | 37 | ट्रक/ट्रेक्टर | 70 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 17.00 | सागर/देवरी | |
| 18 | श्रीनगर | 31 | ट्रक/ट्रेक्टर | 61 | 1.60 | 1.20 | 0.00 | 2.80 | सागर/देवरी | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | सुनाह | 37 | ट्रक/ट्रेक्टर | 65 | 3.20 | 3.60 | 0.00 | 6.80 | सागर/देवरी | सभी ग्रामों को |
| 20 | सलैरया | 38 | ट्रक/ट्रेक्टर | 25 | 6.80 | 3.60 | 0.00 | 10.40 | सागर/देवरी | मिल गेट पर |
| 21 | पाठक पिपरिया | 47 | ट्रक/ट्रेक्टर | 26 | 9.00 | 5.00 | 8.00 | 22.00 | सागर/देवरी | आबद्ध करने का |
| 22 | चिरचिटा | 43 | ट्रक/ट्रेक्टर | 30 | 5.00 | 1.60 | 1.20 | 7.80 | सागर/देवरी | प्रस्ताव है. |
| 23 | वाणी | 36 | ट्रक/ट्रेक्टर | 63 | 4.00 | 4.80 | 0.80 | 9.60 | सागर/देवरी | |
| 24 | देगुवां | 41 | ट्रक/ट्रेक्टर | 25 | 9.20 | 2.00 | 0.00 | 11.20 | सागर/देवरी | |
| 25 | पथरिया | 40 | ट्रक/ट्रेक्टर | 63 | 2.40 | 1.00 | 0.00 | 3.40 | सागर/देवरी | |
| 26 | बिछुआ | 35 | ट्रक/ट्रेक्टर | 63 | 6.40 | 3.60 | 0.80 | 10.80 | सागर/देवरी | |
| | | | | कुल योग . . | 160.10 | 118.20 | 76.00 | 354.30 | | |

**तहसील : उदयपुरा/रायसेन**

| क्र. | ग्राम का नाम | क्षेत्र की कारखाना से दूरी | परिवहन का साधन | प. ह. नं. | गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र सत्र 2014-15 | | | योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में | जिला/तहसील | क्रय केन्द्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | नौरपा | जडी | मडी | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | | (7) | (8) | (9) |
| 1 | खमरिया | 19 | ट्रक/ट्रेक्टर | 66 | 5.20 | 2.40 | 0.00 | 7.60 | रायसेन/उदयपुरा | सभी ग्रामों को |
| 2 | पडरई (सडरई) | 30 | ट्रक/ट्रेक्टर | 65 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | रायसेन/उदयपुरा | मिल गेट पर |
| 3 | इटवा | 26 | ट्रक/ट्रेक्टर | 67 | 2.00 | 0.40 | 0.00 | 2.40 | रायसेन/उदयपुरा | आबद्ध करने का |
| 4 | खापरखेड़ा | 23 | ट्रक/ट्रेक्टर | 67 | 1.20 | 0.80 | 0.00 | 2.00 | रायसेन/उदयपुरा | प्रस्ताव है. |
| 5 | करहैया | 23 | ट्रक/ट्रेक्टर | 68 | 2.00 | 1.20 | 0.00 | 3.20 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 6 | गूगरपुर | 25 | ट्रक/ट्रेक्टर | 68 | 12.10 | 2.90 | 0.00 | 15.00 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 7 | आलीवाड़ा | 26 | ट्रक/ट्रेक्टर | 60 | 2.80 | 1.60 | 0.00 | 4.40 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 8 | सहजपुरी | 26 | ट्रक/ट्रेक्टर | 68 | 9.60 | 1.20 | 0.00 | 10.80 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 9 | खिरैटी | 27 | ट्रक/ट्रेक्टर | 59 | 18.80 | 16.40 | 0.00 | 35.20 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 10 | पडरई | 23 | ट्रक/ट्रेक्टर | 69 | 7.80 | 5.40 | 0.00 | 13.20 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 11 | महगुवॉ | 27 | ट्रक/ट्रेक्टर | 65 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 12 | डोंगरा | 27 | ट्रक/ट्रेक्टर | 65 | 3.60 | 2.40 | 0.00 | 6.00 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 13 | डोगरिया | 27 | ट्रक/ट्रेक्टर | 62 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 14 | चीखली | 21 | ट्रक/ट्रेक्टर | 66 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 15 | वरखंदा | 25 | ट्रक/ट्रेक्टर | 63 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 16 | सिमरिया | 26 | ट्रक/ट्रेक्टर | 65 | 4.80 | 0.40 | 0.00 | 5.20 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 17 | खैरुआ | 33 | ट्रक/ट्रेक्टर | 69 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 18 | बूढ़ा | 32 | ट्रक/ट्रेक्टर | 69 | 7.20 | 8.00 | 0.00 | 15.20 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 19 | सड़रई | 31 | ट्रक/ट्रेक्टर | 69 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 20 | नूरजहागंज | 26 | ट्रक/ट्रेक्टर | 59 | 2.00 | 1.60 | 0.00 | 3.60 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 22 | गेलावन | 37 | ट्रक/ट्रेक्टर | 58 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 12.00 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 23 | रौढ़ा | 42 | ट्रक/ट्रेक्टर | 52 | 10.00 | 6.00 | 2.00 | 18.00 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 24 | थाला | 43 | ट्रक/ट्रेक्टर | 53 | 24.00 | 12.00 | 8.00 | 44.00 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 25 | दिमावन | 43 | ट्रक/ट्रेक्टर | 54 | 10.00 | 4.00 | 2.00 | 16.00 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 26 | पपलई | 38 | ट्रक/ट्रेक्टर | 52 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 27 | पतई | 48 | ट्रक/ट्रेक्टर | 45 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 28 | जमुनिया | 19 | ट्रक/ट्रेक्टर | 65 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | रायसेन/उदयपुरा | |
| 29 | बडगुवॉ | 26 | ट्रक/ट्रेक्टर | 66 | 6.40 | 2.00 | 4.00 | 12.40 | रायसेन/उदयपुरा | |
| | | | | कुल योग . . | 160.90 | 74.70 | 20.00 | 231.60 | | |

**मोहन लाल**, गन्ना आयुक्त.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

भिण्ड, दिनांक 20 मार्च 2015

क्र. क्यू.-मंडी-निर्वाचन-2015-2551.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मधुकर अग्नेय, कलेक्टर, भिण्ड मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम, 2010 के अन्तर्गत भिण्ड जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिए एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :—

| क्र. (1) | मण्डी का नाम (2) | नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3) | मण्डी अधिनियम की धारा (4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 145 भिण्ड | श्री रतन सिंह कुशवाह पुत्र श्री गुनधारी सिंह, निवासी ग्राम पंचायत नुन्हाटा तह. व जिला भिण्ड. | धारा 11 (1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी नियम 2010 के अंतर्गत विधान सभा सदस्य द्वारा नामनिर्दिष्ट. |

**मधुकर अग्नेय,** कलेक्टर.

## मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

### प्लाट नं. 76, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2015

क्र. 301-001-2004.—मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-4-2004-उन्तीस-2, भोपाल दिनांक 28 जनवरी 2004 के द्वारा वेष्ठित शक्तियों के अधीन स्वतंत्र जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त पूर्णकालिक/अंशकालिक जिला फोरमों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किये जाने संबंधी इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेशों में निम्नानुसार परिवर्तन करते हुए निर्देशानुसार नीचे सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त दिनांक 6 अप्रैल 2015 से उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है :—

| क्र. (1) | मुख्य जिला फोरम (2) | संबद्ध जिला फोरम (3) |
|---|---|---|
| 1 | छिन्दवाड़ा | सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर एवं बैतूल |
| 2 | होशंगाबाद | सीहोर |

उपरोक्त परिवर्तन के साथ दिनांक 6 अप्रैल 2015 से मध्यप्रदेश के सभी जिला फोरम की स्थिति इस प्रकार होगी :—

| क्र. (1) | पूर्णकालिक जिला फोरम (2) | संबद्ध जिला फोरम (3) |
|---|---|---|
| 1 | भोपाल | – |
| 2 | इंदौर | – |
| 3 | ग्वालियर | मुरैना, भिण्ड |
| 4 | जबलपुर | – |
| 5 | रीवा | सीधी, शहडोल, अनूपपुर |
| 6 | उज्जैन | देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच |
| 7 | सागर | विदिशा, रायसेन, टीकमगढ़, दमोह |
| 8 | होशंगाबाद | सीहोर |
| 9 | गुना | राजगढ़, अशोकनगर, शाजापुर |
| 10 | धार | बड़वानी, झाबुआ, मण्डलेश्वर |
| 11 | सतना | पन्ना, छतरपुर |
| 12 | खण्डवा | बुरहानपुर, हरदा |
| 13 | शिवपुरी | दतिया, श्योपुर |
| 14 | कटनी | मण्डला, उमरिया, डिण्डौरी |
| 15 | छिन्दवाड़ा | सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, बैतूल. |

**अवधेश कुमार श्रीवास्तव,** रजिस्ट्रार.

# न्यायालय, उपायुक्त ( राजस्व ), संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012, जिला शहडोल ( म.प्र. )

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिए)

शहडोल, दिनांक 4 अप्रैल 2015

प्रक.क.-15/बी-121/2013-14

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (कमांक 5 सन् 2013)(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक 22 दिनांक 31.12.2013 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **चाका**, तहसील **बुढ़ार** जिला **शहडोल** से ग्राम देवरी तहसील **गोहपारू** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 28.02.2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार कोई वन भूमि नहीं है। यदि कोई भूमि सुसंगत अभिलेखों में वन भूमि पाई जाती है, तो उस भूमि पर यह अधिसूचना लागू नहीं होगी।

## अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का कमांक | खसरा कमाक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) |
|---|---|---|---|---|
| शहडोल | बुढ़ार | चाका/चाका -05 | 853/1/1, 853/2, 853/2/2, 853/3, 853/4, 853/4/1, 853/5, 853/6, 853/7, 853/8, 853/9, 853/10, 853/11, 853/12, 853/13, 853/14, 853/15, 853/16, 853/17, 853/18, 853/19, 853/20, 853/21, 853/22, 853/23/1, 853/24 | 0.265 |
| | | —"— | 854 | 0.116 |
| | | —"— | 856/1, 856/2, 856/3 | 0.046 |
| | | —"— | 857/1, 857/2 | 0.149 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| शहडोल | बुढ़ार | चाका / चाका –05 | 858 / 1, 858 / 2, 858 / 3, 858 / 4, 858 / 5, 858 / 6, 858 / 7, 858 / 8, 858 / 9, 858 / 10 | 0.004 |
| | | ––"–– | 852 / 1, 852 / 2 | 0.132 |
| | | ––"–– | 844 / 1, 844 / 2, 844 / 3 | 0.245 |
| | | ––"–– | 842 / 1, 842 / 1 / 1, 842 / 2, 842 / 2 / 1, 842 / 3 | 0.460 |
| | | ––"–– | 841 | 0.338 |
| | | ––"–– | 843 / 1, 843 / 2, 843 / 3, 843 / 4, 843 / 5 | 0.001 |
| | | ––"–– | 832 / 1, 832 / 2, 832 / 3, 832 / 4, 832 / 5, 832 / 6, 832 / 7, 832 / 8, 832 / 9 | 0.641 |
| | | ––"–– | 831 / 1, 831 / 2, 831 / 3, 831 / 4, 831 / 5 | 0.401 |
| | | ––"–– | 830 / 1, 830 / 2, 830 / 3, 830 / 4 | 0.639 |
| | | ––"–– | 55 / 1, 55 / 2 | 0.076 |
| | | ––"–– | 54 / 1, 54 / 2, 54 / 3, 54 / 4 | 0.161 |
| | | ––"–– | 53 | 0.097 |
| | | ––"–– | 50 | 0.011 |
| | | ––"–– | 52 | 0.115 |
| | | ––"–– | 49 | 0.002 |
| | | ––"–– | 44 | 0.084 |
| | | ––"–– | 43 | 0.001 |
| | | ––"–– | 42 | 0.107 |
| | | ––"–– | 41 | 0.016 |
| | | ––"–– | 12 / 1, 12 / 2, 12 / 2 / 1, 12 / 2 / 2, 12 / 2 / 4 / 12, 12 / 3, 12 / 4, 12 / 5, 12 / 6, 12 / 7 | 0.022 |
| | | ––"–– | 40 | 0.066 |
| | | ––"–– | 23 / 1, 23 / 2 | 0.014 |
| | | ––"–– | 22 | 0.046 |
| | | ––"–– | 20 | 0.006 |
| | | ––"–– | 21 | 0.070 |
| | | ––"–– | 14 | 0.058 |
| | | ––"–– | 13 | 0.067 |
| | | ––"–– | 11 | 0.224 |
| | | ––"–– | 2 / 1, 2 / 2, 2 / 3, 2 / 4, 2 / 5, 2 / 6, 2 / 7, 2 / 8, | 0.288 |
| | | ––"–– | 1 | 0.046 |
| | | ––"–– | 870 / 1, 870 / 2 | 0.146 |
| | | ––"–– | 796 / 1, 796 / 2, 796 / 3, 796 / 4 | 0.228 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| शहडोल | बुढ़ार | चाका / चाका --05 | 795 / 1, 795 / 2 | 0.074 |
| | | —"— | 798 / 1, 798 / 2 / क, 798 / 2 / ख, 798 / 3, 798 / 4, 798 / 5 | 0.099 |
| | | —"— | 396 | 0.136 |
| | | —"— | 397 | 0.069 |
| | | —"— | 388 / 1, 388 / 2, 388 / 3, 388 / 4 | 0.173 |
| | | —"— | 406 | 0.005 |
| | | —"— | 407 | 0.009 |
| | | —"— | 408 | 0.159 |
| | | —"— | 411 | 0.009 |
| | | —"— | 420 | 0.008 |
| | | —"— | 419 / 1, 419 / 2 | 0.176 |
| | | —"— | 416 | 0.017 |
| | | —"— | 435 | 0.214 |
| | | —"— | 432 | 0.142 |
| | | —"— | 426 | 0.043 |
| | | —"— | 423 / 1, 423 / 2, 423 / 3 | 0.376 |
| | | —"— | 368 | 0.096 |
| | | —"— | 369 / 1, 369 / 2, 369 / 3 | 0.198 |
| | | —"— | 371 / 1 | 0.167 |
| | | —"— | 371 / 2 | |
| | | —"— | 370 | 0.008 |
| | | —"— | 334 | 0.068 |
| | | —"— | 333 | 0.015 |
| | | —"— | 335 | 0.138 |
| | | —"— | 331 | 0.005 |
| | | —"— | 336 | 0.045 |
| | | —"— | 322 | 0.040 |
| | | —"— | 323 / 1, 323 / 2 | 0.001 |
| | | —"— | 309 | 0.341 |
| | | —"— | 308 | 0.023 |
| | | —"— | 306 | 0.241 |
| | | —"— | 307 | 0.021 |
| | | —"— | 304 | 0.032 |
| | | —"— | 305 | 0.063 |
| | | —"— | 312 / 1, 312 / 2, 312 / 3 | 0.112 |
| | | —"— | 805 | 0.102 |
| | | —"— | 806 | 0.103 |
| | | —"— | 83 / 1, 83 / 2, 83 / 3, 83 / 4, 83 / 5 | 0.111 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| शहडोल | बुढ़ार | चाका / चाका –05 | 807 / 1, 807 / 2, 807 / 3, 807 / 4, 807 / 5, 807 / 6 | 0.170 |
| | | —"— | 809 / 1, 809 / 2, 809 / 3 | 0.143 |
| | | —"— | 808 / 1, 808 / 2 | 0.152 |
| | | —"— | 810 / 1, 810 / 2, 810 / 3 | 0.797 |
| | | —"— | 825 / 1, 825 / 2, 825 / 3, 825 / 4, 825 / 5, 825 / 6 | 0.369 |
| | | —"— | 826 | 0.091 |
| | | —"— | 827 / 1, 827 / 2, 827 / 3 | 0.150 |

## प्ररूप– घ

(नियम 6 देखिये)

प्रकरण क्रमांक– 16 / बी.–121 / 2013–14

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 11.04.2014 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **बैरिहा**, पटवारी हल्का **बैरिहा–30** तहसील **जैतपुर** जिला **शहडोल** से ग्राम **देवरी** तहसील **गोहपारू** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18.04.2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार कोई वन भूमि नहीं है। यदि कोई भूमि सुसंगत अभिलेखों में वन भूमि होगी तो उस भूमि पर यह अधिसूचना लागू नहीं होगी।

## अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमाक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| शहडोल | जैतपुर | बैरिहा / बैरिहा – 64 | 448 / 1, 448 / 1 / क, 448 / 1 / ख, 448 / 1 / ग, 448 / 2, 448 / 3 | 0.160 |
| | | —"— | 447 / 1 क, 447 / 1 ख, 447 / 2, 447 / 3 | 0.422 |
| | | —"— | 445 / 1 क, 445 / 1 ख, 445 / 2, 445 / 3 | 0.242 |
| | | —"— | 444 / 1, 444 / 2, 444 / 3 | 0.203 |
| | | —"— | 437 / 1, 437 / 2, 437 / 3, 437 / 4, 437 / 5, 437 / 6 | 1.144 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| शहडोल | जैतपुर | बैरिहा/बैरिहा -- 64 | 438/1, 438/2, 438/3, 438/4, 438/5, 438/5/ख, 438/5/ग, 438/5/घ | 0.048 |
| | | —"— | 425/454 | 0.052 |
| | | —"— | 421/1 क, 421/1 ख, 421/2 | 0.122 |
| | | —"— | 422/1, 422/2 क, 422/2 ख | 0.121 |
| | | —"— | 423 | 0.117 |
| | | —"— | 424/1, 424/2 क, 424/2 ख, 424/2 ग | 0.080 |
| | | —"— | 412/1, 412/2 | 0.202 |
| | | —"— | 410/1, 410/2, 410/3 | 0.061 |
| | | —"— | 411/1, 411/2 क, 411/2 ख, 411/2 ग, 411/3 | 0.012 |
| | | —"— | 409/1, 409/2 | 0.001 |
| | | —"— | 408/1, 408/2/1, 408/2/2, 408/3, 408/4, 408/5 | 0.880 |
| | | —"— | 390/458/1 | 0.020 |
| | | —"— | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 | 0.488 |
| | | —"— | 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 | 0.104 |
| | | —"— | 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5 | 0.149 |
| | | —"— | 134 | 0.018 |
| | | —"— | 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 | 0.179 |
| | | —"— | 149 | 0.006 |
| | | —"— | 151/1, 151/2, 151/3 | 0.288 |
| | | | 152/1, 152/2, 152/3, 152/4 | 0.109 |
| | | —"— | 164 | 0.016 |
| | | —"— | 170/1, 170/1/क, 170/1/ख, 170/3, | 0.008 |
| | | —"— | 165 | 0.062 |
| | | —"— | 166 | 0.034 |
| | | —"— | 167 | 0.020 |
| | | —"— | 354/1, 354/2 | 0.198 |
| | | —"— | 355/1/क | 0.007 |
| | | —"— | 355/1/ख, 355/2 | 0.086 |
| | | —"— | 356 | 0.071 |
| | | —"— | 345/1, 345/2, 345/3 | 0.148 |
| | | —"— | 357/1, 357/2 क, 357/2 ख | 0.026 |
| | | —"— | 343/1, 343/2 | 0.082 |
| | | —"— | 360/1, 360/2 | 0.101 |
| | | —"— | 361/1, 361/2 | 0.169 |
| | | —"— | 335 | 0.003 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| शहडोल | जैतपुर | बैरिहा / बैरिहा – 64 | 334 / 1, 334 / 2 | 0.087 |
| | | —"— | 240 / 1 क, 240 / 1 ख, 240 / 2, 240 / 3 / क, 240 / 3 / ख, 240 / 3 / ग | 0.027 |
| | | —"— | 243 / 1 क, 243 / 1 ख, 243 / 1 ग, 243 / 2 | 0.202 |
| | | —"— | 242 / 1, 242 / 2, 242 / 3 | 0.004 |
| | | —"— | 246 / 1, 246 / 2, 246 / 3 | 0.077 |
| | | —"— | 247 | 0.001 |
| | | —"— | 248 | 0.006 |
| | | —"— | 249 | 0.025 |
| | | —"— | 250 | 0.023 |
| | | —"— | 251 | 0.015 |
| | | —"— | 252 / 1, 252 / 2, 252 / 3, 252 / 4 | 0.007 |
| | | —"— | 253 / 1, 253 / 2 | 0.119 |
| | | | 459 (252 / 459 / 1), 459 (252 / 459 / 2) | 0.009 |
| | | —"— | 257 | 0.023 |
| | | —"— | 258 | 0.150 |
| | | —"— | 301 | 0.059 |
| | | —"— | 305 / 1, 305 / 2 | 0.203 |
| | | —"— | 300 / 1, 300 / 2, | 0.019 |
| | | —"— | 119 | 0.010 |
| | | —"— | 112 | 0.051 |
| | | —"— | 113 | 0.001 |
| | | —"— | 118 | 0.042 |
| | | —"— | 353 / 1 / 1 | 0.014 |
| | | —"— | 353 / 1 / 2, 353 / 2, | 0.014 |
| | | —"— | 370 / 1, 370 / 2, 370 / 3, 370 / 4, 370 / 5 | 0.233 |
| | | —"— | 376 / 457 / 1, 376 / 457 / 2 | 0.014 |
| | | —"— | 385 / 1, 385 / 2 | 0.243 |
| | | —"— | 384 | 0.074 |
| | | —"— | 383 | 0.054 |
| | | —"— | 382 | 0.037 |
| | | —"— | 451 / 1, 451 / 1 / ख, 451 / 1 / ग, 451 / 2 | 0.198 |

**एफ. आर. पण्डा**, सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त (राजस्व).

# राज्य शासन के आदेश

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 मार्च 2015

क्र. 2280-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चौरई | ग्राम-बिलंदा ब. नं.-210 प.ह.नं.-15 रा.नि.मं.-चौरई. | रकबा 03.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2281-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगें:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चौरई | ग्राम-सर्रा<br>ब. नं.-268<br>प.ह.नं.-15<br>रा.नि.मं.-चौरई. | रकबा 01.900 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2282-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चौरई | ग्राम-बींझावाड़ा ब. नं.-14 प.ह.नं.-212 रा.नि.मं.-चौरई. | रकबा 04.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2283-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चौरई | ग्राम-सलकनी ब. नं.-269 प.ह.नं.-33/15 रा.नि.मं.-चौरई. | रकबा 03.900 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2284-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चौरई | ग्राम-सुरजना ब. नं.-267 प.ह.नं.-15 रा.नि.मं.-चौरई. | रकबा 03.600 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2285-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चौरई | ग्राम-केदारपुरखुर्द ब. नं.-28 प.ह.नं.-14 रा.नि.मं.-चौरई. | रकबा 0.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2286-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चौरई | ग्राम-माचीवाडा ब. नं.-228 प.ह.नं.-13 रा.नि.मं.-चौरई. | रकबा 0.674 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2287-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल, सितम्बर दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चौरई | ग्राम-कपूर्दा ब. नं.-14 प.ह.नं.-15 रा.नि.मं.-चौरई. | रकबा 0.770 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे (प्लान) के निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2287-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-सिंगोडी ब. नं.-281 प.ह.नं.-44 रा.नि.मं.-चॉद. | रकबा 07.120 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2287-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-नांदना, ब. नं.-148 प.ह.नं.-14 रा.नि.मं.-चॉद | रकबा 08.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2290-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चाँद | ग्राम-धमनिया रैयत ब. नं.-03/25 प.ह.नं.-44 रा.नि.मं.-चाँद. | रकबा 02.100 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2291-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चाँद. | ग्राम-सिरस, ब. नं.-287 प.ह.नं.-45 रा. रा.नि.मं.-चाँद. | रकबा 10.120 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2292-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चांद. | ग्राम-परसोली ब. नं.-158, प. प.ह.नं.-14, रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 28.170 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2293-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-खुटिया ब. नं.-49 प.ह.नं.-13 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 01.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2294-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चांद. | ग्राम-आमगांव ब. नं.-04 प.ह.नं.-47 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 12.700 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2295-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-पौनिया, ब. नं.-181 प.ह.नं.-41 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 06.860 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2296-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-पांजरा ब. नं.-162 प.ह.नं.-16 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 05.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2297-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चांद | ग्राम-खैरघाट ब. नं.-52 प.ह.नं.-41 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 04.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2298-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-आमाझिरी ब. नं.-06 प.ह.नं.-12 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 02.870 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2299-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-राजलवाडी ब. नं.-247 प.ह.नं.-13 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 02.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2300-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-लोनीखुर्द ब. नं.-262 प.ह.नं.-21 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 08.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2301-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-सिंगोडी-टोला. ब. नं.-279 प.ह.नं.-42 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 04.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2302-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-धमनिया-बिशाला<br>ब. नं.-137<br>प.ह.नं.-44<br>रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 0.600 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2303-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-धमनिया ब. नं.-136 प.ह.नं.-44 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 08.100 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2304-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-पिपरियाखाती ब. नं.-167 प.ह.नं.-47 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 06.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2305-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-पचगांव<br>ब. नं.-154<br>प.ह.नं.-42<br>रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 13.540 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2306-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-धुटमुर ब. नं.-142 प.ह.नं.-12 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 02.120 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2307-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-लोनीकला ब. नं.-261 प.ह.नं.-21 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 08.200 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2308-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-टाप, ब. नं.-111 प.ह.नं.-48 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 02.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2309-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-देवरीरैयत ब. नं.-8/26 प.ह.नं.-2/24 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 03.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2310-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चौरई | ग्राम-मोहगांव बिशाला ब. नं.-241 प.ह.नं.-31 रा.नि.मं.-चौरई. | रकबा 05.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2311-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-खैरीखुर्द ब. नं.-54 प.ह.नं.-31 रा.नि.मं.-चौरई. | रकबा 07.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2312-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चौरई | ग्राम-हसनपुर ब. नं.-309 प.ह.नं.-33 रा.नि.मं.-चौरई. | रकबा 07.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2313-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चौरई | ग्राम-मोहगांवखुर्द ब. नं.-240 प.ह.नं.-31 रा.नि.मं.-चौरई. | रकबा 05.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2314-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-कुकरई ब. नं.-22 प.ह.नं.-11 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 07.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2315-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-गिरेटिया<br>ब. नं.-63<br>प.ह.नं.-25<br>रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई ज़िला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2316-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-ग्रेटिया बिशाला ब. नं.-62 प.ह.नं.-25 रा.नि.मं.-चॉद. | रकबा 06.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2317-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-देवरीमाल ब. नं.-131 प.ह.नं.-11 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 13.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2318-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-आमाझिरी<br>ब. नं.-06<br>प.ह.नं.-12<br>रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 07.800 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2319-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-सांख ब. नं.-270 प.ह.नं.-7/38 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 09.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2320-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-फुटेरा<br>ब. नं.-182<br>प.ह.नं.-29<br>रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 06.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2321-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-हरदोली ब. नं.-11/58 प.ह.नं.-29 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 08.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2322-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-सीदप<br>ब. नं.-283<br>प.ह.नं.-5/25<br>रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 22.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2323-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-मोरखा ब. नं.-237 प.ह.नं.-47 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 09.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2324-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-करलई, ब. नं.-16 प.ह.नं.-10 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 09.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2325-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-धुटमुर<br>ब. नं.-142<br>प.ह.नं.-12<br>रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 04.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2326-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-हरदुआमाल ब. नं.-303 प.ह.नं.-29 रा.नि.मं.-चांद. | रकबा 04.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**महेशचन्द्र चौधरी**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

# उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

## उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2015

क्र. 238-गोपनीय-2015-दो-2-27-70.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके स्तम्भ क्रमांक (4) में निर्दिष्ट अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

| क्र. (1) | अधिकारी का नाम (2) | सत्र खण्ड का नाम (3) | न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4) |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री महेश प्रसाद अवस्थी, अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर. | ग्वालियर | जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर की हैसियत से. |

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2015

क्र. 259-गोपनीय-2015-दो-2-1-2015 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

| क्रमांक (1) | नाम (2) | कहां से (3) | कहां को (4) | पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री शैलेन्द्र शुक्ला, संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर. | जबलपुर | जबलपुर | प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से श्री राजीव कुमार दुबे के स्थान पर. |
| 2 | श्री आनंद तिवारी, रजिस्ट्रार-कम-सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर. | जबलपुर | जबलपुर | उपसचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की हैसियत से श्रीमती गिरिबाला सिंह के स्थान पर. |
| 3 | श्री गजेन्द्र सिंह, संकाय सदस्य (Faculty Member) मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर. | जबलपुर | जबलपुर | रजिस्ट्रार-कम-सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर. की हैसियत से. |
| 4 | श्री प्रदीप कुमार व्यास, अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर. | जबलपुर | जबलपुर | प्रभारी संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर की हैसियत से. |

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
**वेद प्रकाश,** रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. A-1375-दो-3-420-80-भाग दस.—श्री एच. बी. खेडकर, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2015 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 190 दिवस (एक सौ नब्बे दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
**व्ही. बी. सिंह,** रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का नियुक्ति दिनांक. | : | 2-12-1972 |
| 2. | सेवानिवृत्ति दिनांक | : | 31-3-2015 |
| 3. | नियुक्ति दिनांक 2 दिसम्बर 1972 से दिनांक 9 मार्च 1987 तक कुल सेवा अवधि. | : | 14 वर्ष 3 माह |
| 4. | दिनांक 10 मार्च 1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. | : | 28 वर्ष 21 दिन |
| 5. | कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से). | : | 14 ×15=210 दिन |
| 6. | कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) | : | 28=14×15=210 दिन |
| 7. | कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. | : | 420 दिन |
| 8. | **घटाइये:**—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. | : | 230 दिन |
| 9. | सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. | : | 190 दिन |

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2015 को शेष अर्जित अवकाश 221 दिन)

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. B-1396-दो-2-52-2014.—सुश्री करूणा एस. त्रिवेदी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 25 से 27 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री करूणा एस. त्रिवेदी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री करूणा एस. त्रिवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-1456-दो-3-420-80-भाग-दस.—स्वर्गीय श्री अभिनन्दन कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा का स्वर्गवास दिनांक 11 फरवरी 2015 को हो जाने के कारण उनके अवकाश लेखा में संचित 240 दिवस (दो सौ चालीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति उनकी विधिक उत्तराधिकारी पत्नी श्रीमती अर्चना जैन को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 161-4-31-82-नि-1-चार, दिनांक 31 जनवरी 1983 तथा सहपठित पत्र क्रमांक जी-25-28-95-सी-चार, दिनांक 10 जुलाई 1995 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. C-1459-दो-2-20-2013.—श्री जे. पी. राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 11 से 17 मई 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18 से 30 मई 2015 तक तेरह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 एवं 10 मई 2015 के एवं पश्चात् में दिनांक 31 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. राव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1830-दो-2-53-2014.—श्री के. पी. सिंह. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 9 से 12 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1832-दो-2-23-2014.—श्री डी. एन. शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम को दिनांक 18 से 27 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. एन. शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एन. शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1834-दो-2-34-2014.—श्री अनिल वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को दिनांक 4 से 5 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1836-दो-2-109-2006.—श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 9 से 13 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1838-दो-2-28-2014.—श्री व्ही. पी. एस. चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 16 से 21 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13, 14 एवं 15 फरवरी 2015 को प्रशिक्षण हेतु एवं पश्चात् में दिनांक 22 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. पी. एस. चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. पी. एस. चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्र. C-1479-दो-2-22-2013.—श्री एच. एन. बाजपेई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 16 से 21 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 फरवरी 2015 के पश्चात् में दिनांक 22 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. बाजपेई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. बाजपेई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
**व्ही. बी. सिंह,** रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2015

क्र. 218-गोपनीय-2015-दो-2-1-2015 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

| क्रमांक | नाम | कहां से | कहां को | पदस्थापना के जिले का नाम | न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा | इंदौर | सीहोर | सीहोर | सिविल जिला, सीहोर.<br>जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 2 | श्री राजीव कुमार दुबे,<br>प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)<br>उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर | जबलपुर | भोपाल | भोपाल | सिविल जिला, भोपाल.<br>जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से दिनांक 31-03-2015 को कुमारी सुषमा खोसला के सेवानिवृत्त उपरांत रिक्त होने वाले पद पर. |
| 3 | श्री अवधेश कुमार पाण्डेय | जबलपुर | पन्ना | पन्ना | सिविल जिला, पन्ना.<br>जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना की हैसियत से श्री के. के. त्रिपाठी के स्थान पर. |
| 4 | श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी | पन्ना | जबलपुर | जबलपुर | सिविल जिला, जबलपुर.<br>जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से श्री ए. के. पाण्डेय के स्थान पर. |
| 5 | श्री प्रद्युम्न सिंह | टीकमगढ़ | शहडोल | शहडोल | सिविल जिला, शहडोल.<br>जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल की हैसियत से श्री एच. एस. वैश्य के स्थान पर. |
| 6 | श्री हरिशंकर वैश्य | शहडोल | डिण्डौरी | डिण्डौरी | सिविल जिला, डिण्डौरी.<br>जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 7 | श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार | शाजापुर | इंदौर | इंदौर | सिविल जिला, इन्दौर.<br>जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर की हैसियत से श्रीमती एन. व्ही. कौर कान्द्रा के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | श्री आनंद मोहन खरे | बुरहानपुर | अनूपपुर | अनूपपुर | सिविल जिला, अनूपपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर की हैसियत से श्री प्रदीप कुमार वर्मा के स्थान पर. |
| 9 | श्री मोहम्मद फहीम अनवर, प्रभारी रजिस्ट्रार, कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर. | भोपाल | होशंगाबाद | होशंगाबाद | सिविल जिला, होशंगाबाद. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 10 | श्री एम. वाय. मंसूरी, पीठासीन अधिकारी, म. प्र. राज्य वक्फ अधिकरण, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर. | भोपाल | बुरहानपुर | बुरहानपुर | सिविल जिला, बुरहानपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर की हैसियत से श्री ए. एम. खरे के स्थान पर. |
| 11 | श्री गौरी शंकर दुबे | खण्डवा | खण्डवा | खण्डवा | सिविल जिला, खण्डवा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 12 | श्री अनिल वर्मा | सागर | सागर | सागर | सिविल जिला, सागर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर की हैसियत से श्री एच. पी. सिंह के स्थान पर. |
| 13 | श्री इकबाल अहमद | बैतूल | शाजापुर | शाजापुर | सिविल जिला, शाजापुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर की हैसियत से श्री पी. एस. पाटीदार के स्थान पर. |
| 14 | श्री अनुपम श्रीवास्तव | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | सिविल जिला, टीकमगढ़. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ की हैसियत से श्री प्रद्युम्न सिंह के स्थान पर. |

क्र. 219-गोपनीय-2015-दो-2-1-2015 (भाग-एक).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 26-10-1995, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट

सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :—

सारणी

| क्रमांक | नाम | कहां से | कहां को | सत्रखण्ड का नाम | न्यायालय के संदर्भ टिप्पणी | विशेष न्यायालय का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | श्री भारत भूषण श्रीवास्तव | सागर | छतरपुर | छतरपुर | पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री संजीव दत्ता के स्थान पर. | छतरपुर |
| 2 | श्री श्रीराम दिनकर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रीवा के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर. | रीवा | शिवपुरी | शिवपुरी | पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. | शिवपुरी |
| 3 | श्री महेश भदकारिया | मुरैना | गुना | गुना | पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री ऋतुराज बंसत कुमार के स्थान पर. | गुना |
| 4 | श्री संजीव कुमार कालगांवकर | भोपाल | विदिशा | विदिशा | पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री सुशील कुमार शर्मा के स्थान पर. | विदिशा |
| 5 | श्री अचल कुमार पालीवाल | इंदौर | इंदौर | इंदौर | पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. | इंदौर |
| 6 | श्री हृदेश | सागर | बैतूल | बैतूल | पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री प्रभात कुमार मिश्रा के स्थान पर. | बैतूल |
| 7 | श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह | इंदौर | खण्डवा | खण्डवा | पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री जी. एस. दुबे के स्थान पर. | खण्डवा |
| 8 | श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह | जबलपुर | सिवनी | सिवनी | पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. | सिवनी |
| 9 | श्री योगेश कुमार गुप्ता | सागर | सागर | सागर | पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री बी.बी. श्रीवास्तव के स्थान पर. | सागर |
| 10 | श्री योगेश चन्द्र गुप्त | जबलपुर | जबलपुर | जबलपुर | पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री बी.आर. पाटिल के स्थान पर. | जबलपुर |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | श्री प्रताप कुमार तिवारी | सिवनी | हरदा | हरदा | पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री ए.के. मोहनिया के स्थान पर. | हरदा |
| 12 | श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (सीनियर). | इंदौर | मण्डलेश्वर | मण्डलेश्वर | पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. | मण्डलेश्वर |
| 13 | श्रीमती सविता दुबे | धार | धार | धार | पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से दिनांक 30-04-2015 को श्री कौशिक चौहान के सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर. | धार |

क्र. 220-गोपनीय-2015-दो-2-1-2015 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

| क्रमांक | नाम | कहां से | कहां को | पदस्थापना के जिले का नाम | न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | श्री प्रेम चन्द्र शर्मा | बालाघाट | देवास | देवास | चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 2 | श्री ऋतुराज बसंत कुमार | गुना | सीहोर | सीहोर | द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 3 | श्री गोपाल श्रीवास्तव | सतना | सिवनी | सिवनी | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रताप कुमार तिवारी के स्थान पर. |
| 4 | श्री अखिलेश जोशी | शुजालपुर | बड़वानी | बड़वानी | द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अफसर जावेद खान के स्थान पर. |
| 5 | श्रीमती आशा गोधा | रतलाम | जबलपुर | जबलपुर | अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक-9, विद्युत् अधिनियम, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | श्री अफसर जावेद खान | बड़वानी | इन्दौर | इन्दौर | सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 7 | श्री अरूण कुमार वर्मा | जावरा | भोपाल | भोपाल | षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 8 | श्री नवनीत कुमार गोधा | रतलाम | जबलपुर | जबलपुर | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री योगेश चन्द्र गुप्त के स्थान पर. |
| 9 | श्रीमती सुरभि मिश्रा | खरगौन | देवास | देवास | तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती नीता गुप्ता के स्थान पर. |
| 10 | श्री दीपक कुमार त्रिपाठी | छिन्दवाड़ा | बालाघाट | बालाघाट | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री बी.पी. मरकाम के स्थान पर. |
| 11 | श्री विजय कुमार पाण्डे (सीनियर) | भोपाल | नसरूल्लागंज | सीहोर | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शशिभूषण पाठक के स्थान पर. |
| 12 | डॉ. ओम प्रकाश तिवारी | होशंगाबाद | राजगढ़ | राजगढ़ | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से दिनांक 31-3-2015 को श्री एन. एस. लावरिया के सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर. |
| 13 | श्री ब्रम्ह शंकर दिक्षित | टीकमगढ़ | जतारा | टीकमगढ़ | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 14 | श्री अजय कुमार गर्ग | नरसिंहपुर | डबरा | ग्वालियर | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एल. एल. गर्ग के स्थान पर. |
| 15 | श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल | गुना | आष्टा | सीहोर | द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एस. जी. जोशी के स्थान पर. |
| 16 | श्री विजय मालवीय | भोपाल | अशोकनगर | अशोकनगर | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री संजय कुमार जैन (सीनियर) के स्थान पर. |
| 17 | श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा | छतरपुर | सबलगढ़ | मुरैना | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विवेक कुमार गुप्ता के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | श्री अजीत सिंह | ग्वालियर | सागर | सागर | द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री वाय. के. गुप्ता के स्थान पर. |
| 19 | श्री संजय कुमार जैन (सीनियर) | अशोकनगर | बेगमगंज | रायसेन | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री कमल जोशी के स्थान पर. |
| 20 | श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी | सागर | दमोह | दमोह | द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री संजीव कुमार पाण्डेय के स्थान पर. |
| 21 | श्री धरमिन्दर सिंह, अपर कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर. | भोपाल | ग्वालियर | ग्वालियर | षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से. |
| 22 | श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव | शिवपुरी | जौरा | मुरैना | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (सीनियर) के स्थान पर. |
| 23 | श्री ललित किशोर | मुरैना | ग्वालियर | ग्वालियर | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के न्यायलय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से. |
| 24 | श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया | बड़वानी | हटा | दमोह | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुभाष कुमार जैन के स्थान पर. |
| 25 | श्री काशिफ नदीम (खान) | जबलपुर | सागर | सागर | चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अनिल कुमार सोहाने के स्थान पर. |
| 26 | श्री अनिल कुमार सुहाने | सागर | ग्वालियर | ग्वालियर | ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री उपेन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर. |
| 27 | श्री उमेश चन्द्र मिश्र | सतना | सिंगरौली | सिंगरौली | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से डॉ. विजय कुमार अग्रवाल के स्थान पर. |
| 28 | श्री शशि भूषण पाठक | नसरूल्लागंज | भोपाल | भोपाल | दसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विजय मालवीय के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | श्री राजीव कुमार करमहे | मंडला | शुजालपुर | शाजापुर | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अखिलेश जोशी के स्थान पर. |
| 30 | श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी | भोपाल | सतना | सतना | तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री उमेश चन्द्र मिश्रा के स्थान पर. |
| 31 | श्री सत्येन्द्र गोवर्धन लाल जोशी | आष्टा | इन्दौर | इन्दौर | अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक-6, विद्युत् अधिनियम, इन्दौर की हैसियत से श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर. |
| 32 | कुमारी साधना महेश्वरी | शाजापुर | बड़वानी | बड़वानी | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एच. एस. सिसौदिया के स्थान पर. |
| 33 | श्री अवधेश कुमार सिंह | जबलपुर | होशंगाबाद | होशंगाबाद | द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुरेश सिंह के स्थान पर. |
| 34 | कुमारी जसवीर कौर सासन | बड़वाह | उज्जैन | उज्जैन | नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती लक्ष्मी शर्मा के स्थान पर. |
| 35 | श्री संजीव कुमार पाण्डे | दमोह | मऊगंज | रीवा | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री संजय कुमार द्विवेदी के स्थान पर. |
| 36 | श्री राकेश मोहन प्रधान | रीवा | मुरैना | मुरैना | चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ललित किशोर के स्थान पर. |
| 37 | श्री वाचस्पति मिश्र | नागोद | भोपाल | भोपाल | अष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से. |
| 38 | श्री रामप्रताप सिंह | दमोह | नागौद | सतना | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री वाचस्पति मिश्रा के स्थान पर. |
| 39 | श्री लखन लाल गर्ग | डबरा | मुरैना | मुरैना | पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में. |
| 40 | श्रीमती तृप्ति शर्मा | कटनी | रायसेन | रायसेन | चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | श्री जाकिर हुसैन | खरगौन | मुलताई | बैतूल | द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 42 | श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (सीनियर) | जोरा | ग्वालियर | ग्वालियर | अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक-3, विद्युत् अधिनियम, ग्वालियर की हैसियत से श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर के स्थान पर. |
| 43 | श्री रविन्द्र सिंह कुशवाह | मुरैना | मनासा | नीमच | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. एल. यादव के स्थान पर. |
| 44 | श्री सुरेश कुमार चौबे (सीनियर) | गुना | सिवनी | सिवनी | तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 45 | श्री सुरेश सिंह | होशंगाबाद | अमरवाड़ा | छिन्दवाड़ा | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री किसना अतुलकर के स्थान पर. |
| 46 | श्री सतीश चन्द्र राय | जबलपुर | सतना | सतना | द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री गोपाल श्रीवास्तव के स्थान पर. |
| 47 | श्री कमल जोशी | बेगमगंज | इन्दौर | इन्दौर | द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री इकबाल खान गौरी के स्थान पर. |
| 48 | श्रीमती माया विश्वलाल | शुजालपुर | जावरा | रतलाम | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अरूण कुमार वर्मा के स्थान पर. |
| 49 | श्री भागवत प्रसाद पाण्डे | रीवा | पवई | पन्ना | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शमरोज खान के स्थान पर. |
| 50 | श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा | इन्दौर | शाजापुर | शाजापुर | द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी साधना महेश्वरी के स्थान पर. |
| 51 | श्री काशीनाथ सिंह | पिपरिया | भोपाल | भोपाल | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एस. एस. कालगांवकर के स्थान पर. |
| 52 | श्री श्रीपाल यादव | कोतमा | अमरपाटन | सतना | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एम. एस. ए. अंसारी के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | श्री संजय कुमार द्विवेदी | मऊगंज | ग्वालियर | ग्वालियर | पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती रेणुका कंचन के स्थान पर. |
| 54 | श्री विवेक कुमार गुप्ता | सबलगढ़ | ग्वालियर | ग्वालियर | सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल के स्थान पर. |
| 55 | श्री किसना आतुलकर | अमरवाड़ा | भोपाल | भोपाल | अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक-2, विद्युत् अधिनियम, भोपाल की हैसियत से श्री के. के. वर्मा के स्थान पर. |
| 56 | श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह | महू | भोपाल | भोपाल | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री विजय कुमार पाण्डेय के स्थान पर. |
| 57 | श्री भूरेलाल प्रजापति | जावरा | इन्दौर | इन्दौर | पन्द्रहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अचल कुमार पालीवाल के स्थान पर. |
| 58 | श्री बद्री प्रसाद मरकाम | बालाघाट | सागर | सागर | अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक-10, विद्युत् अधिनियम, सागर की हैसियत से श्री डी. डी. द्विवेदी के स्थान पर. |
| 59 | श्री इकबाल खान गौरी | इन्दौर | रतलाम | रतलाम | तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री नवनीत कुमार गोधा के स्थान पर. |
| 60 | श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा | उमरिया | ब्यौहारी | शहडोल | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से दिनांक 31-3-2015 को कुमारी निर्मला चावड़ा के सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर. |
| 61 | श्री मनोज कुमार मण्डलोई | शाजापुर | लखनादौन | सिवनी | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शिवचरण पाण्डेय के स्थान पर. |
| 62 | श्री शरत चन्द्र सक्सेना | उज्जैन | विदिशा | विदिशा | तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अजय श्रीवास्तव के स्थान पर. |
| 63 | श्री प्रियदर्शन शर्मा | इन्दौर | रतलाम | रतलाम | चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 64 | श्री रमेश चन्द्र चौरसिया | हरदा | पिपरिया | होशंगाबाद | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री काशीनाथ सिंह के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर | ग्वालियर | शिवपुरी | शिवपुरी | द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. के. श्रीवास्तव के स्थान पर. |
| 66 | श्री शमरोज खान | पवई | ब्यावरा | राजगढ़ | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती मनीषा बसेर के स्थान पर. |
| 67 | कुमारी नीता गुप्ता | देवास | शाजापुर | शाजापुर | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री मनोज कुमार मण्डलोई के स्थान पर. |
| 68 | श्री संजय कुमार पाण्डेय | भोपाल | कटनी | कटनी | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती तृप्ति शर्मा के स्थान पर. |
| 69 | श्रीमती मनीषा बसेर | ब्यावरा | बागली | देवास | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अनिल कुमार भाटिया के स्थान पर. |
| 70 | श्री अनुप कुमार त्रिपाठी | सागर | दतिया | दतिया | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री रूचिर शर्मा के स्थान पर. |
| 71 | श्री हेमंत जोशी | नीमच | महू | इन्दौर | तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर. |
| 72 | श्री शरद भामकर | टीकमगढ़ | कोतमा | अनूपपुर | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री श्रीपाल यादव के स्थान पर. |
| 73 | श्रीमती सविता सिंह | इन्दौर | बड़वाहा | मण्डलेश्वर | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी जसवीर कौर सासन के स्थान पर. |
| 74 | श्रीमती शशिकला चन्द्रा | दमोह | खण्डवा | खण्डवा | द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 75 | श्री प्रकाश चन्द्र | दमोह | खण्डवा | खण्डवा | तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 76 | श्री प्रदीप मित्तल | इन्दौर | महू | इन्दौर | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महू के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से. |
| 77 | श्री शिवचरण पाण्डेय | लखनादौन | ग्वालियर | ग्वालियर | अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 78 | श्री अजय कुमार टेलर | भिण्ड | इन्दौर | इन्दौर | ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रियदर्शन शर्मा के स्थान पर. |

क्र. 221-गोपनीय-2015-दो-2-1-2015 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 (19 सन् 1958) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश फा- क्रमांक 3 (ए)-4-2014-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 5 जनवरी 2015 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लेखित है, स्तम्भ (2) में उल्लेखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानान्तरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ (5) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियर से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ (6) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

## सारणी

| क्र. | अधिकारी का नाम व पदनाम | वर्तमान पदस्थापना का स्थान | पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान | सत्र खण्ड का नाम | न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ | न्यायालय में बैठने का स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | श्री बलराज कुमार पालोदा, बाईसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्दौर. | इंदौर | इंदौर | इंदौर | पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती इन्द्रा सिंह के स्थान पर. | इंदौर |
| 2 | श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम. | रतलाम | रतलाम | रतलाम | पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती आशा गोधा के स्थान पर. | रतलाम |
| 3 | श्री प्रदीप सोनी (सीनियर), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरैना. | मुरैना | ग्वालियर | ग्वालियर | पदोन्नति पर दसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अजीत सिंह के स्थान पर. | ग्वालियर |
| 4 | श्री विष्णु कुमार सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीधी. | सीधी | धार | धार | पदोन्नति पर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. | धार |
| 5 | श्री माखनलाल झोड़, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिंदवाड़ा. | छिंदवाड़ा | छिंदवाड़ा | छिंदवाड़ा | पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री दीपक कुमार त्रिपाठी के स्थान पर. | छिंदवाड़ा |

| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | श्री लीलाधर सोलंकी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगौन, जिला मण्डलेश्वर. | खरगौन | खरगौन | मण्डलेश्वर | पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती सुरभि मिश्रा के स्थान पर. | खरगौन |
| 7 | श्री रामलक्ष्मण करोरिया, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इन्दौर. | इन्दौर | इन्दौर | इन्दौर | पदोन्नति पर नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर. | इन्दौर |
| 8 | श्री तरुण राकेश स्टेण्डली, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उमरिया. | उमरिया | उमरिया | उमरिया | पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा के स्थान पर. | उमरिया |
| 9 | श्री जगदीश चन्द्र राठौर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीराजपुर. | अलीराजपुर | अलीराजपुर | अलीराजपुर | पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. | अलीराजपुर |
| 10 | श्री कृपा शंकर शाक्य, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा. | हरदा | हरदा | हरदा | पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित रिक्त न्यायालय में. | हरदा |
| 11 | श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीहोर. | सीहोर | सीहोर | सीहोर | पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित रिक्त न्यायालय में. | सीहोर |
| 12 | श्री ठाकुरदास, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर. | श्योपुर | श्योपुर | श्योपुर | पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. | श्योपुर |

क्र. 222-गोपनीय-2015-दो-2-1-2015 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश के पद धारक, वर्तमान में अपर कल्याण आयुक्त, कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हेतु अनुशंसित, श्री राजेन्द्र चौरसिया को उनके नवीन पद पर रहते हुए, उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक 221-गोपनीय-2015-दो-2-1-2015 (भाग-बी), जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2015 के अनुक्रम में (जिसके द्वारा श्री राजेन्द्र चौरसिया से कनिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नति पर पदस्थ किया गया है), जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर वेतनमान रुपये 51,550-1230-58,930-1380-63,070/- में उनके नवीन पद (अपर कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल) पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

**टिप्पणी**.—श्री शिवचरण पाण्डेय, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनादौन, जिला सिवनी का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.

क्र. 224-गोपनीय-2015-दो-3-1-2015 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2)द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीशों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

| क्र. | नाम | कहां से | कहां को | पदस्थापना के जिले का नाम | न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | श्री आनंद प्रिय राहुल | छतरपुर | सीधी | सीधी | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री विष्णु कुमार सोनी के स्थान पर. |
| 2 | श्रीमती शालिनी शर्मा | छिन्दवाड़ा | चौरई | छिंदवाड़ा | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री गौतम कुमार गुजरे के स्थान पर. |
| 3 | कुमारी मंजुलता चतुर्वेदी | भोपाल | सीहोर | सीहोर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री शैलेन्द्र कुमार नागौत्रा के स्थान पर. |
| 4 | श्रीमती वर्षा शर्मा | भोपाल | रायसेन | रायसेन | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 रायसेन के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से. |
| 5 | श्री अजय कांत पाण्डे | मुरैना | ग्वालियर | ग्वालियर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राजेन्द्र चौरसिया के स्थान पर. |
| 6 | श्री आलोक कुमार सक्सेना | गुना | रतलाम | रतलाम | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुरेश चन्द्र पाल के स्थान पर. |
| 7 | श्री राकेश कुमार जैन | गुना | गुना | गुना | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आलोक कुमार सक्सेना के स्थान पर. |
| 8 | श्री गंगाचरण दुबे | खण्डवा | खरगौन | मण्डलेश्वर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री लीलाधर सोलंकी के स्थान पर. |
| 9 | श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव | सतना | डिण्डौरी | डिण्डौरी | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | श्री जयशंकर श्रीवास्तव | छतरपुर | उमरिया | उमरिया | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री तरुण राकेश स्टेन्डली के स्थान पर. |
| 11 | श्री सुधीर कुमार | शुजालपुर | श्योपुर | श्योपुर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री ठाकुरदास के स्थान पर. |
| 12 | श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन | सिहोरा | भोपाल | भोपाल | अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य इंडस्ट्रियल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (M.P.S.I.D.C.) भोपाल द्वारा आई.सी.डी. संव्यवहार से संबंधित आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु गठित विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती वर्षा शर्मा के स्थान पर. |
| 13 | श्री देवीलाल सोनिया | हरदा | हरदा | हरदा | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री कृपाशंकर शाक्य के स्थान पर. |
| 14 | श्री विक्रम सिंह बुले | आगर | अलिराजपुर | अलिराजपुर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री जे. सी. राठौर के स्थान पर. |
| 15 | श्री जयदीप सिंह | जबलपुर | बैतूल | बैतूल | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री शशीकांत वर्मा के स्थान पर. |
| 16 | श्री अखिलेश कुमार धाकड़ | मंदसौर | इन्दौर | इन्दौर | नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राजेश कुमार रावतकर के स्थान पर. |
| 17 | श्री राजेश कुमार रावतकर | इन्दौर | छिंदवाड़ा | छिंदवाड़ा | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री माखनलाल झोड़ के स्थान पर. |
| 18 | श्री मनोज कुमार लढ़िया | इन्दौर | मुरैना | मुरैना | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री प्रदीप सोनी के स्थान पर. |
| 19 | श्री अंतर सिंह अलावा | सोनकच्छ | तराना | उज्जैन | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, तराना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से कुमारी रश्मिना परवेज मंसूरी के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | श्री अरुण प्रताप सिंह | राजेन्द्रग्राम | कटनी | कटनी | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री दीपक बंसल के स्थान पर. |
| 21 | श्री मुन्नालाल राठौर | नौगांव | रायसेन | रायसेन | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, रायसेन के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से. |
| 22 | श्रीमती शशि सिंह | बैरसिया | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री पूरन सिंह के स्थान पर. |
| 23 | श्री रविन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत | भोपाल | उज्जैन | उज्जैन | पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती दीपाली शर्मा के स्थान पर. |
| 24 | श्रीमती कविता दीप खरे | सतना | रतलाम | रतलाम | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, रतलाम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री विवेक कुमार चंदेल के स्थान पर. |
| 25 | श्रीमती दीपाली शर्मा | उज्जैन | ब्यावरा | राजगढ़ | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 26 | श्री संजय कुमार गुप्ता (सीनियर) | भोपाल | मुरैना | मुरैना | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 27 | श्री दीपक शर्मा | सागर | दमोह | दमोह | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री ओ. पी. रजक के स्थान पर. |
| 28 | श्रीमती कुमुदिनी पटेल | होशंगाबाद | बैतूल | बैतूल | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्घ-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजय राज ठाकुर के स्थान पर. |
| 29 | श्री विपिन कुमार लावनिया | ग्वालियर | गुना | गुना | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री डी. एस. परमार के स्थान पर. |
| 30 | श्री जितेन्द्र नारायण सिंह | बुढ़ार | भोपाल | भोपाल | पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से कुमारी मंजुलता चतुर्वेदी के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | श्री प्रदीप कुशवाह | निवारी | इन्दौर | इन्दौर | सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती नीलम शुक्ला के स्थान पर. |
| 32 | श्री अरविंद प्रताप सिंह चौहान | भोपाल | गौहरगंज | रायसेन | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री विजय कुमार शर्मा के स्थान पर. |
| 33 | श्री सचिन शर्मा | भोपाल | उज्जैन | उज्जैन | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री विवेक शर्मा के स्थान पर. |
| 34 | श्री अनुराग द्विवेदी | सतना | दमोह | दमोह | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 दमोह के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अहमद रजा के स्थान पर. |
| 35 | श्री मनोज कुमार तिवारी (जूनियर) | भोपाल | भिण्ड | भिण्ड | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आदित्य रावत के स्थान पर. |
| 36 | श्री संजय गोयल | जबलपुर | भिण्ड | भिण्ड | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री मातादीन रजक के स्थान पर. |
| 37 | श्रीमती सुरेखा मिश्रा | बासौदा | भोपाल | भोपाल | सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अरविंद प्रताप सिंह चौहान के स्थान पर. |
| 38 | श्री विवेक शर्मा | उज्जैन | ब्यावरा | राजगढ़ | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, ब्यावरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से. |
| 39 | श्री राकेश कुमार गोयल | गरोठ | भोपाल | भोपाल | बारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री मनोज कुमार तिवारी (जूनियर) के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी | इन्दौर | शाजापुर | शाजापुर | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शाजापुर के न्यायालय के न्यायालय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री रवि झारौला के स्थान पर. |
| 41 | श्री अनिल कुमार पाठक | ग्वालियर | सतना | सतना | षष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती कविता दीप खरे के स्थान पर. |
| 42 | श्री रामविलास गुप्ता | लौंड़ी | ग्वालियर | ग्वालियर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, ग्वालियर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री विपिन कुमार लावनिया के स्थान पर. |
| 43 | श्री राजेश कुमार देवलिया | बीना | इटारसी | होशंगाबाद | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इटारसी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुधीर मिश्रा के स्थान पर. |
| 44 | श्री पवन कुमार बांदिल | डबरा | नौगांव | छतरपुर | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री मुन्नानाल राठौर के स्थान पर. |
| 45 | श्री संजय कुमार जैन (जूनियर-2) | खरगौन | लखनादौन | सिवनी | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, लखनादौन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संदीप कुमार पाटिल के स्थान पर. |
| 46 | श्री प्रशांत कुमार | ग्वालियर | सागर | सागर | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजय कुमार शाही के स्थान पर. |
| 47 | श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर | सिरोंज | बागली | देवास | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आदेश कुमार जैन के स्थान पर. |
| 48 | श्री संजय श्रीवास्तव | चाचौड़ा | इन्दौर | इन्दौर | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री योगेनद्र कुमार त्यागी के स्थान पर. |

क्र. 225-गोपनीय-2015-दो-3-1-2015-(भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

| क्रमांक | नाम | कहां से | कहां को | पदस्थापना के जिले का नाम | न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी | होशंगाबाद | छिंदवाड़ा | छिंदवाड़ा | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री प्रकाश कसेर के स्थान पर. |
| 2 | श्री शशिकांत वर्मा | बैतूल | ब्यौहरी | शहडोल | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, ब्यौहरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, की हैसियत से. |
| 3 | श्री नरेन्द्र पटेल | उज्जैन | सोनकच्छ | देवास | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री अंतर सिंह अलावा के स्थान पर. |
| 4 | श्री सतीश कुमार गुप्ता | टीकमगढ़ | लहार | भिण्ड | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री भगवान दास राठौर के स्थान पर. |
| 5 | श्री विकास भटेले | विदिशा | पाटन | जबलपुर | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती प्रीति सिंह के स्थान पर. |
| 6 | श्री प्रकाश कसेर | छिदवाड़ा | सिहोरा | जबलपुर | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री प्रवेन्द्र कुमार सेन के स्थान पर. |
| 7 | श्री संदीप श्रीवास्तव | जीरापुर | ग्वालियर | ग्वालियर | दशम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री प्रशांत कुमार के स्थान पर. |
| 8 | श्री रुपम वेदी | उज्जैन | आष्टा | सीहोर | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री सतीश चन्द्र मालवीय के स्थान पर. |
| 9 | श्री ओम प्रकाश रजक | दमोह | बंडा | सागर | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती नीलम मिश्रा के स्थान पर. |
| 10 | श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जूनियर) | धरमपुरी | जबलपुर | जबलपुर | चौहदवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री मनीष सिंह ठाकुर के स्थान पर. |
| 11 | श्री कमलेश सनोडिया | जबलपुर | बैतूल | बैतूल | चर्तुथ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 12 | श्री सुखराम सीनम | खाचरौद | भोपाल | भोपाल | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | श्री प्रदीप राठौर | सांवेर | भोपाल | भोपाल | बीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती ज्योति मिश्रा के स्थान पर. |
| 14 | श्रीमती निशा विश्वकर्मा | छिंदवाड़ा | जीरापुर | राजगढ़ | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री संदीप श्रीवास्तव के स्थान पर. |
| 15 | श्री रामगोपाल प्रजापति | मुलताई | खाचरौद | उज्जैन | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री सुखराम सीनम के स्थान पर. |
| 16 | श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर | जबलपुर | देवास | देवास | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री सुरेश कुमार सूयवंशी के स्थान पर |
| 17 | श्रीमती प्रीती सिंह | पाटन | जबलपुर | जबलपुर | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री संजय गोयल के स्थान पर |
| 18 | श्री चन्द्रकिशोर बारपेटे | वारासिवनी | होशंगाबाद | होशंगाबाद | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती कुमुदनी पटेल के स्थान पर |
| 19 | श्री दिनेश कुमार शर्मा | मैहर | ग्वालियर | ग्वालियर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 ग्वालियर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्याधाधीश की हैसियत से श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी (जूनियर) के स्थान पर |
| 20 | श्री रामजी लाल ताम्रकार | चुरहट | लखनादौन | सिवनी | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती कीर्ति कश्यप के स्थान पर |
| 21 | कुमारी सविता जड़िया | विदिशा | बैरसिया | भोपाल | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती शशि सिंह के स्थान पर |
| 22 | श्री पूरन सिंह | टीकमगढ़ | त्यौंथर | रीवा | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री राजेश सिंह के स्थान पर |
| 23 | श्री दिनेश कुमार खटीक | बंडा | भोपाल | भोपाल | इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री आलोक मिश्रा के स्थान पर |
| 24 | श्रीमती कीर्ति कश्यप | लखनादौन | बैतूल | बैतूल | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 बैतूल के न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से |
| 25 | श्री राजेन्द्र कुमार | मनासा | सुसनेर | शाजापुर | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 सुसनेर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री हेमंत कुमार यादव के स्थान पर |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | श्री दयाराम अहिरवार | अमरपाटन | विजयराघवगढ़ | कटनी | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री अरूण कुमार खराडी के स्थान पर |
| 27 | डॉ. उमाशंकर कुम्हार | मझोली | जबलपुर | जबलपुर | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री कमलेश सनोडिया के स्थान पर |
| 28 | श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी | देवास | शाजापुर | शाजापुर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 शाजापुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती सोनल पटेल के स्थान पर |
| 29 | श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव | मनावर | भोपाल | भोपाल | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री अमजद अली के स्थान पर |
| 30 | श्री जय सिंह सराठे | जुन्नारदेव (जामई) | भोपाल | भोपाल | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 भोपाल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री राधाकिशन मालवीय के स्थान पर |
| 31 | श्री आमोद आर्य | कुरवई | इंदौर | इंदौर | बीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती रेखा आर्य चन्द्रवंशी के स्थान पर |
| 32 | श्री सतीश चन्द्र मालवीय | आष्टा | परासिया | छिंदवाड़ा | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री संतोष कुमार गुप्ता के स्थान पर |
| 33 | श्री रामलाल शाक्य | जतारा | ग्वालियर | ग्वालियर | पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री मनीष शर्मा के स्थान पर |
| 34 | श्री संजय राज ठाकुर | बैतूल | कटंगी | बालाघाट | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 बालाघाट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान कटंगी की हैसियत से श्री अनिल कुमार साहू के स्थान पर |
| 35 | श्री अरुण कुमार खराड़ी | विजयराघवगढ़ | इंदौर | इंदौर | अट्ठाइसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में |
| 36 | श्री प्रवेन्द्र कुमार सिंह | जबलपुर | सीहोर | सीहोर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 सीहोर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री वंदन मेहता के स्थान पर. |
| 37 | श्री आशुतोष शुक्ला | इन्दौर | उज्जैन | उज्जैन | षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री रूपम वेदी के स्थान पर. |
| 38 | श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी (जूनियर) | ग्वालियर | देवास | देवास | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | श्रीमती संगीता यादव | सीधी | छतरपुर | छतरपुर | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री आनंद प्रिय राहुल के स्थान पर. |
| 40 | श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर | होशंगाबाद | गंजबासौदा | विदिशा | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती सुरेखा मिश्रा के स्थान पर. |
| 41 | श्री अभिषेक गौड़ | नीमच | हरसूद | खण्डवा | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री संजय कुमार गुप्ता (जूनियर) के स्थान पर. |
| 42 | श्रीमती नीलम मिश्रा | बंडा | भोपाल | भोपाल | षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री दिनेश कुमार नोटिया के स्थान पर. |
| 43 | श्री अशोक भारद्वाज | जतारा | भोपाल | भोपाल | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 भोपाल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती रमा जयंत मित्तल के स्थान पर. |
| 44 | श्री धनेन्द्र सिंह परमार | गुना | बीना | सागर | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री राजेश कुमार देवलिया के स्थान पर. |
| 45 | श्रीमती आरती आर्य दुबे | सीहोर | गंजबासौदा | विदिशा | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 46 | श्री आदेश कुमार जैन | बागली | ग्वालियर | ग्वालियर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री राकेश बंसल के स्थान पर. |
| 47 | श्री मनीष शर्मा | ग्वालियर | सागर | सागर | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री दीपक शर्मा के स्थान पर. |
| 48 | श्री रवि झारोला | शाजापुर | धरमपुरी | धार | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जूनियर) के स्थान पर. |
| 49 | श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी | इन्दौर | खण्डवा | खण्डवा | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री किशोर कुमार गेहलोत के स्थान पर. |
| 50 | श्री राजेश सिंह | त्योंथर | नागौद | सतना | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 51 | श्री मोहम्मद अरशद | सतना | भिण्ड | भिण्ड | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 भिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री अजय नील करौठिया के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | श्री आशुतोष अग्रवाल | सिहोरा | इन्दौर | इन्दौर | इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री विनोद कुमार पाटीदार के स्थान पर. |
| 53 | श्री राकेश बंसल | ग्वालियर | दतिया | दतिया | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 54 | कु. शिप्रा पटैल | बैढन | कटनी | कटनी | पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में. |
| 55 | श्री आनन्द गौतम | मुंगावली | इन्दौर | इन्दौर | अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री आशुतोष शुक्ला के स्थान पर. |
| 56 | कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी | जौरा | गोहद | भिण्ड | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, गोहद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से. |
| 57 | कुमारी विनीता भटनागर | खरगौन | सांवेर | इन्दौर | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री प्रदीप राठौर के स्थान पर. |
| 58 | श्री धर्मेन्द्र कुमार टाडा | सैलाना | इन्दौर | इन्दौर | चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री मनोज कुमार लड़िया के स्थान पर. |
| 59 | श्री मनोज कुमार सिंह | सिरमौर | भोपाल | भोपाल | चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 60 | श्री विवेक पटेल | रीवा | मैहर | सतना | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री दिनेश कुमार शर्मा के स्थान पर. |
| 61 | श्रीमती सिद्धी मिश्रा | नागौद | ग्वालियर | ग्वालियर | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री इरशाद अहमद के स्थान पर. |
| 62 | विजय कुमार शर्मा | गौहरगंज | ग्वालियर | ग्वालियर | ग्वारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री हेमंत कुमार रघुवंशी के स्थान पर. |
| 63 | श्रीमती ज्योति मिश्रा | भोपाल | विदिशा | विदिशा | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 विदिशा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से डॉ. कुमारी महजबीन खान के स्थान पर. |
| 64 | श्री वंदन मेहता | सीहोर | गरौठ | मंदसौर | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री राकेश कुमार गोयल के स्थान पर. |
| 65 | प्रवीण पटेल | सागर | छतरपुर | छतरपुर | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री जयशंकर श्रीवास्तव के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल | गंजबासौदा | मुंगावली | अशोकनगर | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री आनंद गौतम के स्थान पर. |
| 67 | श्री प्रदीप कुमार दुबे | छतरपुर | निवारी | टीकमगढ़ | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री प्रदीप कुशवाह के स्थान पर. |
| 68 | श्री अहमद रजा | दमोह | सिहोरा | जबलपुर | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 सिहोरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री आशुतोष अग्रवाल के स्थान पर. |
| 69 | श्री आलोक मिश्रा | भोपाल | विदिशा | विदिशा | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से कुमारी सविता जड़िया के स्थान पर. |
| 70 | श्री हेमन्त कुमार यादव | सुसनेर | खण्डवा | खण्डवा | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री दिनेश देवड़ा के स्थान पर. |
| 71 | श्री इरशाद अहमद | ग्वालियर | सागर | सागर | पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री प्रवीण पटेल के स्थान पर. |
| 72 | श्रीमती नीलम शुक्ला | इन्दौर | होशंगाबाद | होशंगाबाद | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 होशंगाबाद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती स्मृता ठाकुर के स्थान पर. |
| 73 | श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया | आलोट | इन्दौर | इन्दौर | उनतीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 74 | श्री संजय कुमार शाही | सागर | रीवा | रीवा | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री विवेक पटेल के स्थान पर. |
| 75 | कु. रश्मीना परवेज मंसूरी | तराना | आलोट | रतलाम | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 रतलाम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान आलोट की हैसियत से श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया के स्थान पर |
| 76 | श्री मनीष सिंह ठाकुर | जबलपुर | खण्डवा | खण्डवा | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री गंगाचरण दुबे के स्थान पर. |
| 77 | श्री संजय कुमार गुप्ता (जूनियर) | हरसूद | बड़वानी | बड़वानी | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री मानवेन्द्र पवांर के स्थान पर. |
| 78 | श्री हेमन्त कुमार रघुवंशी | ग्वालियर | सागर | सागर | सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | श्री किशोर कुमार गहलोत | खंडवा | नीमच | नीमच | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 80 | श्री अनिल कुमार साहू | कटंगी | जबलपुर | जबलपुर | तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर के स्थान पर. |
| 81 | डा. कुमारी मेहजबीन खान | विदिशा | हरदा | हरदा | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 हरदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री देवीलाल सोनिया के स्थान पर |
| 82 | श्रीमती सोनल पटेल | शाजापुर | बदनावर | धार | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 83 | श्री भगवानदास राठौर | लहार | भोपाल | भोपाल | पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 84 | श्रीमती रमाजयंत मित्तल | भोपाल | गुना | गुना | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री राकेश कुमार जैन के स्थान पर. |
| 85 | श्री हर्ष सिंह बहरावत | ब्यावरा | मनावर | धार | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव के स्थान पर. |
| 86 | श्री दिनेश देवड़ा | खंडवा | खरगौन | मण्डलेश्वर | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से कुमारी विनीता भटनागर के स्थान पर. |
| 87 | श्री अमजद अली | भोपाल | मुरैना | मुरैना | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 मुरैना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री अजय कांत पाण्डे के स्थान पर. |
| 88 | श्री निरंजन कुमार पंचाल | इछावर | धार | धार | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 89 | श्री संदीप कुमार पाटिल | लखनादौन | छिंदवाड़ा | छिंदवाड़ा | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती निशा विश्वकर्मा के स्थान पर. |
| 90 | श्री आदित्य रावत | भिण्ड | बुधनी | सीहोर | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बुधनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से. |
| 91 | श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा | शहडोल | बुढ़ार | शहडोल | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री जितेन्द्र नारायण सिंह के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | श्री विनोद कुमार पाटीदार | इन्दौर | सिरोंज | विदिशा | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर के स्थान पर. |
| 93 | श्रीमती मातादीन रजक | भिण्ड | पोहरी | शिवपुरी | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, पोहरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से. |
| 94 | श्री शिवलाल केवट | बैढन | शुजालपुर | शाजापुर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री सुधीर कुमार के स्थान पर. |
| 95 | श्री राधाकिशन मालवीय | भोपाल | खण्डवा | खण्डवा | पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 96 | श्री आनंद जाम्भूलकर | बैतूल | इटारसी | होशंगाबाद | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इटारसी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से. |
| 97 | श्री विवेक कुमार चंदेल | रतलाम | चाचौड़ा | गुना | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री संजय श्रीवास्तव के स्थान पर. |
| 98 | श्री अनिल दन्देलिया | सौंसर | सिवनी | सिवनी | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय मे. |
| 99 | श्री दिनेश कुमार नोटिया | भोपाल | उज्जैन | उज्जैन | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 100 | श्री अजय नील करोथिया | भिण्ड | आगर | शाजापुर | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री विक्रम सिंह बुले के स्थान पर. |
| 101 | श्री गौतम कुमार गुजरे | चौरई | जतारा | टीकमगढ़ | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री रामलाल शाक्य के स्थान पर. |
| 102 | श्री दयाराम कुमरे | इन्दौर | जुन्नारदेव (जामई) | छिन्दवाड़ा | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री जयसिंह सरौते के स्थान पर. |
| 103 | श्री अजय पेंदाम | जयसिंहनगर | बड़वाह | मण्डलेश्वर | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री राजकुमार वर्मा के स्थान पर. |
| 104 | श्रीमती अभिलाषा एन. मवार | भोपाल | कुरवई | विदिशा | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री आमोद आर्य के स्थान पर. |
| 105 | श्रीमती संगीता पटेल | धार | खरगौन | मण्डलेश्वर | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री संजय कुमार जैन (जूनियर-2) के स्थान पर. |
| 106 | श्री निर्मल मंडोरिया | अशोकनगर | सैलाना | रतलाम | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सैलाना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री धर्मेन्द्र कुमार टाड़ा के स्थान पर. |
| 107 | श्री दारा सिंह मंडलोई | बैहर | उज्जैन | उज्जैन | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री नरेन्द्र पटेल के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | श्री मानवेन्द्र पवांर | बड़वानी | मनासा | नीमच | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार के स्थान पर. |
| 109 | श्री संतोष कुमार कोल | चंदेरी | जबलपुर | जबलपुर | षष्ठ्म व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री जयदीप सिंह के स्थान पर. |
| 110 | श्री अजीत कुमार तिर्की | गुना | शुजालपुर | शाजापुर | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री सतीश कुमार टोप्पो के स्थान पर. |
| 111 | श्री अनिल चौहान | खण्डवा | पेटलावद | झाबुआ | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 112 | श्री तेजप्रताप सिंह | अजयगढ़ | सिरमौर | रीवा | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री मनोज कुमार सिंह के स्थान पर. |
| 113 | श्रीमती सुमन उईके | छिन्दवाड़ा | शहडोल | शहडोल | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शहडोल के न्यायालय की तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा के स्थान पर. |
| 114 | श्री प्रदीप कुमार वरकड़े | भोपाल | बैतूल | बैतूल | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बैतूल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री आनंद जाम्भूलकर के स्थान पर. |
| 115 | श्रीमती किरन कोल | जबलपुर | बैढ़न | सिंगरौली | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 बैढ़न के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से कुमार शिप्रा पटेल के स्थान पर. |
| 116 | श्री अमन सिंह भूरिया | बदनावर | जावरा | रतलाम | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जावरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से. |
| 117 | श्री सतीश कुमार टोप्पो | शुजालपुर | इछावर | सीहोर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सीहोर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान इछावर की हैसियत से श्री निरंजन कुमार पांचाल के स्थान पर. |
| 118 | श्री राकेश जमरा | सबलगढ़ | रतलाम | रतलाम | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |

**टिप्पणी.**—श्री राकेश जमरा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सबलगढ़ का स्थानांतरण उनके द्वारा निवेदन किये जाने पर स्वयं के व्यय पर किया गया है.

क्र. 227-गोपनीय-2015-दो-3-1-2015(भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

| क्रमांक | नाम | कहां से | कहां को | पदस्थापना के जिले का नाम | न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम | बालाघाट | सागर | सागर | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री वारिन्द्र कुमार तिवारी के स्थान पर. |
| 2 | श्री राजेश कुमार अग्रवाल (सीनियर). | सारंगपुर | सिवनी | सिवनी | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री वरूण कुमार पुनासे के स्थान पर. |
| 3 | कुमारी अनीता खजूरिया | बासौदा | खुरई | सागर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव के स्थान पर. |
| 4 | श्रीमती सरोजबाला मुजाल्दा | महू | हटा | दमोह | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री वीरेन्द्र वर्मा के स्थान पर. |
| 5 | श्रीमती कविता इवनाती | भोपाल | सीहोर | सीहोर | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री मुकेष नाथ के स्थान पर. |
| 6 | श्री गौतम भट्ट | नागदा | सीहोर | सीहोर | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 7 | श्री वैभव सक्सेना | बैतूल | इटारसी | होशंगाबाद | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय के स्थान पर. |
| 8 | श्री मनोज तिवारी | देवरी | कटनी | कटनी | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री कपिल नारायण भारद्वाज के स्थान पर. |
| 9 | श्री अमित सिंह सिसौदिया | बालाघाट | अजयगढ़ | पन्ना | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 10 | श्री अभिनव कुमार जैन | बिरसिंहपुर-पाली | भोपाल | भोपाल | पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री राजकुमार गौंड़ के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | श्री समरेश सिंह | इंदौर | उज्जैन | उज्जैन | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 12 | श्रीमती रश्मि मिश्रा | उज्जैन | रतलाम | रतलाम | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 13 | श्री अमर गोयल | ग्वालियर | गुना | गुना | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर) के स्थान पर. |
| 14 | श्रीमती प्राची पटेल | बुरहानपुर | आगर | शाजापुर | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री अजय रामावत के स्थान पर. |
| 15 | श्री वरूण पुनासे | सिवनी | नसरूल्लागंज | सीहोर | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री जफर इकबाल के स्थान पर. |
| 16 | श्री देवेश उपाध्याय | पिछोर | भोपाल | भोपाल | नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 17 | श्री कपिल नारायण भारद्वाज | कटनी | दमोह | दमोह | षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री राममनोहर सिंह दांगी के स्थान पर. |
| 18 | श्री आशीष डेनियल | नागौद | कोतमा | अनूपपूर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री मधुसूदन जंघेल के स्थान पर. |
| 19 | श्री भरत कुमार व्यास | बड़वाहा | सांवेर | इन्दौर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री निशिथ खरे के स्थान पर. |
| 20 | श्री जफर इकबाल | नसरूल्लागंज | होशंगाबाद | होशंगाबाद | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 21 | श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर) | गुना | शिवपुरी | शिवपुरी | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषी के स्थान पर. |
| 22 | श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषी | शिवपुरी | नौगांव | छतरपुर | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | श्री अरविंद कुमार शर्मा | पन्ना | नागौद | सतना | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री आशीष डेनियल के स्थान पर. |
| 24 | श्री विवेक शुक्ला | सिवनी | भानपुरा | मंदसौर | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री ऋषिराज त्रिवेदी के स्थान पर. |
| 25 | श्री अतुल सक्सेना | जावरा | शाजापुर | शाजापुर | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री अफजल खान के स्थान पर. |
| 26 | श्री नीरज कुमार सोनी | बड़ामल्हरा | इन्दौर | इन्दौर | अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 27 | श्री मनीष कुमार लोवांशी | हरदा | भीकनगांव | मंडलेश्वर | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भीकनगांव के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान भीकनगांव की हैसियत से श्री अरविंद दारिया के स्थान पर. |
| 28 | श्रीमती मीनल श्रीवास्तव | मुरैना | इटारसी | होशंगाबाद | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 इटारसी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से. |
| 29 | श्री संदीप कुमार सोनी | सतना | छिंदवाड़ा | छिंदवाड़ा | पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती मंजुला टेकाम के स्थान पर. |
| 30 | श्री मनीष भट्ट | मंदसौर | देवरी | सागर | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री मनोज तिवारी के स्थान पर. |
| 31 | श्री अब्दुल्लाह अहमद | जबलपुर | कटनी | कटनी | पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी स्नेहा सिंह के स्थान पर. |
| 32 | श्री संजय वर्मा | रीवा | शाहपुरा | डिण्डौरी | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में. |
| 33 | श्री मनोज कुमार राठी | खेतिया | इन्दौर | इन्दौर | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी सोनाली पस्तारिया के स्थान पर. |
| 34 | श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा (जूनियर) | पन्ना | चुरहट | सीधी | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | श्री सूर्य प्रकाश शर्मा | बुरहानपुर | धरमपुरी | धार | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री विकास चौहान के स्थान पर. |
| 36 | श्री राजेश कुमार तिवारी | बुढ़ार | रीवा | रीवा | षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री संजय वर्मा के स्थान पर. |
| 37 | श्री पंकज चतुर्वेदी | दतिया | बैतूल | बैतूल | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैतूल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से. |
| 38 | श्री वारिन्द्र कुमार तिवारी | सागर | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 टीकमगढ़ के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से. |
| 39 | श्री अकबर शेख | राजपुर | खण्डवा | खण्डवा | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री नीलेश कुमार जिरेती के स्थान पर. |
| 40 | श्री विनोद कुमार शर्मा | भिण्ड | खुरई | सागर | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री अभिलाष जैन के स्थान पर. |
| 41 | श्री राकेश कुमार पाटीदार (सीनियर) | खिलचीपुर | भोपाल | भोपाल | षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती कविता इवनाती के स्थान पर. |
| 42 | श्री अमित कुमार गुप्ता | ग्वालियर | सतना | सतना | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री संदीप कुमार सोनी के स्थान पर. |
| 43 | श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी | उदयपुरा | इन्दौर | इन्दौर | पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की की हैसियत से कुमारी प्रीति जैन के स्थान पर. |
| 44 | श्री मुकेश नाथ | सीहोर | शुजालपुर | शाजापुर | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री आशीष परसाई के स्थान पर. |
| 45 | कुमारी शैलजा गुप्ता | गोहद | दतिया | दतिया | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री पंकज चतुर्वेदी के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | श्री अविनाश शर्मा | ग्वालियर | गुना | गुना | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री प्रियंक दुबे के स्थान पर. |
| 47 | श्री अब्दुल्लाह आसिफ | पाटन | सतना | सतना | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री हरीश वानवंशी के स्थान पर. |
| 48 | श्री आयान गिरदोनिया | सीहोर | पिपरिया | होशंगाबाद | व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 पिपरिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री कमलेश साहू के स्थान पर. |
| 49 | श्री धर्मेश भट्ट | नरसिंहपुर | सिवनी | सिवनी | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री विवेक शुक्ला के स्थान पर. |
| 50 | श्री अजय रामावत | आगर | धार | धार | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री विजय चौहान के स्थान पर. |
| 51 | श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग | दतिया | डबरा | ग्वालियर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री गोपेश गर्ग के स्थान पर. |
| 52 | श्री विवेक कुमार सिंह | मझौली | ग्वालियर | ग्वालियर | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री अमित कुमार गुप्ता के स्थान पर. |
| 53 | श्री अबधेश कुमार श्रीवास्तव | नौगांव | ग्वालियर | ग्वालियर | षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री अमर गोयल के स्थान पर. |
| 54 | श्री गोपेश गर्ग | डबरा | गोहद | भिण्ड | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी शैलजा गुप्ता के स्थान पर. |
| 55 | श्री विवेकानंद त्रिवेदी | लौंडी | ग्वालियर | ग्वालियर | सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री अविनाश शर्मा के स्थान पर. |
| 56 | श्री रोहित सिंह | मेहगांव | डबरा | ग्वालियर | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री कौशल किशोर वर्मा के स्थान पर. |
| 57 | श्री रोहित कटारे | जबलपुर | दतिया | दतिया | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री विकास शुक्ला के स्थान पर. |
| 58 | श्री अफजल खान | शाजापुर | देपालपुर | इन्दौर | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री विकास कुमार शर्मा के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | श्री आशीष दवंडे | पांढुर्णा | रेहली | सागर | व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री कपिल सोनी के स्थान पर. |
| 60 | श्री निलेश कुमार जिरेती | खण्डवा | बुरहानपुर | बुरहानपुर | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 61 | श्री धर्मेन्द्र सोनी | होशंगाबाद | खिलचीपुर | राजगढ़ (ब्यावरा). | व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री राकेश कुमार पाटीदार के स्थान पर. |
| 62 | श्री पारस कुमार जैन | बिजावर | इन्दौर | इन्दौर | सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 63 | श्री महेन्द्र मंगोदिया | बुरहानपुर | जावरा | रतलाम | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री अश्विन परमार के स्थान पर. |
| 64 | श्री निशिथ खरे | सांवेर | जबलपुर | जबलपुर | चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 65 | श्री उमेश कुमार पटेल | बैढ़न | कटनी | कटनी | षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में. |
| 66 | श्री राघवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव | मुरैना | इटारसी | होशंगाबाद | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 67 | श्री संदीप कुमार जैन | रतलाम | बदनावर | धार | व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी के स्थान पर. |
| 68 | श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव | खुरई | जबलपुर | जबलपुर | पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 69 | श्री उत्सव चतुर्वेदी | ओरछा | बीना | सागर | व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती निधि सक्सेना के स्थान पर. |
| 70 | श्री हरीश वानवंशी | सतना | गढ़ाकोटा | सागर | व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री अजय कुमार के स्थान पर. |
| 71 | श्री अनिल कुमार नामदेव | लौंडी | अमरपाटन | सतना | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री राजेश जैन के स्थान पर. |
| 72 | श्री हेमराज सनोडिया | नैनपुर | इन्दौर | इन्दौर | सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 73 | श्री पवन कुमार पटेल | गैरतगंज | मझोली | सीधी | व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री विवेक कुमार सिंह के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | श्री आशीष परसाई | शुजालपुर | गैरतगंज | रायसेन | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2,की हैसियत से श्री पवन कुमार पटेल के स्थान पर. |
| 75 | श्री राजेश कुमार यादव | सीधी | छतरपुर | छतरपुर | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 76 | श्री दिनेश सिंह राणा | मुरैना | पन्ना | पन्ना | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री अरविंद कुमार शर्मा के स्थान पर. |
| 77 | श्री कपिल सोनी | रहली | जबलपुर | जबलपुर | ग्याहरवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2,की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 78 | श्री माधव प्रसाद नामदेव | पथरिया | इन्दौर | इन्दौर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री समरेश सिंह के स्थान पर. |
| 79 | श्री यशवंत मालवीय | नरसिंहपुर | बैतूल | बैतूल | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बैतूल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश. |
| 80 | श्री अरविंद दारिया | भीकनगांव | राजपुर | बड़वानी | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2,की हैसियत से श्री अकबर शेख के स्थान पर. |
| 81 | श्री राजीव राव गौतम | सतना | दतिया | दतिया | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग के स्थान पर. |
| 82 | श्री विकास चौहान | धरमपुरी | नागदा | उज्जैन | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री गौतम भट्ट के स्थान पर. |
| 83 | श्री राजेन्द्र प्रसाद सेवतिया | मुलताई | नैनपुर | मण्डला | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2,की हैसियत से श्री हेमराज सनोडिया के स्थान पर. |
| 84 | श्री हेमंत सिंह | देपालपुर | भितरवार | ग्वालियर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री रविशंकर दोहरे के स्थान पर. |
| 85 | श्री अभिलाष जैन | खुरई | भोपाल | भोपाल | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्रीमती अर्चना रघुवंशी के स्थान पर. |
| 86 | श्री कैलाश किशोर वर्मा | डबरा | पिछोर | शिवपुरी | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री देवेश उपाध्याय के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | श्रीमती अर्चना बोडे | राजेन्द्रग्राम | बुढ़ार | शहडोल | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री राजेश कुमार तिवारी के स्थान पर. |
| 88 | श्री चौधर सिंह सैयाम | हटा | महू | इन्दौर | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री नितिन कुमार मुजाल्दा के स्थान पर. |
| 89 | श्री चन्दर सेन मुवेल | बेगमगंज | बासौदा | विदिशा | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से कुमारी अनीता खजूरिया के स्थान पर. |
| 90 | श्री गौतम सिंह मरकाम | आमला | पथरिया | दमोह | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री माधव प्रसाद नामदेव के स्थान पर. |
| 91 | श्री राजेन्द्र सिंह सिंगार | नलखेड़ा | राजपुर | बड़वानी | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, राजपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान राजपुर जिला बड़वानी की हैसियत से. |
| 92 | श्री कलम सिंह मेड़ा | रतलाम | मंदसौर | मंदसौर | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री मनीष भट्ट के स्थान पर. |
| 93 | श्री धन कुमार कुडोपा | निवास | आमला | बैतूल | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री गौतम सिंह मरकाम के स्थान पर. |
| 94 | श्री हीरालाल अलावा | सेंधवा | बुरहानपुर | बुरहानपुर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्रीमती प्राची पटेल के स्थान पर. |
| 95 | श्री नितिन कुमार मुजाल्दा | महू | हटा | दमोह | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में. |
| 96 | श्रीमती निधि सक्सेना | बीना | गोहद | भिण्ड | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री संतोष कुमार तिवारी के स्थान पर. |
| 97 | श्री अजय कुमार | गढ़ाकोटा | जबलपुर | जबलपुर | दसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री के स्थान पर. |
| 98 | श्री राजेश जैन | अमरपाटन | मुरैना | मुरैना | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्रीमती मीनल श्रीवास्तव के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | श्रीमती श्वेता तिवारी | इंदौर | राजेन्द्रग्राम | अनूपपुर | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्रीमती अर्चना बोड़े के स्थान पर. |
| 100 | श्रीमती अर्चना रघुवंशी | भोपाल | उज्जैन | उज्जैन | पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्रीमती रश्मि मिश्रा के स्थान पर. |
| 101 | श्रीमती नताशा शेख पटेल | धार | देपालपुर | इंदौर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री हेमंत सिंह के स्थान पर. |
| 102 | श्री ऋषिराज त्रिवेदी | भानपुरा | महू | इंदौर | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्रीमती सरोजबाला मुजाल्दा के स्थान पर. |
| 103 | श्री संतोष कुमार तिवारी | गोहद | मुरैना | मुरैना | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री दिनेश सिंह राणा के स्थान पर. |
| 104 | श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय | इटारसी | मुरैना | मुरैना | पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री राघवेंद्र कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर. |
| 105 | श्री सचिन ज्योतिषी | सिवनी | बालाघाट | बालाघाट | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम के स्थान पर. |
| 106 | श्री मधुसूदन जंघेल | कोतमा | मुलताई | बैतूल | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री राजेन्द्र प्रसाद सेवतिया के स्थान पर. |
| 107 | श्री वीरेन्द्र वर्मा | हटा | रतलाम | रतलाम | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री संदीप कुमार जैन के स्थान पर. |
| 108 | श्री विकास कुमार शर्मा | देपालपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री यशवंत मालवीय के स्थान पर. |
| 109 | श्री अश्विन परमार | जावरा | सारंगपुर | राजगढ़ | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री राजेश कुमार अग्रवाल (सीनियर) के स्थान पर. |
| 110 | श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय | रामपुर-बघेलान | हरदा | हरदा | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री मनीष कुमार लौवंशी के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | श्री शशांक सिंह | बण्डा | जबलपुर | जबलपुर | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री रोहित कटारे के स्थान पर. |
| 112 | श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी | बदनावर | रतलाम | रतलाम | पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री कलम सिंह मेंढा के स्थान पर. |
| 113 | श्रीमती मंजूषा टेकाम | छिन्दवाड़ा | सिवनी | सिवनी | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री अभिषेक सोनी के स्थान पर. |
| 114 | कुमारी तबस्सुम खान | कटनी | जबलपुर | जबलपुर | तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 115 | श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री | जबलपुर | बिरसिंहपुरपाली | उमरिया | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री अभिनव कुमार जैन के स्थान पर. |
| 116 | श्री मयंक कुमार शुक्ला | इन्दौर | होशंगाबाद | होशंगाबाद | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 117 | श्री राममनोहर सिंह दांगी | दमोह | बेगमगंज | रायसेन | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री चन्दर सेन मुवेल के स्थान पर. |
| 118 | श्री अंजय सिंह | सीधी | रामपुर-बघेलान | सतना | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री ठाकुर प्रसाद मालवीया के स्थान पर. |
| 119 | श्री अशोक कुमार त्रिपाठी | त्यौंथर | निवास | मण्डला | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री धन कुमार कुडोपा के स्थान पर. |
| 120 | सुश्री स्नेहा सिंह | कटनी | दमोह | दमोह | पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |
| 121 | श्री अभिषेक सोनी | सिवनी | उदयपुरा | रायसेन | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री सी. एस. सोलंकी के स्थान पर. |
| 122 | श्री रविशंकर दोहरे | भितरवार | बड़ामलहरा | छतरपुर | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री नीरज कुमार सोनी के स्थान पर. |
| 123 | श्री विजय चौहान | धार | महिदपुर | उज्जैन | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, महिदपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री मो. असलम देहलवीं के स्थान पर. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | श्री प्रियंक दुबे | गुना | मेहगांव | भिण्ड | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री रोहित सिंह के स्थान पर. |
| 125 | कुमारी सोनाली पस्तारिया | इन्दौर | जावरा | रतलाम | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री अतुल सक्सेना के स्थान पर. |
| 126 | श्री विकास शुक्ला | दतिया | भिण्ड | भिण्ड | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री विनोद कुमार शर्मा के स्थान पर. |
| 127 | कुमारी सारिका बावरे | राजगढ़ | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री धर्मेश भट्ट के स्थान पर. |
| 128 | श्री रोहित श्रीवास्तव | गाडरवाड़ा | ओरछा | टीकमगढ़ | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री उत्सव चतुर्वेदी के स्थान पर. |
| 129 | श्री कमलेश साहू | पिपरिया | पांडुर्णा | छिन्दवाड़ा | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री आशीष दवंडे के स्थान पर. |
| 130 | कुमारी प्रीति जैन | इन्दौर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री सूर्य प्रकाश शर्मा के स्थान पर. |
| 131 | श्री मोहम्मद असलम देहलवी | महिदपुर | धार | धार | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्रीमती नताशा शेख पटेल के स्थान पर. |
| 132 | श्री राहुल वर्मा | इन्दौर | सेंधवा | बड़वानी | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री हीरालाल अलावा के स्थान पर. |
| 133 | कुमारी स्मृति सिंह | सतना | बैतूल | बैतूल | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री वैभव सक्सेना के स्थान पर. |
| 134 | श्री राजकुमार गौंड | भोपाल | त्यौंथर | रीवा | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में. |

जबलपुर, दिनांक 24 मार्च 2015

क्र. 250-गोपनीय-2015-दो-3-250-57 (भाग-33).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(बी)2-2013-इक्कीस-ब (एक), (मेरिट क्रमांक-13), दिनांक 14 जनवरी 2015 द्वारा अस्थायी तौर से

(दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

| क्रमांक | नाम | प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान | न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा | बालाघाट | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बालाघाट के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज). |

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2015

क्र. 257-गोपनीय-2015-दो-2-1-2015 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

| क्रमांक | नाम | कहां से | कहां को | सत्र खण्ड का नाम | न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | श्रीमती गिरिबाला सिंह, उप सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर. | जबलपुर | भोपाल | भोपाल | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से. |

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
**वेद प्रकाश,** रजिस्ट्रार जनरल.

---

जबलपुर, दिनांक 17 मार्च 2015

क्र. A-1166-दो-3-130-2009.—श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी/ एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 16 मार्च 2015 से 1 अप्रैल 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 मार्च 2015 के एवं पश्चात् में दिनांक 2 एवं 3 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी/ एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी/ एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
**एस. के. साहा,** रजिस्ट्रार.

---

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2015

क्र. B-1248-दो-2-5-2013.—श्री गजेन्द्र सिंह, संकाय सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 2 से 7 मार्च 2015 तक छः दिन के स्वीकृत अर्जित

अवकाश में से दिनांक 6 एवं 7 मार्च 2015 तक दो दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
**व्ही. बी. सिंह,** रजिस्ट्रार.

---

Jabalpur, the 20th March 2015

No. B-1173-III-6-5-14.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Ajit Singh, Additional Sessions Judge, Sagar in place of Shri Yogesh Chandra Gupta, ASJ, Sagar for the trial of offences, exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal investigated by agencies other than Special Task Force Bhopal, at Sagar.

This notification shall come into force w.e.f. 6th April 2015.

No. B-1175-III-6-5-14.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Prakash Chandra, Additional Sessions Judge, E. N. Khandwa in place of Shri G. S. Dubey, Spl. Judge SC/ST (POA) Act, for the trial of offences, exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal investigated by agencies other than Special Task Force Bhopal, at E. N. Khandwa.

This notification shall come into force w.e.f. 6th April 2015.

No. B-1177-III-6-5-14.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Ram Gopal Singh, Additional Sessions Judge, Chhatarpur in place of Shri Sanjeev Dutta, Spl. Judge SC/ST (POA) Act, Chhatarpur for the trial of offences, exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal investigated by agencies other than Special Task Force Bhopal, at Chhatarpur.

This notification shall come into force w.e.f. 6th April 2015.

No. B-1179-III-6-5-14.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Pooran Chandra Gupta, Additional Sessions Judge, Guna in place of Shri Rituraj Basant Kumar, Spl. Judge SC/ST (POA) Act, Guna for the trial of offences, exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal investigated by agencies other than Special Task Force Bhopal, at Guna.

This notification shall come into force w.e.f. 6th April 2015.

No. B-1181-III-6-5-14.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri B. S. Bhadoriya, Additional Sessions Judge, Bhopal for the trial of offences, in cases exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal investigated by Special Task Force Bhopal as well as by the agencies other than the Special Task Force Bhopal, at Bhopal, which are specifically assigned to his court by the High Court or by the District Judge.

No. B-1183-III-6-5-14.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Arun Kumar Verma, Additional Sessions Judge, Bhopal for the trial of offences in cases exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal investigated by Special Task Force Bhopal as well as by the agencies other than the Special Task Force Bhopal, at Bhopal, which are specifically assigned to his court by the High Court or by the District Judge.

This notification shall come into force w.e.f. 6th April 2015.

No. B-1185-III-6-5-14.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Bhupesh Kumar Gupta, Additional Sessions Judge, Bhopal for the trial of offences in cases exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal investigated by Special Task Force Bhopal as well as by the agencies other than the Special Task Force Bhopal, at Bhopal, which are specifically assigned to his court by the High Court or by the District Judge.

This notification shall come into force w.e.f. 6th April 2015.

No. B-1187-III-6-5-14.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Dinesh Prasad Mishra, Additional Sessions Judge, Bhopal for the trial of offences in cases exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal investigated by Special Task Force Bhopal as well as by the agencies other than the Special Task Force Bhopal, at Bhopal, which are specifically assigned to his court by the High Court or by the District Judge.

This notification shall come into force w.e.f. 6th April 2015.

No. B-1189-III-6-5-14.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Dharminder Singh, Additional Sessions Judge, Gwalior for the trial of offences in cases exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal investigated by Special Task Force Bhopal as well as by the agencies other than the Special Task Force Bhopal, at Gwalior, which are specifically assigned to his court by the High Court or by the District Judge.

This notification shall come into force w.e.f. 6th April 2015.

No. B-1191-III-6-5-14.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Lalit Khare, Additional Sessions Judge, Gwalior for the trial of offences in cases exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal investigated by Special Task Force Bhopal as well as by the agencies other than the Special Task Force Bhopal, at Gwalior, which are specifically assigned to his court by the High Court or by the District Judge.

This notification shall come into force w.e.f. 6th April 2015.

No. B-1193-III-6-5-14.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Anil Kumar Sohane, Additional Sessions Judge, Gwalior for the trial of offences in cases exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal investigated by Special Task Force Bhopal as well as by the agencies other than the Special Task Force Bhopal, at Gwalior, which are specifically assigned to his court by the High Court or by the District Judge.

This notification shall come into force w.e.f. 6th April 2015.

By order of the High Court,
VIVEK SAXENA, O.S.D. (D.E.).

---

Jabalpur, the 24th March 2015

No. B-1229-III-6-5-14-**Corrigendum**.—The High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby issues following Corrigendum in respect of its Notification No. B-1191, dated 20th March 2015:—

"In the said Notification the words "Kishore" in place of "Khare" be read".

Jabalpur, the 26th March 2015

No. B-1292-III-6-5-14-**Corrigendum**.—The High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby issues following Corrigendum in respect of its Notification No. B-1185, dated 20th March 2015:—

"In the said Notification the words "Bhupendra Kumar Singh" in place of "Shri Bhoopesh Kumar Gupta" be read.".

VIVEK SAXENA, O.S.D. (D.E.).

---

Jabalpur, the 25th March 2015

No. D-1603-II-15-50-87-V. —In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (2) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (59 of 1994), Hon'ble the Chief Justice High Court of Madhya Pradesh, hereby nominates Hon'ble Shri Justice Shri S. S. Kemkar, Judge of High Court of Madhya Pradesh, Principal Seat Jabalpur, as Chairman of the High Court Legal Services Committee, with immediate effect.

By order and in the name of Hon'ble
the Chief Justice,
VED PRAKASH, Registrar General.